रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1972/आश्विन 8, 1894
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1972/ASHAVINA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1973

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September 1972

No. 48.CA(1)/72.—In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March 1972 is hereby published for general information.

TWENTY-THIRD ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1972

The Council has pleasure in presenting its 23rd Annual Report for the year ended 31st March 1972, in accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.

I. THE COUNCIL

1. Members of the Council and its various Committees

As provided in Section 9 of the Chartered Accountants Act, the Eighth Council was constituted on 17th September 1970, partly by election and partly by nomination by the Central Government. The names of the members of the Council and its various Standing and other Committees, constituted under Section 17 of the Chartered Accountants Act, are given in Appendices I and II respectively.

2. President and Vice-President

Shri A. B. Tandan (Kanpur), who was the Vice-President in the preceding year, was elected the President by the Council at its meeting held on 11th, 12th and 13th October, 1971. At the same meeting, Shri R. K. Khanna (New Delhi) was elected as the Vice-President.

3. Council and Committee meetings

During the year, the Council held three meetings—the first on 19th July 1971, the second on 11th, 12th and 13th October 1971 and the third on 16th, 17th and 18th March 1972. Details of the meetings held by the various Committees are given in Appendix III.

II. FINANCES

1. **Accounts.**—The Balance Sheet as at 31st March, 1972 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that day, duly audited, are appended at the end of this Report. The Income & Expenditure Account for the year shows an excess of expenditure over income amounting to Rs. 80,129 as against Rs. 62,104 in the previous year. These accounts include the accounts of the Regional Councils, Students' Associations and their branches.

2. **Auditors.**—Sarvashri P. R. Mehra and M. R. Venkataraman continued to be the auditors of the Institute's accounts for the year ended 31st March 1972.

III. PROFESSIONAL MATTERS

1. Professional Development

(a) *Study of the problems of the members.*

During the past several years, the Council has been trying to tackle the problems affecting members in practice and those in employment with a view to securing an equitable flow of professional work, finding new avenues of professional work, increasing employment opportunities for the members and creating among them a sense of satisfaction and belonging to the Institute. The Council has also been continuously taking steps to improve the public image of the profession, to increase the technical competence of the members, to impose rigorous standards of professional conduct so that the public confidence in the credibility of a certificate of a Chartered Accountant is improved. Time and again, the questions regarding 'concentration' of audit work and 'independence' of the profession have been raised in the Press as well as in the Parliament. The Council is firmly of the view that the profession is quite capable of solving its own problems and that there is no need of any outside interference in the affairs of the profession. The Council would like to promote a dialogue between the members themselves and their representative body, the Council, so that ways and means could be found to tackle the problems facing the profession.

The Council has all along been aware and conscious of the problems which the members have been and are facing and, to the best of its ability, it has been attempting not only to ensure an equitable distribution of the existing professional work but also for securing fresh avenues of professional work as well as employment. Various suggestions have been made from time to time by the Council to the Government for expanding the field of professional work such as audit of cooperative societies, audit of educational institutions, audit of partnerships above a certain size, branch audits, etc.

Members will recall that certain self-regulatory measures were recommended by the Council at its meeting held in December 1970 to be followed by the members of the profession on a voluntary basis.

With a view to meeting the immediate needs of the situation and for mitigating the problems of younger members, the Council has now decided that the self-regulatory measures should be made mandatory and the Government be requested to amend the Chartered Accountants Act and /or Chartered Accountants Regulations in such manner as it may deem necessary to achieve the desired objective.

The appraisal of the problems facing the profession is a continuing process and the Council has been reviewing them from time to time. Recently, the Council issued a questionnaire to the entire membership of the Institute for eliciting their views on the various problems of the members of the profession, particularly the junior members. The Regional Councils have been requested to get the problem discussed at meetings of the members in their respective regions at the earliest and to send their views and suggestions on the following and any other points that may be considered necessary:—

(1) Removal of the alleged monopoly in audit and the alleged concentration.

(2) Ceiling on number of audits.

(3) Rotation of auditors at certain intervals.

(4) Nationalisation of audit, which implies that the power to appoint the auditors should vest with a centralised agency.

(5) Finding new avenues of professional work and employment for the members.

The Council has also decided to obtain information from Stock Exchanges to determine the nature and extent of 'concentration' of audit work in the hands of a few firms. The findings of the Council as a result of these enquiries shall be finalised at an early date.

(b) *Usefulness of internal auditing*

The Council, in its efforts to further increase the professional opportunities and to open new avenues of employment for the members, has issued a booklet "Why don't you call him?" to propagate the usefulness of internal auditing and to impress upon the industrial houses to utilise the specialised services of Chartered Accountants to act as internal auditors.

Efforts will now be made to organise Seminars/Symposia to impart higher training to members in the various techniques of internal auditing with the assistance of a group of Internal Auditors.

(c) *Representation for making Audit of Partnership Firms Compulsory*

As was mentioned in the last report, the Council has made a representation to the Department of Company Affairs and the Ministry of Law suggesting amendment of the Partnership Act with a view to making compulsory the audit of partnership firms above a certain size. This matter is receiving attention of the Union Government.

(d) *Industrywise Technical guides to audit*

As has already been reported, for strengthening the knowledge of members in the field of auditing and for bringing their knowledge up-to-date on the latest developments in auditing techniques, the Council has initiated action for the preparation of industrywise technical guides to audit for some of the major industries. The technical guide for the audit of cement industry is expected to be finalised very soon. Efforts are being made to prepare similar guides for other industries as well.

(e) *Organisation of offices of Chartered Accountants*

A study of the organisation of the offices of Chartered Accountants is being conducted with the object of making recommendations in respect of maintenance of office records, adoption of office manuals, equipment etc. There has not been any appreciable progress on this project during the year due to various reasons but it is expected that the work will get completed very soon.

(f) *Forms of audit reports*

As reported earlier, the various forms of audit reports and certificates which Chartered Accountants are required to sign and certify during the course of their professional work are being scrutinised and the concerned authorities will, in course of time, be approached for such revision or modification of the forms of

reports and certificates, as may be necessary to remove the attendant difficulties. Here again, the progress has not been very satisfactory for various reasons but efforts are now being made for an early completion of the project.

(g) *Management Consultancy Services.*

The Council is actively considering the ways and means of providing guidelines to the members and to prescribe the necessary conditions for allowing them to render the entire range of Management Consultancy Services. The legal, ethical and other related issues involved in our members wishing to associate with members of other disciplines for rendering the Management Consultancy Services as well as the form of organisation through which such arrangements could be permitted, are being examined. An exposure draft of the conditions and relaxations proposed to be made in relation to Management Consultancy Services to be rendered by members of the Institute has been published in the Journal. The Council would soon finalise its views on this matter.

(h) *Payments to Auditors for "Other Services"*

Recently, some misgivings with regard to payments to Auditors for "other services" has been expressed by some shareholders at company meetings and also in some articles and letters published in the financial press. Questions have also been asked in the Parliament and fear has been expressed as to the real nature of such payments and whether they cover some illegal gratification paid by the managements to the autditors for ulterior reasons.

In view of the publicly expressed misgivings and misunderstandings in the matter, the Council found it necessary to clarify the same and to indicate the official position in this regard. The Council, therefore, decided to publish a suitable note in the financial press and elsewhere to counter the uninformed criticism against the auditors.

In a note published in November 1971 issue of the Journal of the Institute the Council has categorically stated that there is absolutely no question of any illegal gratification being paid to the Auditors. The members of Accountancy Profession who act as Auditors are persons who are expected to and do maintain high standards of professional conduct. The payments for other services which are statutorily required to be disclosed on the face of the published accounts of a company represent perfectly legitimate payments for services rendered by the Auditors to the company which services the Company needed and from which the benefit derived by the Company and the shareholders at large is more than commensurate with the cost thereof.

The Council has also recommended to the members that the fees paid to them should be disclosed in the Profit & Loss Account of the companies under their audit, under the following heads, in order to give the precise and correct information to the shareholders and others who read the accounts:

(1) Audit fee.
(2) Fee for tax representation.
(3) Fee for company law matters.
(4) Fee for management services.
(5) Fee for internal auditing.
(6) Expenses reimbursed to auditors.
(7) Other services.

(i) *Wider dispersal of audit of the branches of the nationalised banks.*

According to the instructions issued by the Reserve Bank of India, it is understood that the Reserve Bank intends that the distribution of branch audits amongst the branch auditors should, as far as practicable, the regional wide-spread and local.

In this connection, President along with the Vice-President and the Secretary had a meeting with Dr. R. K. Hazari, Deputy Governor, Reserve Bank of India on 4th December 1971 and had discussed the policy regarding the appointment of auditors in the nationalised banks and their branches.

It was heartening to know from Dr. Hazari that for the coming year the number of auditors chosen for the purpose is more than double the number which existed for the previous year. He also added that their general policy would be that the appointment of statutory auditors would be continued for a period of 4 to 5 years and that the statutory auditors would not be required to audit more than 1/3rd of the branches. He also pointed out that efforts were being made to see that the branches of the banks were audied by local auditors and that while all efforts would be made to make the distribution as broad-based as possible, looking to the importance of ensuring the quality, one had necessarily to adopt a cautious approach. Dr. Hazari clarified that apart from partnership firms even proprietory firms were now going to be allotted audit work of branches of banks.

The approach made by the Reserve Bank authorities has been quite realistic and needs to be appreciated.

(j) *Future of the accountancy profession in India.*

Members are aware that the Council had accepted the conclusions and the recommendations contained in the Report of the Joint Committee on the Future of the Accountancy Profession in India, under the Chairmanship of Shri G. P. Kapadia, first President of the Institute, which was submitted to the Councils of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Works Accountants of India on 26th August, 1967 and the fact that the Government of India had been requested to implement its recommendations, including the recommendation for unification of the two Institutes.

Recently, on receiving a reference from the Government of India, the Council has reiterated that it stands by the Report of the said Joint Committee which has already been recommended to the Government for adoption and implementation.

2. Research

During the year the Research Committee was actively engaged in the following research activities of the Institute:

(a) *Brought out the following publication.*

Cost Accounting Records Rules under the Companies Act, 1956 and the Companies in Electric Motor Industry.

(b) *Completed the undernoted projects.*

(i) Payment of Bonus Act—An Accountant's Study.

(ii) Investment Decisions—Capital Budgeting with the Aid of the Discounted Cash flow Technique.

(iii) Revision of the Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts.

(iv) First instalment of the note on Auditor's reliance on Internal Control.

(v) Integrated System of Cost and Financial Accounts.

(c) *Framed the views and suggestions of the Council of the Institute that were submitted to the Government on the subjects given below.*

(i) Draft Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1971.

(ii) Directions of the non-banking non-financial companies by the Reserve Bank of India.

(d) *Revising Studies and Statements gievn below*

(i) Guide to Company Audit.

(ii) Study on "Devaluation".

(iii) Statement on Auditing Practices.

(iv) Audit of Banking Companies.

(e) *Projects in hand*

(i) Publication in the Handbook series of the notes issued to members for guidance by the Institute from time to time.

(ii) Hybrid System of Accounting.

(iii) Professional Responsibility as to using of other Auditor's work and reports and ethical issues arising out of joint audits.

(iv) Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules, 1972.

(v) Publicising the views of the Research Committee on the continuance of auditor even after the date of the Annual General Meeting.

(vi) Objectives of Financial Statements.

(vii) Note on the use of free reserves in cases of amalgamation.

(f) *Research Grant*

The Council has decided to approach the Central Government for a suitable grant for carrying out research and other academic activities of the Institute. It has also asked regional councils to approach State Governments in their regions for financial assistance to meet their own needs for academic activities, libraries etc. At the same time, the Council is also thinking in terms of approaching industry for grant for specific research activities. As a first step in this direction, the Central Board of Direct Taxes was approached for securing exemption for donations given by industry to the Institute, by getting the Institute recognised under Section 35(1)(iii) of the Income-tax Act. Though a negative reply has been received, efforts to get the exemption are continuing.

3. Company Law Committee

During the year the Company Law Committee has formulated the following suggestions/representations/views and submitted the same to the Government/ Council:

(1) Representation for amendment of the Companies (Branch Audit Exemption) Rules, 1961 to abolish the existing exemptions and provide only one exemption for cases of branches having a turnover of Rs. 2 lakhs or 5 per cent of the total turnover whichever is less.

(2) Suggestions for amendment to the Part II of Schedule VI to the Companies Act requiring disclosure about the nature of other service payments to the auditor.

(3) Views on the Notification No. G.S.R. 28-1-71-CL.V dated 9th October 1971, altering Part II to Schedule VI to the Companies Act.

(4) Views on a reference by the Government as to the treatment of depreciation during the period of construction of a Company.

Companies (Amendment) Bill, 1972

The Companies (Amendment) Bill, 1972, was introduced in the Parliament on the 11th August 1972. The Bill seeks to amend various provisions of the Companies Act, 1956, and some of them have far-reaching consequences on the profession. Among the important provisions affecting the profession are the following:—

(a) Amendment of Section 224 to provide that a retiring auditor shall not be reappointed without prior approval of the Central Government, if he or the firm in which he is a partner has been the auditor of the company for three consecutive financial years preceding the year in which the annual general meeting is held or ought to have been held. The object and reason assigned for this amendment is that the existing practice "has resulted in concentration of audit in a few established firms of auditors and has tended to create close association between the auditors and a group of companies".

(b) Addition of new Section 224A to provide that in case of a company in which not less than twenty-five per cent of the subscribed share capital is held, whether singly or in any combination, by:—

(i) a public financial institution or a Government company or Central Government or any State Government, or

(ii) any financial or other institution established by any Provincial or State Act in which a State Government holds not less than fifty-one per cent of the subscribed share capital, or

(iii) a nationalised bank or an insurance company carrying on general insurance business,

the appointment of re-appointment of an auditor shall have no effect unless approved by the Central Government.

(c) Amendment of Section 233B to provide that if the Central Government is of opinion that sufficient number of cost accountants are in practice and are available for conducting the audit of the cost accounts of any company, that Government may, by notification in the Official Gazette, direct that, on and from such date as may be specified in the notification, no Chartered Accountant shall conduct the audit of cost accounts of any company.

(d) Amendment of Section 2(45) to provide that only individuals shall act as 'Secretary' to a company and the Central Government shall prescribe the qualifications of such Secretary. By introducing a new section 383A, it is also proposed to provide that every company having a paid up capital of not less than Rs. 25 lakhs shall have a whole-time Secretary.

(e) Addition of new Section 619B to extend the provisions of section 619 to certain more companies by deeming them as Government companies.

The Bill having been referred to a Joint Committee of Parliament, a memorandum is being submitted to the Joint Committee for its consideration. A delegation of the Institute will also appear before the Joint Committee for making oral submissions.

4. Post Graduate Courses

(a) *Seminars etc.*

The Post-Graduate Course Committee carried out several activities for popularising Management Accounting, both among members and in government, business and industry. Several programmes aimed at imparting training and education to the members in this field were organised during the year.

The details about five Seminars held upto August 1971 have already been included in the last report. The titles and dates of the Seminars are mentioned below for ready reference:

Seminar on "Trends in Regulatory Accounting" held at Jaipur on the 8th, 9th and 10th April 1971.

Seminar on "Cost Audit" held at Calcutta on the 6th, 7th and 8th May, 1971.

Seminar on "Analysis of Financial Statements" held at Srinagar on the 19th, 20th, 21st and 22nd May, 1971.

Seminar on "Capital Investment Appraisal" held at Poona on the 29th and 30th May, 1971.

Seminar on "Modern Trends in Auditing" held at Panaji—Goa on the 19th 20th and 21st August, 1971.

In addition to these, an Appreciation Programme in General Management for Chartered Accountants was held at the Hotel Blue Diamond Poona, from 16th to 20th April, 1972. The objectives of the programme were—

—to familiarise the participants with problems involved in the functional areas of management, e.g. Finance, Marketing, Production and Personnel and their inter-relationships;

—to familiarise the participants with modern concepts and techniques of management available for such problem solving;

—to develop an overall concept of the organisation by case study discussions involving business policy and corporate strategy.

The registration fee for the course was fixed at Rs. 600 to cover the cost of tuition, room, board and educational material. 39 participants were registered for the course. The faculty for the course consisted of Professors B. K. Hedge, A. A. Karim, S. C. Kuchhal and G. R. Kulkarni, all from the Indian Institute of Management, Ahmedabad

(b) *Continuing Education Programme*

A unique opportunity to all members is offered under the comprehensive programme of continuous education to keep abreast of the latest advances in the field of knowledge. The Post Graduate Course Committee held three Seminars upto August 1972 as mentioned below:

(1) Seminar on "Costs for Decision Making" held at Bangalore in June 1972.

(2) Seminar on "Effective Cash Management" held at Madras in July 1972.

(3) Seminar on "Basic Data Processing Concepts and Techniques" held at Bombay in August 1972.

(c) *Scholarships*

During the year under Report, scholarships of Rs. 500 each were granted to 9 members for the purchase of books. These have been paid from the funds collected by contributions as also from the funds of the Council.

(d) *Examination and Training*

The particulars of the number of members who appeared and were declared successful at the May and November 1971 Management Accountancy Examination (Part I of the Course) are given in Appendix IV.

At the end of the year, 30 members were engaged in practical training for Part II of the Course. In the preparation of their thesis, they are being guided by senior executives and accountants in industry.

5. Expert Advisory Committee

From 1st April, 1971 to 31st March, 1972 three queries were received of which one query has been replied within the year. The remaining two queries are under active consideration of the Committee. In addition, opinions have been rendered, during this year, on two more pending queries that had been received prior to 1st April, 1971.

6. Employment Committee

The number of members on the Employment Register on 31st March 1972 was 108 as against 152 on 31st March, 1971. Since the number of candidates who had got themselves enrolled on the Employment Register has gone down, there is indication that the employment situation had improved.

An announcement was published in the Journal of the Institute for December 1971 regarding better opportunities for employment of Chartered Accountants offered by the State Bank. Needless to say, the members would avail of the better opportunities offered as and when vacancies were notified.

Another announcement was published in the Journal of the Institute for January 1972 calling for bio-data from members for being forwarded to the Industrial Development Bank of India which was engaged in the preparation of a panel of experts who would act as executives of industrial concerns assisted by them. More than 200 applications were received from members and these were forwarded to the Industrial Development Bank of India for further action.

7. Taxation

A memorandum on Finance (No 2) Bill, 1971 was submitted to the Minister for Finance in July 1971.

A pre-budget memorandum was submitted to the Minister for Finance in March 1972.

A memorandum was submitted to the Government of India and to the Select Committee on the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1971, in November 1971. Oral evidence was also tendered by the representatives of the Institute in December, 1971.

A memorandum was submitted to the Select Committee on the Central Sales Tax (Amendment) Bill, 1971 in November 1971. Oral evidence was also tendered by the representatives of the Institute in January 1972.

The Fourth All India Seminar on Taxation was held at New Delhi on the 7th and 8th April 1972. The Seminar, which was attended by more than 250 delegates from all over the country, was inaugurated by Hon'ble Shri Y. B. Chavan, Minister for Finance, Government of India.

The Seminar discussed, at three technical sessions, papers contributed by 16 paper-writers. The three technical sessions were presided over by Shri K. E. Johnson and Shri H. A. Shah, Members, Central Board of Direct Taxes, and Shri R. D. Shah, Chairman, Central Board of Direct Taxes.

Shri Sukumar Bhattacharya and Shri P. M. Narievala were the Commentators in the second and third technical sessions. Shri K. P. Bhargava, Commentator for the first technical session, could not be present under unavoidable circumstances.

Shri I. P. Gupta, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, was a guest speaker in the first technical session.

The President (Shri A. B. Tandan) has been nominated by the Government (Central Board of Direct Taxes) on a Study Group formed by it for examining the existing forms of the returns of income and net wealth and for making recommendations regarding the modifications necessary in those forms.

The Council has submitted to the Government its views on the various recommendations contained in the Direct Taxes Enquiry Committee (The Wanchoo Committee).

8. Unjustifiable removal of auditors

A case of an alleged unjustifiable removal of auditors was reported to the Council where the existing auditors were removed and new auditors were appointed, as per resolution passed at an adjourned Annual General Meeting. Since under the general law of meetings no new business could be taken up at the adjourned Annual General Meeting and moreover since it was specifically mentioned in the Articles of the company that such business could not be adopted at the adjourned Annual General Meeting it was held that the appointment of the new auditors was irregular and invalid. The parties were informed accordingly.

Another case was reported where the appointment of a firm of Chartered Accountants as joint auditors along with the existing auditors was made without special notice being given by the company under Section 225(1) of the Companies Act. It was held that the appointment was valid and the parties were informed accordingly.

9. University Liaison Committee

For some time past the University Liaison Committee has been considering how best it could help the members who are associated with the Universities and Colleges as Professors and lecturers. In order to assess the number of Chartered Accountants engaged in teaching jobs, a survey was made by the Committee. As a result of this survey it was revealed that only a few universities were utilising the services of the Chartered Accountants. The Committee was deeply concerned to find that a large number of Universities does not consider the membership of the Institute as adequate qualification for teaching students at graduate and post graduate levels. The Committee took up the matter with the Universities and as a result of its continuous efforts, certain Universities namely, Gujarat University, Bombay University, Punjabi University, Karnatak University and Aligarh University, have agreed to recognise membership of the Institute as adequate qualification for

purposes of teaching of the student in Universities and Colleges affiliated with them at graduate and post-graduate levels. The Committee is continuing its efforts for recognition of the membership of the Institute by the Universities which have not yet taken any decision in the matter.

Recognition of membership for Ph.D courses.

Apart from recognition of the membership of the Institute by several Universities for teaching graduate and post-graduate students, the following Universities have also agreed to consider the membership of the Institute as equivalent to M.Com. Degree for purpose of registration for Ph.D course.

Universities	Conditions
(1)	(2)
1. Banaras Hindu University, Varanasi.	Chartered Accountants holding a graduate degree of a recognised University are considered as equivalent to M. Com. degree of the said University for purposes of enrolment as Ph. D. research scholars in Commerce.
Udaipur University, Udaipur	A graduate who has passed the Intermediate and Final Examinations of the Institute will be considered to have passed an examination equivalent to the Master of Commerce in Accountancy and Statistics of Udaipur University and is considered fit for enrolment as Ph. D. research scholar in Accountancy and Statistics in the Faculty of Commerce.
3. University of Panjab, Chandigarh	Members of the Institute who are graduates and are engaged wholly or partly in teaching in a college affiliated to that University or a teaching department of that University are eligible for enrolment as research scholars of the University.
4. Bombay University, Bombay	A member holding the B.Com. degree of that University or of any other University recognised as equivalent thereto, is eligible for enrolment as a student for the Ph. D. degree in Commerce of the University.
5. Kerala University, Trivandrum.	Chartered Accountants are eligible for registration for Ph. D. on Management studies under the Faculty of Commerce of the University.
6. Punjabi University, Patiala.	Chartered Accountants are permitted to do research leading to M. Litt./Ph. D. degree in the faculty of Business Administration and Commerce as also in subjects allied thereto in other faculties provided they fulfil other rqeuirements of the ordinances relating to M. Litt./Ph.D. degree of the University.
7. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, (Gujarat).	Chartered Accountants are eligible for admission to Ph. D. degree course in Commerce faculty of the University provided such acndidates hold basic degree in Commerce.
8. Vikram University, Ujjain.	Chartered Accountants holding a graduate degree are considered as equivalent to M. Com. degree of the University for purposes of registration for Ph.D. in the University.
9. Aligarh Muslim University, Aligarh.	The fellows of the Institute of Chartered Accountants (F.C.A.) with B.Com. degree ordinarily having first or high second class be treated eligible for admission to the degree of Doctor of Philosophy in Commerce subject to their qualifying the requisite test conducted by the Department to select the candidates.

16. The companies amendment bills by Shri Chintamani Panigrahi and Shri S. C. Samanta—memoranda to Government.

In so far as the Bill of Shri Chintamani Panigrahi is concerned, it was introduced before the last Parliament and a memorandum thereon was submitted to Government, as mentioned in the last report. This Bill, however, lapsed and was re-introduced before the present Parliament and a supplementary memorandum on the Bill has been submitted to Government.

It may be recalled that this Bill 'inter alia' seeks to provide that no person shall hold office at the same time as auditor in more than five companies, in which not more than two, if any, shall be public companies.

It was explained in the supplementary memorandum submitted that while the Council agrees that all efforts should be directed to achieve an equitable grow of the profession, the means suggested by the author to achieve this end are not reasonable. The attention of the Government was drawn to the self-regulatory measures passed by the Council and it was urged that these being the authoritative expression of the desire of the members for self-fulfilment and professional development, it would not be reasonable to rush in with any legislation so soon after the Council itself had passed the said resolution.

The second Bill, namely, that of Shri S. C. Samanta, 'Inter alia' sekes to provide that the auditors shall be only "selected" by the companies and that the selection will have to be approved by the Central Government.

In the Memorandum submitted on this Bill, it was pointed out to Government that in the absence of any statistical or other evidence to support the contention that accounts of companies are not being properly audited, it will not be fair to cast any doubt or aspersions on the professional competance of the members of a learned and independent profession. An offer was made to Government that if they had any information in their possession in this behalf, the same should be forwarded to the Council so that it could take appropriate action under the provisions of the Chartered Accountants Act. It was explained that the proposal would undermine the independence of auditors by making them subservient to a Government appointing authority and a suggestion was made that if the aim was to ensure independence of auditors, it could be better achieved by providing in the Companies Act that the auditors shall be appointed for a term of five years. It was pointed out that in France the auditors were being appointed for a term of six years to ensure their independence. The other shortcoming and difficulties inherent in the proposal were pointed out and it was urged that the right of the shareholders, who are really the owners of the companies, to appoint auditors of their own choice, should not be taken away.

11. Journal of the Institute "The Chartered Accountant"

In the year under report, many steps were taken to improve the quality and utility of the Journal. A Special Number of the Journal on the theme of "New Strategy for Economic Development" was published in June 1971. Several new monthly features have been added to the Journal. The Journal itself has been given a new look. Vigorous efforts have been made to increase the advertisements. The average net circulation has increased from 12218 copies per month to 15201 copies.

12. Publications

The following publications have been printed during the period under report:—

(1) Code of Conduct (revised edition).

(2) Proceedings of All India Conference of Chartered Accountants—1969.

(3) Cost Accounting Records Rules under the Companies Act, 1956, and companies in electrical motor industry.

IV. OTHER MATTERS

1. Review Committee

At its meeting held in March 1972, the Council appointed a Review Committee for making a detailed examination of the working of the Institute and the professional problems. The Committee consists of the following members:—

(1) Shri A. B. Tandan, Chairman.

(2) Shri R. K. Khanna, Vice-Chairman.

(3) Shri S. K. Gupta, Member.

(4) Shri N. C. Krishnan, Member.

(5) Shri B. S. Mehta, Member.

The terms of reference of the Committee are as under:—

"1. (a) Improvement in the Secretariat—its internal systems, budgeting, appraisal, communication, information flow and the general quality of the service to the Council and its committees and the members and students of the Institute.

(b) Improvement in the operations of the Council—its internal deliberative and decision-making processes with a view to providing the profession with dynamism and growth.

2. Suggesting ways and means of removing the causes of the existing dissatisfaction, especially among the younger members.

3. Improving the means of communication between the Council on the one hand and the members and students of the Institute on the other, for a better understanding of the problems facing the profession.

4. Improvement in the knowledge-level and academic inputs and their updating, so that the chartered accountant of tomorrow is fully equipped to meet the growing needs of the Industrial and commercial enterprises as well as the State and the Society."

As mentioned elsewhere in this Report, the Committee has started functioning and a questionnaires to all members of the Institute has been issued through the Journal in so far as item No. 2 of the terms of reference is concerned. The Committee is also looking into the other matters referred to it.

2. The Chartered Accountants Act and Regulations

(a) The Council has appointed a Codification Committee, under the Chairmanship of Shri A. B. Tandon, President, for a review of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, and the Chartered Accountants Regulations, 1964, for the purpose of suggesting amendments therein in light of the experience and difficulties encountered.

(b) A suggestion has been made to the Central Government that Section 5(3) of the Chartered Accountants Act should be amended to provide that fellowship should also be conferred on a member who completes a post-graduate course conducted by the Institute.

(c) The Council has approved a number of changes in the election regulations which are in the process of being introduced. Some of the more important ones in which members may be interested are:—

(1) The list of voters shall be prepared as on the 1st April of the year of election. (At present such list is prepared on a fixed date in the month of October or November in the year previous to the year of election).

(2) The eligibility to stand for to vote in the election would not be linked up with the payment of fees and everyone whose name appears in the list of voters shall be eligible, unless his name is removed from the Register before the date of election.

(3) The addresses of the polling booths in the case of city having more than one booth located in different parts of the city, shall be published in the Journal of the Institute two or three months before the publication of the list of voters, alongwith a perforated card on which members could indicate their preference for the polling booth before hand. In addition, members would also be allowed 15 days' time, after publication of the list of voters, to ask for a change in the polling booth within the city.

(d) Other changes to be introduced in the Regulations include the amendments to give effect to the recommendations of the Special Committee on Education and Training which was appointed by the Council in September 1968 and whose report was accepted by the Council, with minor changes. The salient features of these recommendations were mentioned in the last report.

(e) Regulation 136 was amended to extend the jurisdiction of a branch of a Regional Council from a radius of 10 miles to a radius of 50 miles.

(f) Regulation 29 is being amended to provide that the main occupation of a member wishing to train articled clerk/s shall be practice not only at the time of taking the apprentice but also during each of the qualifying years.

3. History of the Accountancy Profession in India

Vigorous efforts are continued to be made to bring out the History of the Accountancy Profession in India as early as possible. The History is expected to be ready by end of 1972.

4. Reciprocal recognition of membership

As already mentioned in the last report, the question of recognition of membership of the Institute, on a reciprocal basis, was taken up with a number of overseas accountancy bodies. The matter is being vigorously pursued and as soon as any definite conclusion is reached with any one of the organisations, an announcement will be made in our Journal.

In addition to the approach made to the American Institute of Certified Public Accountants, some of the State Boards in U.S.A. have also been approached for a reciprocal recognition of membership.

5. Offer of help to Bangla Desh

The Council at its meeting held in March 1972 decided to make its contribution in the National reconstruction of the newly born independent nation of Bangla Desh. Being convinced of the relevance of public accountability in any democracy engaged in the process of economic development, the Council felt that establishment and development of the accountancy profession in an organised manner in Bangla Desh was an area in which the Council could make a tangible contribution. The Council has therefore offered to give all possible help to Bangla Desh in case its government decides to establish an autonomous Institute of Chartered Accountants and approaches our Government for such assistance.

6.Appeal for donations to Bangla Desh Relief Fund and National Defence Fund

In response to the appeal of the President, we received a total sum of Rs. 571 towards contributions to Bangla Desh Relief Fund and a sum of Rs. 13,742 towards National Defence Fund.

7. Library

During the year 635 books were added to the Central Council Library at New Delhi. Increasing use of the Library was made by members and students as would be clear from the following figures.

Year	*Attendance*	*No. of books Consulted*
1967-68	4810	7800
1968-69	4990	8300
1969-70	5200	9000
1970-71	5500	9500
1971-72	5900	10200

In addition books are being sent from the Central Council Library at New Delhi, by post to members who are preparing for the Post Graduate Course, and residing outside Delhi.

The Council sanctioned a total amount of Rs. 42,000 for the purchase of books for the Regional Council libraries. The number of books at the central library and regional centres are given below:—

Central Library, New Delhi	9727
Western India Regional Council	4008
Southern India Regional Council	4428
Eastern India Regional Council	3876

8. Nominees of the Institute on other bodies

The Institute is represented on the following outside bodies by its members whose names are given against the names of the organisations:

Name of the Body	*Name of the representative*
(1)	(2)
(1) The General Council of the Institute of Applied Manpower Research	Shri A. B. Tandan
(2) The National Productivity Council	Shri Bansi S. Mehta
(3) The All India Board of Technical Studies in Commerce	Shri P. B. Vijayaraghavan.
(4) The All India Board of Technical Studies in Management.	Shri P. K. Mall'k
(5) Board of Assessment of the All India Council for Technical Education for advising Central and State Governments on recognition of technical and professional qualifications	Shri G. Saha
(6) Study Group for Commercial subjects—Directorate General of Employment and Training. . . .	Shri S. G. Argade
(7) Study Group for examining the existing forms of the returns of income and net wealth.	Shri A. B. Tandan.
(8) Standing Committee on Commerce of the Indian Council of Social Science Research	Shri H. M. Damania
(9) Working Group on managerial personnel for formulating the five-year plan	Shri H. B. Dhondy
(10) Inter-University Board of India and Ceylon—Committee for assisting in the preparation of a code of financial procedure for Universities.	Shri B. R. Malhotra & Shri Mahesh Datta

9. The Institute of Company Secretaries of India

(1) A representation was made to the Institute of Company Secretaries of India against the withdrawal of certain concessions which were earlier available to members of our Institute or those who have passed our examinations. It was urged that—

(a) students who have passed our Intermediate Examination should be given exemption from their Preliminary Examination.

(b) Members of our Institute/persons who have passed our Final Examination should be completely exempted from the Preliminary and Intermediate Examinations.

(c) Members of the Institute/persons who have passed our Final Examination should also be exempted from the papers on Advanced Accountancy, Mercantile Law, Economics and Company Law & MRTP Act of the Final Examination.

(d) The provisions which were earlier contained in Rule 6 regarding enrolment of Chartered Accountants/persons who have passed our Final Examination as members of the Company Secretaries Institute on their satisfying certain prescribed criteria, should be revived.

A proposal has been received from the Institute of Company Secretaries for a reciprocal recognition of membership or in the alternative for granting recriprocal exemptions from certain papers of the examinations of the two Institutes. While the Council is not in favour of a reciprocal recognition of membership as such the question whether there should be any exemption from some of the examination papers is being studied.

(2) The Institute of Company Secretaries of India issued a notice in August 1971 inviting applications till 31st December 1971 'inter-alia' from Chartered Accountants who had "on the date of application" been holding a responsible position in the Secretarial Department of a public limited company/statutory corporation for a continuous period of five years or as Company Secretary for a period of three years, to the satisfaction of the Council of that Institute. A representation was made to them that the experience of hose Chartered Accountants who have held the requisite positions in the past for the prescribed period should not be ignored merely because, on the date of applications they were not holding such positions. Since the reply received from the Institute of Company Secretaries was not very helpful, the matter has been taken up with Department of Company Affairs.

(3) The Council has received several representations from members of the Institute about the manner in which their applications for membership of the Institute of Company Secretaries, submitted under the above notices have been rejected without giving adequate consideration to their experience. In some of these cases, members affected are working in private limited companies and their applications appear to have been rejected on the technicality that the notice refers to experience in "Public Limited Companies". There have been other cases also where the experience of members working even in public limited companies and occupying positions of the requisite standard have been rejected without assigning any reasons.

In respect of all these matters, the issue has been taken up with the Department of Company Affairs.

10. The Chartered Accountants' Benevolent Fund

During the year the number of members increased from 169 to 175 and a sum of Rs. 6,900 was disbursed The balance to the credit of the Fund at end of the year stood at Rs. 66,763 as against Rs. 66,835 at the end of the previous year.

The Chairman has addressed suitable letters to the various organisations in which Chartered Accountants had served for 10 years or more requesting them to pay the life membership fee in respect of the Chartered Accountants employees duly apprising them of the benefits arising therefrom. It is hoped that this appeal will bring good results.

11. S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

Two scholarships of Rs. 50 each tenable for one year were granted to the articled clerks serving in the Central India Region. In addition, two merit scholarships also of Rs. 50 each tenable for one year were granted to students who had secured one of the five positions in the Intermediate Examination held in May 1971 but were not eligible to the scholarships under the merit and loan scholarship scheme and another two scholarships to those who secured similar positions in the Intermediate Examination held in November 1971.

The number of members of the Fund increased during the year from 33 to 35. At the end of the year the balance to the credit of the Fund was Rs. 23,603 as against Rs. 23,745 at the end of the previous year. The Chairman has addressed letters to various Industrial organisations in which the students were undergoing industrial training with a request to provide financial aid to the Fund for the purpose of paying scholarship to them for the remaining period of their training by depositing with the Fund amounts equivalent to Rs. 100 multiplied by the number of students multiplied by the number of months remaining for the completion of their training. These industrial organisations have also been informed by the Chairman that this scheme would be subject to the undertaking given by the students undergoing industrial training to serve these organisations for a minimum period of two years after completion of their training on a reasonable grade of pay admissible to the category in which they would be employed. It is hoped that the various industrial organisations will cooperate in making the scheme successful.

V. CONFERENCES

1. Tenth International Congress of Accountants

As mentioned in the earlier reports, the Council is sending a delegation for attending the Tenth International Congress of Accountants to be held in Sydney, Australia, from 16th to 20th October 1972. The Council had selected 76 members to form the delegation to the Congress but the Government of India have not agreed to release the foreign exchange for remitting the registration fees or for meeting the expenses of travel and stay in Australia for more than four delegates.

2. Eleventh International Congress of Accountants

An invitation has been extended jointly with the Institute of Cost and Works Accountants of India for the Eleventh International Congress, which is scheduled to be held in 1977, to meet in India. If the invitation is accepted, and there are strong chances for its acceptance, this will be the first occasion that an International Congress of Accountants will be meeting in our country. It is hoped that the acceptance of the invitation will make a significant contribution to the development of the accounting profession not only in our country but also in the Asiatic region and will undoubtedly give a fillip to the development and progress of accounting thought and concept in this part of the world.

3. Seventh Conference of Asian and Pacific Accountants

The Seventh Conference of Asian and Pacific Accountants will be held in November 1973 in Bangkok (Thailand) and is being organised by the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand. The objectives of the conference in bringing together official representatives and observers of the various accounting professional bodies in the area are to discuss:

(a) means of developing their services to their respective members and their respective communities in accountancy education including the continuing education for professional men in accounting research, in ethical professional conduct and related activities;

(b) means of developing professional standards, practices and techniques at national and international levels.

The Council has accepted the invitation of the organizers to send a delegation and an announcement has been made in the Journal of the Institute inviting applications from members interested in attending the conference at their own expense.

4. All India Conference of Chartered Accountants

The Council has decided to hold the next All India Conference of Chartered Accountants at Bombay from 25th to 28th January, 1973.

A Conference Committee consisting of the present President as the Chairman, the present Vice-President as the Vice-Chairman and members of the Council from the Western India Region as also the present office bearers of the Western India Regional Council as its members, has been appointed.

An announcement regarding the conference has been made in the Journal of the Institute.

VI. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

Regional Councils

Change in Election Rules

The Directions governing the branches of regional councils have been amended to provide that the election of the members of the Managing Committee shall be conducted by ballot in place of show of hands.

Regional Councils continued to function in five Regional Constituencies viz. Western (Bombay), Southern (Madras), Eastern (Calcutta), Central (Kanpur), and Northern (Delhi). The Regional Councils were active and arranged several conferences, seminars, lectures, Study Circle meetings etc.

Branches of the Regional Councils

A new Branch of the Southern India Regional Council at Trivandrum has been set up. In addition to the above 5 existing branches of the Western India Regional Council viz. Ahmedabad, Baroda, Poona, Nagpur and Surat; 9 of the Southern India Regional Council at Bangalore, Coimbatore, Ernakulam, Hyderabad, Madurai Mangalore, Salem, Tiruchirapalli and Vijayawada and 3 of Central India Regional Council viz. Indore, Jaipur and Jamshedpur, continued to function.

VII. MEMBERS

1. Membership changes

The number of members of the Institute on 31st March 1972 was 12202, an increase of 975 since 31st March 1971. During the year under report 350 Associates were enrolled as Fellows as compared to 288 in the previous year. A table showing the number of members on 31st March 1972 compared to the members on 31st March 1971 is given as appendix V.

2. List of Members

The list of Members as on 1st April 1972 has been published and copies have been supplied to members who asked for the same.

The postal zone of numbers have also been published in the list after the addresses wherever the information was available.

3. Efforts to enrol more associates

The President had addressed individual letters to all those who have qualified for membership but have not enrolled themselves as members highlighting the activities which have been or are being undertaken by the Institute for the benefit of the members. In response to the said communication, 178 persons have got themselves enrolled as associate members of the Institute.

4. Enrolling fellow members

All members in industry who had not become fellows although they are entitled to do so, were approached by Council members and the Chairmen of the Regional Councils to get themselves enrolled as fellow members. In response the above, 16 members have so far got themselves enrolled as fellow members.

5. Permission to members to be engaged as sleeping partners in family business concerns

Since the setting up of the Institute in 1949, the Council has been proceeding on the assumption that engagement by members in practice in any other business or occupation, including engagement as partner in a business concern, was governed by clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, and Regulation 166 of the Chartered Accountants Regulations, 1964. Accordingly, under the Specific Resolution passed by the Council under Regulation 166, the Council has been permitting members in practice to engage as sleeping partners (with non-chartered accountants) in business concerns where the interest was acquired as a result of inheritance or as a result of partition of Hindu Undivided Family.

Clause (4) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act provides that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he "enters into partnership with any person other than a chartered accountant in practice or a person resident without India who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under clause (v) of sub-section (1) of section 4 or whose qualifications are recognised by the Central Government or the Council for the purpose of permitting such partnerships, provided that the chartered accountant shares in the fees or profits of the business of the partnership both within and without India".

Some time back, a question was raised whether in the face of provisions of clause (4) above, a member in practice could be permitted to be a sleeping partner in a business concern in which non-chartered accountants were also partners. Legal opinion on the question was obtained and we were advised that there is a complete and unequivocal prohibition under clause (4) against any type of partnership with non-chartered accountants, whether it is professional or otherwise, and therefore a chartered accountant in practice cannot enter into partnership of any kind and under any circumstances, with any other person except with another chartered accountant practising the profession.

The Council thereupon requested the Government of India to examine whether the above interpretation was the only possible interpretation and if so, clause (4) may be amended suitably to clarify that it applies to practice of the profession of accountancy, so that members could continue to be permitted to be sleeping partners in family business concerns.

The Government of India have informed that they concur with the legal advice given to us. Efforts to get the Government to agree to amend the clause (4) as above are continuing. However, since there is a possibility that the Government of India may not agree to the request for the amendment, all members who have been permitted to be sleeping partners in business concerns in the past have been informed that in the event of the Government not agreeing in the near future to the amendment as requested, they should be prepared to dissociate themselves from the business concern *latest by the 30th September, 1972.*

6. Disciplinary action

Details of the finding of the Council in the cases referred by it for enquiry to the Disciplinary Committee under Regulation 11(8)(i), since the last report, is given in Appendix VI.

7. Professional Communication

The following note on the subject was published in the Journal for May 1971:

> "There appears to be a misconception that the communication with the previous Auditor was required only to ascertain whether he had any objection to a new Auditor accepting the work. A large majority of the members does not seem to recognise that the communication was required for the protection of the new-comer as well. In order to remove this misconception the guide-lines given by the Council in the "Code of Conduct" in this regard are reproduced below for the information of members:
>
> "It must be pointed out that professional courtesy alone is not the major reason for requiring a member to communicate with the existing accountant who is a member of the Institute or a certified auditor. The underlying objective is that the member may have an opportunity to know the reasons for the change in order to be able to safeguard his own interest, the legitimate interest of the public and the independence of the existing accountant. It is not intended, in any way, to prevent or obstruct the change. When making the enquiry from the retiring auditor, the one proposed to be appointed or already appointed should primarily find out whether there is any professional reason why he should not accept the appointment."

It has also been made clear in the "Code of Conduct" that in the opinion of the Council it would be a healthy tradition if the practice of communicating to the member who had done the work previously is followed in every case where a

Chartered Accountant is required to give a certificate on a verification of the books of accounts as well as in cases where he is appointed as a Liquidator, Trustee or Receiver and his predecessor was a Chartered Accountant.

8. Appointment of Joint Auditors—need for communication

The following note on the subject was published in the Journal for February 1972:

> "The question has been raised of whether in the case of appointment of Joint Auditors where a new auditor has been appointed alongwith the one who had held the position as auditor previously it is necessary for the new auditor to communicate with the latter in writing and whether by not doing so the provision of clause (8) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, would be infringed.
>
> It is notified for the guidance of the members that as a matter of professional courtesy and professional obligation it would be a requirement under Clause (8) of Part I of the First Schedule, for the new auditor appointed to act jointly with the earlier auditor, to communicate with such earlier auditor."

9. Lapel Button and Tie-Pin for members

The Council at its meeting held in March 1972, has accepted the proposal for the introduction of a Lapel Button and Tie Pin to be used by the members of the Institute. These will be supplied to members on payment.

VIII. THE ANNUAL AWARD FOR THE BEST PRESENTED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1972.

During the year under report, 126 entries were received for the competition for the best presented accounts.

The following awards were made:—

Institute's Shield for the best presented accounts during the year 1969-70.

Glaxo Laboratories (India) Limited, for its annual report and accounts for the year ended 30th June 1969.

Institute's Plaques for highly commended accounts.

Indian Telephone Industries Ltd., for the year ended 31st March 1970.

Kesoram Industries and Cotton Mills Ltd., for the year ended 31st March 1970.

State Bank of India for the year ended 31st December, 1970.

IX. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

1. The number of articled and audit clerks registered during the year, compared to those registered in the preceding year are given:

	1971-72	1970-71	*Total No. of Students*
Articled clerks	2751	2851	5602
Audit clerks	1275	1101	2376
	4026	3952	7978

2. Amendments to implement the recommendations of the Special Committee on Education and Training

Amendments in the Chartered Accountants Regulations to implement the recommendations of the Special Committee on Education and Training were intended to be brought into force from 1st of July 1972. This date has passed but the

approval of the Central Government has not been received. Therefore, an announcement was made in June 1972 issue of "The Chartered Accountant" that these will be brought into force as and when the Government approval is received and that before the changes are actually introduced, sufficient advance notice will be given to all concerned through the columns of "The Chartered Accountant"

3. Maintenance of list of vacancies of articled clerks

The Council has prepared a list of vacancies of articled clerks available with the members of the Institute all over the country. This list contains the names of the members of the Institute with their full postal addresses town-wise and region-wise and also the date or dates on which the vacancies would arise. Students desirous of taking up the course may refer to the list at the headquarters of the Institute at Delhi and also at the offices of the Regional Councils at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and also at branch offices of the Regional Councils.

The list has also been sent to all important Commerce Colleges throughout the country to help the students Community as a whole.

4. Gazetted holidays to articled and audit clerks

On persistant demand from the audit and articled clerks for a specific direction on the point whether they are entitled to avail Gazetted holidays, the Council has decided that the Chartered Accountants training audit and articled clerks will observe all Central Government Gazetted holidays in their establishments with a view to making these holidays available to audit and articled clerks working under them. The Chartered Accountants may at their discretion, observe any other holiday in substitution of a Gazetted holiday, to suit their convenience, in such a manner that the number of holidays remains the same as announced by the Central Government.

5. Leave during examination days

The Council has also decided that the articled and audit clerks appearing in the examinations of the Institute shall not be treated as on leave during the days of their examinations.

6. Main occupation of the members in the qualifying years of practice for training audit and articled clerks

The Council had taken a decision some years back that the main occupation of a member wishing to train an articled clerk should be the practice not only at the time of taking an audit or articled clerk but also in each of the qualifying years of his practice. However, in carrying out the amendment in Regulation 29, this purpose was not clearly brought out. The Council has now decided to suitably amend the regulation to remove the existing ambiguity.

7. Hostels for students

It has already been reported that an Educational Trust for providing hostel facilities to students has been set up by the Western India Chartered Accountants Students' Association.

The objects and activities of the Students' Associations have been enlarged to include the function of constructing hostels for the students and raising funds for this purpose by donations from members, students and others, through such means as might be approved by the Council, by an amendment in the Chartered Accountants Students Associations Rules.

With this amendment, it is hoped that construction activities of hostels in all regions will gain a momentum.

8. Coaching board

(a) *Strength.*—During the year under report, 3993 students were enroleld for the Intermediate Course as against 3451 in the previous year. For the Final Examination 1230 students commenced tuition as against 2147 in the previous year. The number of students who completed tuition during the year was 2710 for the Intermediate Course as compared to 2773 in the previous year. Also 2168

and 2136 students completed tuition for Group I and Group II for the Final Course as compared to 1372 and 1356 students respectively in the previous year. The details are in *Appendix VII* to the report.

(b) *Service to students.*—The Coaching Baord has been trying to have a 'feed back' on its work. In this pursuit, all opportunities are taken to obtain the views of students as well as part-time examiners. One-day seminars of part-time examiners were held between June and September 1971 at Bombay, Madras, Calcutta and Delhi Out of these quite a few significant suggestions, *e.g.*, organisation of study group of students, attachment of a particular student to a particular examiner in respect of one subject, etc., emerged and these are receiving the attention of the Board. A study group in Taxation is already functioning in Madras.

The Board decided at its meeting held in March 1972 to have a survey among the students to ascertain their view point in respect of the study materia and the test papers. This is already being conducted. The Board has also decided that as an experimental measure at five places in the country, a member of the Institute should be requested to keep himself free for a full day for meeting students and removing their academic difficulties.

(c) *Study Material.*—Improvement of the study material has been the constant endeavour of the Board: it is being constantly brought up to date. A recent change brought about is that a large number of 'objective' type of questions together with very brief answers are given at the end of study papers. These are intended to enable the student to ascertain for himself whether or not he has grasped the subject correctly.

At present, the Board is engaged in the preparation of study material that will be required for the new syllabi which are likely to be introduced shortly.

(d) *Students' Libraries.*—During the year, the Board sanctioned the setting up of a students' library at Trichur, thus bringing the total number of such libraries to 24, including those at the Regional Headquarters. The Board is aware that the students' libraries at various places have to be strengthened to meet the requirements of the new syllabus as recommended by the Special Committee and accepted by the Council.

(e) *Revision Classes.*—These continue to be popular and are being held at 9 centres in addition to the three Regional headquarters. At Madras, the Intensified Course continues to be very popular.

(f) *Other facility provided to students.*—The facilities referred to in the previous report were continued in 1971-72 also.

These are:

(a) A short course in English;

(b) Incentives for contribution to students' page in the Institute's Journal,

(c) Declamation Contests carrying a first prize of Rs. 100 and a second prize of Rs 50 (in books) at Regional headquarters and Branches.

(g) *Publications.*—The Coaching Board is uptodate in respect of Volumes of Suggested Answers to the questions set at the Institute's Examinations. The volumes in respect of November 1971 examinations have already been published and are on sale.

(h) *Merit and Loan Scholarships.*—During the period under review, ten Merit and nineteen Loan Scholarships have been awarded.

The comulative total of scholarships awarded till 31st March 1972 is as follows:

Merit Scholarships	60
Loan Scholarships	97

The recipients of the Loan Scholarships have started returning the amount of Loan in prescribed instalments. So far 10 students have repaid the loan in entirety, while another 12 students have started repaying the requisite instalments.

(i) *Technical Staff.*—At present, the Board has three Assistant Directors of Studies, four Deputy Directors of Studies in addition to the Director of Studies. During the year, Shri Kamal Gupta joined service as Deputy Director of Studies.

9. Students Associations and their Branches

(a) The Students Associations and their Branches continued to be very active during the year and held a number of impressive programmes. It was in this year that the 3rd All India Students Conference was held at Madras under the aegis of the Southern India Chartered Accountants Students Association.

(b) *Directive of the Central Council:*

The Council has issued a directive to all Students' Associations and their Branches that in future, copies of the notice sent for every meeting of the Managing Committee to its members, the agenda for the meeting, the minutes of the meeting as also of the notice, agenda and minutes of their general body meetings should be sent, simultaneously with their issuance, to the Central Council and to concerned Regional Council.

(c) *Branch of the Central India Chartered Accountants Students' Association at Indore:*

The Council has decided to set up a Branch of the Central India Chartered Accountants Students' Association at Indore.

(d) *Subscription for Membership of the Students' Association:*

With a view to providing more funds to the Students' Associations and their Branches to increase their activities the rate of subscription has been increased from Rs. 5 to Rs. 10 with effect from 1st April 1971.

(e) *Change in the Election Rules:*

The Directions governing the Branches of the Students Associations had been amended to provide that the election of the members of the Managing Committee shall be held by ballot in place of show of hands.

X. EXAMINATIONS

1. Examinations 1971

The examinations were held as usual in May and November 1971 at various centres all over India. New examination centres were opened at Jodhpur and Rajkot. The statistics regarding the number of candidates who appeared and those declared successful are given in *Appendix VIII.*

2. Prizes and Certificates of Merit

Names of the candidates who were awarded Prizes and Certificates of Merit in these examinations are included in Appendix IX.

XI. OBITUARY

1. Death of Council Members

The Council is sorry to record the sad demise of three of its past members, namely:

(1) Mr. F. A. Cole on 27th December, 1971.

(2) Shri R. N. Rajam Aiyar on 21st February, 1972.

(3) Shri F. H. Vallibhoy on 2nd March, 1972.

Condolence resolutions were passed by the Council and sent to the bereaved' families.

2. Death of members

The Council records with regret the sad demise, during the year, of the members whose names are given in *Appendix XI.*

XII. APPRECIATION

The Council wishes to place on record its grateful thanks to the Government for its continued support and assistance.

The Council also wishes to place on record its appreciation of the work done by the officers and staff during the year under report.

(Sd.) BALAKRISHNAN,
Secretary.

(Sd.) R. K. KHANNA,
Vice-President.

(Sd.) A. B. TANDAN,

President.

NEW DELHI:

Dated: 29*th September*, 1972.

C. BALAKRISHNAN, Secy.

APPENDIX I

(Reference Section I-1 of the Report)

Members of the Council

Tandan, A. B – *President*

Khanna, R. K. – *Vice-President*

Argade, S G.	Bombay
Bhandari, M C.	Calcutta
Brahmayya, P.	Madras
Damania, H M	Bombay
Ganapathy, C. C.	New Delh
Ganesan, K.	Calcutta
Gupta, S K.	Calcutta
Haribhakt , V B.	Bombay
Kabra, B L.	Bombay
Krishnan, N.C.	Madras
Maheshwari, B.R.	Delhi
Mallik, P. K.	Calcutta
Mehta, B S.	Bombay
Mehta, M. C.	Indore
*Mota, H. N.	New Delhi
Parikh, Anil M.	Bombay
**Ranga, R. P.	New Delhi
Rao, H A K.	Bangalore
Saha, G.	Calcutta
Sen, R. N.	Calcutta
Shah, R D.	New Delhi
Sivaramakrishnan, A. K.	Madras
Talat , H M.	Ahmedabad
Tandon, P L.	New Delhi
Vijayaraghavan, P. B.	Madras

*Replaced Shri Pravin Chandra V Gandhi (Bombay) with effect from 17th September 1971 who was appointed in place of Shri B S. Kothari (Calcutta) from 11th June 1971.

**Replaced Shri H K. Mantra (New Delhi) with effect from 1st January, 1972.

APPENDIX II

(Reference : Section I-1 of the Report)

Members of the various Committees

(a) **Standing Committees**

(i) *Executive Committee* :

Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri S. K. Gupta
Shri A. K. Sivaramakrishnan
Shri H. M. Talati

(ii) *Examination Committee* :

Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri K. Ganesan
Shri B. R. Maheshwari
Shri B. S. Mehta

(iii) *Disciplinary Committee* :

Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri C. C. Ganapathy
Shri Anil M. Parikh
Shri G. Saha

(b) **Non-Standing Committee**

(i) *Research Committee*:

Shri R. N. Sen, Chairman
Shri P. L. Tandon, Vice-Chairman
Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri V. B. Haribhakti
Shri B. S. Mehta
Shri A. K. Sivaramakrishnan
Shri P. B. Vijayaraghavan
Shri Y. H. Malegam, Shri P. K. Nanda } Co-opted members

(ii) *Post-Graduate Course Committee* :

Shri H. M. Damania, Chairman
Shri P. B. Vijayaraghavan, Vice-Chairman
Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri P. K. Mallik
Shri H. M. Talati
Shri P. L. Tandon
Shri A. B. Rabadi, Shri M. P. Wadhawan } Co-opted members

(iii) *Profession Development Committee* :

Shri V B Haribhakti, Chairman
Shri H N Mota, Vice-Chairman
Shri A B Tandan, President (Ex-officio)
Shri R K Khanna, Vice-President (Ex officio)
Shri N C Krishnan
Shri P K Mallick
Shri R D Shah
Shri R R Khullar
Shri Rameshwar Thakur } Co-opted members

(iv) *Hindi Committee*

Shri B L Kabra, Chairman
Shri B R Maheshwari, Vice-Chairman
Shri A B Tandan, President (Ex-officio)
Shri R K Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri M C. Mehta
Shri P B Vijayaraghavan

(v) *Taxation Committee* :

Shri N C Krishnan, Chairman
Shri R D Shah, Vice-Chairman
Shri A B Tandan, President (Ex-officio)
Shri R K Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri B L Kabra
Shri B S Mehta
Shri G Saha
Shri S V Ghatalia
Shri G Narayanaswamy } Co-opted members

(vi) *Coaching Board*:

Shri P. B Vijayaraghavan, Chairman
Shri P K Mallik, Vice-Chairman
Shri A B Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri S. K. Gupta
Shri Anil M. Parikh
Shri H A. K Rao
Shri B R Malhotra Co-opted member

(vii) *Employment Committee* :

Shri M. C Bhandari, Chairman
Shri S. G. Argade, Vice-Chairman
Shri A. B Tandan, President (Ex-officio)
Shri R K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri M C. Mehta
Shri H N. Mota
Shri A. K. Sivaramakrishnan

(viii) *Expert Advisory Committee* :

Shri P. L. Tandan, Chairman
Shri V. B. Haribhakti, Vice-Chairman
Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri N. C. Krishnan

(ix) *Company Law Committee* :

Shri P. Brahmayya, Chairman
Shri C. C. Ganapathy, Vice-Chairman
Shri A. B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K. Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri S. G. Argade
Shri M. C. Bhandari
Shri K. Ganesan
Shri S. C. Bhandari, Shri P. M. Narielvala } Co-opted members

(x) *University Liaison Committee* :

Shri M. C. Mehta, Chairman
Shri H. M. Damania, Vice-Chairman
Shri A.B. Tandan, President (Ex-officio)
Shri R. K Khanna, Vice-President (Ex-officio)
Shri Anil M. Parikh
Shri H. A. K. Rao
Shri G. Saha
Shri H. M Majumdar, Shri S. T. Shah } Co-opted members

(xi) *Editorial Board* :

Shri A. B. Tandan, Editor-in-Chief
Shri S. G. Argade
Shri M. C. Bhandari
Shri R. K. Khanna
Shri A. K. Sivaramakrishnan

(xii) *Ad-hoc Committee* :

Shri A. B. Tandan, Chairman
Shri R. K. Khanna, Vice-Chairman
Shri S. K. Gupta
Shri A. K. Sivaramakrishnan
Shri H. M Talati

(xii) *Codification Committee* :

Shri A. B Tandan, Chairman
Shri R. K.Khanna, Vice-Chairman
Shri B. L. Kabra.
Shri B. S. Mehta
Shri H. A. K. Rao

(xiv) *Revision Committee* :

Shri A. B. Tandan, Chairman
Shri R. K. Khanna, Vice-Chairman
Shri N. C. Krishnan
Shri B. S. Mehta
Shri S. K. Gupta

APPENDIX III

(Reference : Section I-3 of the Report)

Council and Committee Meeting

	No. of meetings held in 1971-72	1970-71
1. Council	3	4
2. Standing Committees:		
(i) Executive	7	5
(*ii*) Examination	6	4
(*iii*) Disciplinary	6	4
3. Non-Standing Commttees :		
(i) Ad-hoc	5	..
(ii) Research	3	3
(iii) Company Law	2	2
(iv) Post-Graduate Course	5	5
(v) Professional Development	3	3
(vi) Taxation	2	2
(vii) Coaching Board	3	3
(viii) Expert Advisory	..	1
(ix) Employment	2	2
(x) Editorial Board	4	10
(xi) Hindi	1	1
(xii) University Liaison	2	1
4. Special Committees:		
(i) Under Section 4(1) (iii)	2	2
(ii) Under Section 4(1) (iv)	1	1

APPENDIX IV

(Reference : Section III-4(c) of the Report)

Number of Members appeared and declared successful at the Management Accountancy Examination

	May 1971	November 1971
Number of candidates apeared in Both Groups . . .	9	10
Passed in Both Groups	nil	nil
Passed in Group I	2	1
Passed in Group II	nil	4
Number of candidates appeared in		
Group I only	13	10
Number passed	2	nil
Group II only	4	7
Number passed	nil	nil

APPENDIX V

(Reference : Section VII-1 of the Report)

Number of Members as on 31st March, 1971 and 31st March, 1972

	Associates		*Fellows*		*Total*	
	31-3-71	31-3-72	31-3-71	31-3-72	31-3-71	31-3-72
Members holding Certificate of Practice .	4356	4731	3062	3340	7418	8071
Others	3545	3825	264	306	3809	4131
Total . . .	7901	8556	3326	3646	11227	12202

APPENDIX VI

(Reference: Section VII-6 of the Report)

Disciplinary action against members

Gross negligence resulting from failure to exercise sufficient care and deligence in the discharge of professional responsibility

A member was found guilty of professional miscounduct under clasue 7 of Part I of the Second Schedule to the Chargered Accountants Act for having failed to excerc se sufficient care and diligence in the discharge of his professional responsibilities in not checking the cash memos and not verifying the alterations in the trial balance with the original books in tespect of one company and it not checking the Journal entries and the final figures of the balance sheet with the general ledger in respect in respect of another company. The Council had recommended to the High Court that the respondent be reprimanded. The High Court accepted both the finding and the recommendation of the Council.

Issue of two discrepant cerificates of circulation of a Daily

A member was found gu lty of professional miscoundut under clauses 7 and 8 of Part I of the Second Schedule to the Chartered Accounttants Act for having issued two different certificates of circulation of a Daily for one and the same period showing different figures in respect of the number of copies printed and circulated. Thd Council had recommended to the High Court removal of his name for a period of three years. The High Court however, while accepting the finding of the Council reduced the period of removal to three months.

APPENDIX VII

(Reference : Section IX-8 (a) of the Report)

Number of Sudents enrolled during the year, 1971-72

	Intermediate		Final Compulsory				
	Comp.	Opt.	Group I		Group II		Opt.
Number of Students who were on Roll on 1st April, 1971 . .	(6434) 7112	(Nil) Nil	(2527) 3295		(2356) 3140	(12) 7	
Enrolment during 1971-72 . . .	(3451) 3993	(Nil)—	(2140) 1223		(2140) 1223	(7)	7
		11105	Nil	6518	4363		14
Number of students completed tuition which include 20 and 8 for the Intermediate and final Course respectively who discountinied tuition dyring the year	(2773) 2610		(1372) 2168		(1356) 2136	(12) 7	
		8395		2350	2227	7	

(Figures shown in the bracket are for the previons year.)

APPENDIX VIII

(Reference: Section X-1 of the Report)

(Particulars of Examinations)

	No. of Candudates appeared	No. of Candidates Passed
PRELIMINARY EXAMINATION		
May 1970	241	50
November 1970	421	81
May 1971	396	77
November 1971	664	72
INTERMEDIATE EXAMINATION		
May 1970	3299	1494
November 1970	3084	652
May 1971	3549	596
November 1971	3775	622
FINAL EXAMINATION		

	No. of Candidates appeared in Both Groups	No. of candid-ates passed in Both Groups.	No. of candidates passed in Group I only	No. of candid-ates passed in Group II only	No of candid-ates appeared in Group I only	No. of candid-ates passed	No. of candid-ates appea-ted in Group II only	No. of candid-ate passes
May 1970	834	157	141	135	1361	444	882	255
November 1970	788	185	124	184	1994	382	1010	432
May 1971	977	133	105	174	1322	384	1166	577
November 1971	1005	110	63	272	1321	199	950	541

APPENDIX IX

(Reference-Section X : 2 of the Report)

Final Examination

	May 1971	November, 1971
1. G. P. Kapadia (First President) Gold Medal	D. Purkayastha	D.B. Chavda
2. Sir Shapoorji Billimoria Prize (Value Rs. 200/-) for the best paper on Accountancy	D. Purkayastha	Km. Suman Tandan
3. R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accoting.	. .. .	S. Venkataraman.
4. A.F. Ferguson Cash Prize of Rs. 200/- for the best Paper on Auditing	Satyanarain Sodhani Jointly with N. Syamasundaran	N.C. Kothari
5. N.M. Shah Prize (Value R.s 200/- for the best paper on Taxation	H.K. P. Jain	S.K. Agrawal
6. Shri Memorial Fund award for the best paper on Commercial Laws and other Direct Taxes Acts.	..	P. K. Shah
7. U. C. Majumdar Prize for the best paper on Company Law	S. K. Chadha	P.G. Ghali
8. R. Sivabhogam Prize to the best Lady candidate.	Miss. M.B. Surty	Km. Suman Tandan
9. G. Basu Fondation Award for best student of the year 1971	..	D.B. Chavda
10. N. N. Das Prize for the best student in the Accountancy Group of the year 1971	. ..	S. S. Shah
11. Certificates of Merit:		
Ist Rank	D.Purkayastha	D.B. Chavda
IInd Rank	Anirudha Mallik	A. Dinnakar
IIIrd Rank	A.M. Ghalani	P. K. Shah

Intrmediate Examination

	May 1971	November 1971
1. G. P. Kapadia (First President) Silver Medal	N.J. Yasaswy	D.R. Sidana
2. Shri Memorial and Award for the best student of the year 1971	N. J. Yasaswy	
3. Certificates of Merit:		
Ist Rank	N.J. Yasaswy	D.R. Sidana
IInd Rank	N.R. Kumar	R. Banavar Krishna
IIIrd Rank	Shiv Kumar Bagri & V. Govindarajan	R.D. Mehta

APPENDIX X

(Reference:Section XI-2 of the Report)

Names of Members who died during the year 1971-72

Sl. No.	Name	Membership No.
1	Shri R. N. Rajam Aiyar	10
2	Shri Frederick Arthur Cole	28
3	Shri N.F. Master	72
4	Shri Ramniklal Karasondas Dalal	111
5	Shri J. B. Amin	222
6	Shri Dorab Rustom ji Davar	232
7	Shri C. Prasada Rao	243
8	Shri Dhirendera Nath Guha Roy	269
9	Shri Kaliprasanna Baondyopadhyay	293
10	Shri R. M. Mani	294
11	Shri K. Kalyanasudaram	468
12	Shri R. H. Butani	539
13	Shri N. V. Suramanyan	623
14	Shri Subodh Chandra Ray	884
15	Shri Ashutosh De	912
16	Shri Ahindra Nath sen	952
17	Shhi F. K. Gheyara.	976
18	Shri S. Rengan	1005
19	Shri Basudeo Chhawchharia	1050
20	Shri Byom Kesh Mallik	1059
21	Shri Venkateswarlu Chamati	1148
22	Shri Sita Ram Bagai	1198
23	Shri K. Krihsnmurthy	1493
24	Shri P. H. Vallibhoy	1726
25	Shri M. T. Pendse	1922
26	Shri Satya Prakash Gupta	2087
27	Shri Sumant Manilal Patva	2267
28	Shri D.R. Paymaster	2341
29	Shri Manick Lal Sen	2616
30	Shri D.B. Wanachandra Rao	2735
31	Shri P.D. Joshi	2324
32	Shri Radhakrishna Subrahmanyan	3412
33	Shri C. Parameswara Rao	3434
34	Shri Ajayananda De	3511
35	Shri Niranjan Swarup Singhal	3691
36	Shri Laxmikant Mukundrao Kalgutkar	3867
37	Shri Prabhat Kumar Malli	4944
38	Shri Chintamani Chimantao Mohile	5212
39	Shri P. Krishnan Nair	5836
40	Shri S. Swaminathan	5970
41	Shri R.T. Thakker	5994

1	2	3
42	Shri V. Mohan	6775
43	Shri C.V. Vitaleswara Rao	7065
44	Shri Shreesh Hargovindas Patel	7491
45	Shri Purnendu Kumar Jain	10027
46	Shri Jagdish Kumar Modi	11355
47	Shri A.K. Gandhi	11464
48	Shri C. Mohan Rao	11586

Balance sheet as on 31st March, 1972

Funds & Liabilities	Rs.	31-3-1972 Rs.	Rs.	31-3-1971 Rs.	Property & Assets Rs.	Rs.	31-3-1972 Rs.	Rs.	31-3-1971 Rs
I. *CAPITAL RESERVE*					I. *FIXED ASSETS;* (Schedule 'C')		42,63,241		41,73,045
Balance: 31-3-1971	36,25,215		32,73,504		II. *INVESTMENT* (at Cost) (Schedule 'D')		12,49,110		12,05,919
Add: Entrance Fees (Schedule 'A')	3,81,992		3,51,711		QUOTED	1,52,176			
		40,07,207		36,25,215	(Market Value (Rs. 1,50,748)				
II. *GENERAL RESERVE*:					Unquoted :	10,96,934			
Balance: 31-3-1971	6,53,483		7,15,587		III. *EARMARKED INVESTMENTS*				
Less: Transferred to Research Fund	10,094				(a Research Fund (Schedule 'E')	5,81,606		5,71,512	
	6,43,389				Quoted 701 (Market Value Rs. 698/-)				
Less: Deficit in Income & Expenditure Account	80,129		62,104		Unquoted 5,80,905				
		5,63,260		6,53,483					
III. *FUNDS*:					(b) (i) Medals & Prizes Fund (Schedule 'F')	78,024		60,024	
(a) *Research Fund*					Quoted 44,024 (Market Value Rs. 36,220)				
Balance: 31-3-1971	5,71,512		5,71,512		Unquoted 34,000				
Add: Transferred from general Reserve	10,094				ii) Cash-in-Bk. 4,599	82,623		4,208	
	5,81,606						6,64,229	64,232	6,35,744
(b) *Medal & Prizes Fund* (Schedule 'B');	82,623	6,64,229	64,232	6,35744					
IV *PROVISION FOR GRATUITY*					IV. *CURRENT ASSETS*:				
Balance: 31-3-1971	2,77,581		2,64,407		(a) Publications, Study Material & Stationery (at cost)	2,12,924		2,62,090	
Add: Provision for the year	36 348		34,174		(b) Amounts receivable	2,86,651		4,12,606	
	3,13.929		2,98,581		(c) Advances & prepay-				
Less: Payments during the year	1,200		21,000						
		3,12,729		2,77,581					

V. *LIABILITIES:*					ments . . .	2,90,154	64,554	
(a) Fees received in advance . . .	14,98,533	16.37,876			(d) Cash & Bank Balance	8,58,367	7,74,856	
(b) Creditors . .	3,24,329	3,71,296						
(c) Other Liabilities .	4,54,389	3,27,619						
		22,77,251		23,36,791			16,48,096	15,14,106
TOTAL : . .		78.24,676		75,28,814			78.24,676	75,28,814

NOTE:—The statement does not incorporate the accounts of the Bangalore Branch of Regional Council Southern, Eastern, Central and Northern India Students Associations and Bangalore, Hyderabad Ernakulam, Ahmelabad & Jaipur Branches of Students Associations. Since their accounts have not been received and the previous year's figures have been modified suitably for the purpose of comparison.

S. R. SIRCAR, Assistant Secretary
C BALAKRISHNAN, Secretary
R. K. KHANNA, Vice-President
A. B. TANDAN, President

NEW DELHI
16*th September*, 1972

We have examined the above Balance Sheet and the Annexed Income & Axpenditure Account, which in our opinion respectively give a true and fair view of the state of the Institutes affair as on 31st March, 1972 and its income and expenditure for the year ended on that date

P. R MEHRA
M. R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

NEW DELHI,
September 19, 1972.

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "A"

Schedule of Entrance Fee as on 31st March,1972

	Rs.	Rs.
(a) *Fellows:*		
Received during the year 1971-72		70,000
(b) *Associates:*		
(i) Instalment due as on 31st March, 1971 . . .	2,68,449	
(ii) Recoverable during the year 1971-72 . . .	3,28,500	
	5,96,949	
(iii) Less Instalments due as on 31st March 1972 . . .	2,84,957	3,11,992
TOTAL		3,81,992

S. R. SIRKAR
Asstt. Secretary

C. BALAKRISHNAN
Secretary

R. K. KHANNA
Vice-President

A. B. TANDAN
President

P. R. MEHRA M. R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "B"

Schedule of Medal sand Prizes Fund as on 31st March 1972

Serial No.	Name of Funds	Endowment	Income earned	Total (Cols 3&4)	Cost of Medals & Prizes awarded	Balance
1	2	3	4	5	6	7
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	G.P. Kapadia (Ist President) Medal Fund	20,000	B/F (—) 17 For the year 550	533	20,533 — 957	20,000
	Less : Written of to Income & Expenditure A/c.				(—) 424 — 533	
2	Miss. R. Sivabhogam Locket Fund.	5,000	B/F 1,365 For the year 325	1,690	6,690 — 525	6,165
3	Sir Shapoorji Billimoria Prize Fund	10,024	B/F 254 For the year 471	725	10,749 — 560	10,189
4	Shri R. Rajagopalan Prize Fund.	6,000	B/F 1,635 For the year 420	2,055	8,055 — ..	8,055
5	Shri S. Krishnaswamy Prize Fund.	5,000	B/F 759 For the year 325	1,084	6,084 — ..	6,084
6	G. Basu & Co., Foundation in Accounting Research Fund.	14,000	B/F 211 For the year 420	631	14,631 — 501	14,130
7	R.K.V. Umarji Prize Fund	8,000	For the year	25	8,025 — 280	
	Less : Written off to Income & Expenditure A/c.				(—) 255 — 25	8,000
8	Sur Memorial Fund	10,000	For the year	176	10,176 — 350	
	Less : Written off to Income & Expenditure A/c.				(—) 174 — 176	10,000
	TOTAL	78,024		6,919	84.943 — 2,320	82,623

S.R. SIRCAR, *Assistant Secretary* — C. BALAKRISHNAN, *Secretary* — R.K. KHANNA, *Vice-President* — A. B. TANDAN, *President*

P. R. MEHRA, M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "C"

Schedule of Fixed as on 31st March, 1972

Serial No.	Name of Assets	COST			DEPRECIATION			
		Upto 31-3-71	Additions	Total upto 31-3-72	Total upto 31-3-71	For the year	Total upto 31-3-72	Book Value as on 13-3-72
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	(a) Lease Hold Land (New Delhi)	2,159	..	2,159	..	..	..	2,159
	(b) Lease-Hold Land (Kanpur)	2,910	..	2,910	..	2,910	2,910	..
2	*Land and Buildings at:*							
	(a) New Delhi (Central Council)	4,56,495	14,04,844	18,61,339	1,74,757	41,076	2,15,833	16,45,506
	(b) Bombay (Western India Regional Building)	4,51,178	..	4,51,178	87,012	9,104	96,116	3,55,062
	(c) Calcutta (Eastern India Regional Building)	3,88,840	..	3,88,840	93,018	7,396	1,00,414	2,88,426
	(d) Madras (Southern India Regional Building)	4,97,369	..	4,97,369	89,950	10,185	1,00,135	3,97,234
	Building under construction at Kanpur (Central India Regional Building)	..	1,778	1,778	..	..	..	1,778
4	*Electric Installations & Fittings at:*							
	(a) New Delhi (Central Council)	69,316	4,78,082	5,47,398	48,224	46,626	94,850	4,52,548
	(b) Regional Councils, Students Associations & their Branches	32,702	2,160	34,862	12,387	2,605	14,992	19,870
5	Air Conditioning Installations	1,41,064	3,63,605	5,04,669	1,10,803	55,372	1,66,175	3,38,494
6	Lift	..	1,57,883	1,57,883	..	15,654	15,654	1,42,229

7	*Furniture, Fixtures & Safe at:*							
	(a) New (Delhi Central Council) . . .	2,12,291	1,27,452	3,39,743	1,01,467	18,858	1,20,325	2,19,418
	(b) Regional Councils, Students Associations and their Branches	2,15,895	24,837	2,40,732	73,968	12,211	86,179	1,54,553
8	*Office Equipments at:*							
	(a) New Delhi (Central Council) . . .	1,22,379	21,804	1,44,183	87,997	6,793	94,790	49,393
	(b) Regional Councils, Students Associations and their Branches	76,734	9,143	85,877	32,017	8,571	40,588	45,289
9	*Library Books at:*							
	(a) New Delhi (Central Council) . . .	2,04,676	17,355	2,22,031	1,43,401	23,783	1,67,184	54,847
	(b) Regional Councils, Students, Associations and their Branches	2,31,634	38,590	2,70,224	1,47,223	29,606	1,76,829	93,395
10	Motor Car	16,721	..	16,721	12,921	760	13,681	3,040
	TOTAL	31,22,363	26,47,533	57,69,896	12,15,145	2,91,510	15,06,655	42,63,241

S.R. SIRCAR
Asstt. Secretary

C. BALAKRISHNAN
Secretary

R. K. KHANNA
Vice-President

A. B. TANDAN
President

P. R. MEHRA M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "D"

Schedule of Investments as on 31st March 1972

Sl. No.	Particulars	Face Value Rs.	Cost Rs.
	I. *General Fund :*		
1.	Fixed Deposit with the State Bank of India	3,70,656	3,70,656
2.	Fixed Deposit with Bank of India	2,000	2,000
3.	P.O. 12 Year National Defence Certificates	1,00,000	1,00,000
4.	3% Conversion Loan, 1946-86	3,100	2,506
	TOTAL	4,75,756	4,75,162
	II. *Coaching Board :*		
1.	Fixed Deposit Receipt with State Bank of India	5,24,278	5,24,278
2.	4½% Maharashtra State Development Loan, 1972	50,000	50,000
3.	4% Loan, 1973	50,000	50,207
4.	4½% Ten Year Defence Deposit Certificates	40,000	40,000
5.	4½% Maharashtra State Development Loan 1974	25,000	25,000
6.	4½% U.P. Development Loan 1974	25,000	24,463
7.	P.O. 12 Year National Defence Certificates	60,000	60,000
	TOTAL	7,74,278	7,73,948
	TOTAL OF I & II	12,50,034	12,49,110

S. R. SIRCAR,
Asstt. Secretary

C. BALAKRISHNAN
Secretary

R.K. KHANNA
Vice-President

A. B. TANDAN
President
P. R. MEHRA
M. R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "E"

Schedule of Research Fund Investment as on 31st March, 1972

Sl. No.	Particulars	Face Value Rs.	Cost Rs.
1	2	3	4
1.	Fixed Deposit with State Bank of India	5,80,905	5,80,905
2.	4% Loan, 1972	701	701
	TOTAL	5,81,606	5,81,606

ANNEXURE TO BALANCE SHEET SCHEDULE "F"

Schedule of Medals and Prizes Fund Investment as on 31st March 1972

S. No.	Name of the Fund	Particulars	Face Value Rs.	Cost Rs.
1	2	3	4	5
1.	G.P. Kapadia (1st President) Medal Fund	2 3/4 % Loan, 1976 .	20,000	20,000
2.	Miss. R. Sivabhogam Locket Fund.	Fixed Deposit with State Bank of India . .	5,000	5,000
3.	Sir Shapoorji Billimoria Prize Fund.	3% Conversion Loan 1946-86 . . .	15,700	10,024
4.	Shri R. Rajagopalan Prize Fund.	Fixed Deposit with State Bank of India .	6,000	6,000
5.	Shri S. Krishnaswamy Prize Fund.	Do.	5,000	5,000
6.	G. Basu & Co., Foundation in Accounting Research Fund.	3 Conversion Loan 1946-86	14,000	14,000
7.	R.K.V. Umarji Prize Fund	Fixed Deposit with Bank of India . .	8,000	8,000
8.	Suri Memorial Fund Investment.	Fixed Deposit with State Bank of India .	10,000	10,000
	TOTAL		83,700	78,024

S. R. SIRCAR
Asstt. Secretary

C. BALAKRISHNAN
Secretary

R. K. KHANNA
Vice-President

A. B. TANDAN
President

P. R. MEHRA
M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 1972.

	1971-72				Surplus/ Deficit	1970-71 Surplus/ Deficit
	Income		Expenditure			
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A. MEMBERS						
I. *Membership and General Administration :*						
(*a*) Income from Members	8,23,548		..			
(*b*) Application & Records	..		46,770			
(*c*) Discipline	..		1,13,234			
(*d*) Collection of Fees	..		46,075			
(*e*) List of Members	..		72,127			
(*f*) Annual Report, Council Committee Meetings	..		35,519			
(*g*) Employment Service	..		25,787			
(*h*) Miscellaneous	96,879	9,20,427	78,638	4,18,150	5,02,277	5,24,994
II. *Regional Councils*		1,32,617	..	4,30,784	(—)2,98,167	(—)2,73,756
III. *Professional Development and Research*						
(*a*) P. G. Course & Practical Training . .	8,550	..	52,556	..	..	..
(*b*) Conference & Seminar	..	..	10,656	..	..	..
(*c*) Technical Activities	..	..	88,303	..	..	..
(*d*) Library	..	..	18,403	..	..	..

(e) Members' Hand Book and other Publicaton for Members	..	..	31,421	..	..	..
(f) Miscellaneous	41,047	49,597	30,991	2,32,330	(—)1,82,733	(—)2,03,246
IV. *Journal*		1,63,915		3,63,413	(—)1,99,498	(—)1,04,505
TOTAL	..	12,66,556	..	14,44,677	(—)1,78,121	(—)56,913
B. STUDENTS :						
V. *Students Activities & Examinations*						
(a) Students Activities	1,98,271	..	2,84,032	..	..	..
(b) Examinations	9,60,050	..	7,68,402	..	..	..
(c) Miscellaneous	34,298	..	65,899	..	..	..
		11,92,619	..	11,18,333	74,286	95,662
VI. *Coaching Board*	..	13,17,714	..	12,94,008	23,706	(—)1,00,853
TOTAL	..	25,10,333	..	24,12,341	97,992	(—)5,191
DEFICIT	..	37,76,889	..	38,57,018	(—)80,129	(—)62,104

NOTE —For details refer to the "Schedule Attached".

As per our Report of even date

NEW DELHI -
Dated September 16, 1972.

S. R. SIRCAR
Assistant Secretary

C. BALAKRISHNAN
Secretary

R. K. KHANNA
Vice-President

A. B. TANDAN
President

P. R. MEHRA
M. R. VENKATARAMAN
Chartered Accountants

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

SCHEDULE

Detail of Income & Expenditure for the year ended 31st March, 1972

Serial No.	Heads of Accounts	Members			Students			
		Total 1971-72	Membership & General Administration	Regional Council	Professional Development & Research	Journal	Students Activities Examinations	Coaching Board
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	I. *Income*							
1	Fees (See Note No. 1)	33,58,200 (29,17,453)	8,23,548 (7,53,198)	1,19,443 (1,10,463)	8,550 (10,300)	1,20,240 (1 09,510)	11 58,221 (9 [illegible]5)	11,27,998 (9,54 417)
2	Income from Properties	38,710 (38,710)	38,710 (37,710)	..	..	..	..	..
3	Revenue from Journal & Other Publications	1,92,392 (1,47,070)	3,988 (5.680)	.. ..	5,026 (7,332)	43,575 (41,765)	28,509 (26,792)	1,11,294 (65,501)
4	Interest on Investments	1,24,659 (1,21,509)	41,159 (45,252)	.. ..	34,307 (32,015)	.. ..	.. ..	49,193 (44,242)
5	Other Income	62,928 (90,556)	13,022 (36.502)	13,174 (5,718)	1,714 (150)	.. ..	5,789 (14,543)	29,229 (33,643)
6	TOTAL	37,76,889 (33,15,298)	9,20,427 (8,79,342)	1,32,617 (1,16,181)	49,597 (49,797)	1.63,915 (1,51275)	11,92,619 (10,20,900)	13,17,714 (10,97,803)

	II. *Expenditure*							
7	Salaries & other cost of Employing Staff .	11,70,812 (10,82,486)	1,70,032 (1,51,372)	1,87,341 (1,66,145)	80,294 (76,729)	52,797 (31,557)	2,50,525 (2,05,695)	4,29,823 (4,50,988)
8	Provision for Gratuity	35,285 (34,175)	5,458 (5,319	2,247 (3,637)	3,023 (2,252)	1,121 (768)	9,595 (7,255)	13,841 (14,944)
9	Publications, Printing & Stationery & Study Material . . .	8,53,655 (7,42,735)	58,633 (57,652)	29,794 (24,300)	33,934 (45,762)	2,43,777 (1,66,166)	1,31,490 (1,54,583)	3,56.027 (2.94,272)
10	Fees of Examiners, Tutors & Invigilators .	4,86,179 (4,53,948)	.. ..	.. ..	1,381 (1,412)	.. ..	2,69,395 (2,25.138)	2,15,403 (2,27,398)
10	Hire of Hall, Freight & other expenses in Examination	2,22392 (1,62,606)	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	2,22.392 (1,62.606)	.. ..
12	Rates & Taxes	1,20,466 (91,547)	13,685 (5,895)	44,545 (41,770)	6,158 (2,653)	2,053 (884)	13,686 (6,295)	40,339 (34,050)
13	Repairs & Maintenance	52,707 (31,777)	8,034 (3,195)	10,882 (13,249)	3,615 (1,437)	1,205 (479)	8,034 (3,194)	20,937 (10,223)
14	Depreciation	2,91,510 (1,34,618)	54,418 (22,000)	70.735 (64,465)	21,218 (8,556)	4,671 (386)	44,422 (13,523)	96,406 (25,688)
15	Postage, Telegrams & Telephones . .	1,87,145 (1,67,065)	32,667 (25,229)	27,095 (22,886)	14,779 (11,188)	32,954 (25,433)	63,355 (51,984)	16,295 (30,345)
16	Travelling Expenses of Council & Committee Members	1,47,737 (1,38,984)	25,748 (17,365)	8,403 (9,577)	44,209 (44,819)	5,139 (2,405)	35.951 (40,436)	28,287 (24,382)
17	Other Travelling Expenses	55,422 (40,995)	5,878 (3,022)	..	9,825 (4,921)	3,215 (550)	31,763 (26,273)	4,741 (6,229)
18	Professional Fees	59,070 (19,942)	31,892 (3,144)	1,950 (1,900)	1,397 (1,314)	1,218 (857)	14,754 (4,536)	7,859 (8,191)

Serial No.	Heads of Accounts	Members			Students			
		Total 1971-72	Membership & General Administration	Regional Council	Professional Development & Research	Journal	Students Activities & Examinations	Coaching Board
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
19	Conference, Seminar, etc.	.. (21,248)	.. ..	.. ..	.. (21,248)	.. ..	.. ..	.. ..
20	Election	.. (46,880)	.. (46,880)	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
21	Miscellaneous	1,74,638 (2,08,396)	11,705 (13,275)	48,152 (42,008)	12,497 (30,752)	15,263 (26,695)	22,971 (23,720)	64,050 (71,946)
22	TOTAL	38,57,018 (33,77,402)	4,18,150 (3,54,348)	4,30,784 (3,89,937)	2,32,330 (2,53,043)	3,63,413 (2,56,180)	11,18,333 (9,25,238)	12,94,008 (11,98,656)

NOTE No. I

Schedule of Fees : 1971-72

	1971-72			1970-71
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. MEMBERSHIP ADMINISTRATION				
(a) Associate Membership . .	1,50,606		1,36,530	
(b) Fellow Membership . .	2,67,691		2,45,718	
(c) Associate Certificate of Practice	2,36,500		2,16,950	
(d) Fellow Certificate of Practice	1,68,750	8,23,547	1,54,000	7,53,198
2. REGIONAL COUNCIL		1,19,443		1,10,463
3. POST-GRADUATE EXAMINATION .		8,550		10,300
4. JOURNAL:				
Membership fees allocated to Subscription for Journal . . .		1,20,340		1,09,510
5. STUDENTS & EXAMINATION:				
(a) Examination Fees . . .	9,60,050		8,05,195	
(b) *Students:*				
(i) Article Clerks Registration	1,43,450		1,26,880	
(i) Audit Clerks Registration .	43,440		35,610	
(iii) Students Association Fee .	11,381	11,58,321	11,880	9,79,565
6. COACHING BOARD		11,27,999		9,54,417
TOTAL		33,58,200		29,17,453

S.R. SIRCAR,
Asstt. Secretary

C. BALAKRISHNAN,
Secretary

R. K. KHANNA,
Vice-President

P. R. MEHRA.

A. B. TANDAN,
President

M. R. VENKATARAMAN,
Chartered Accountants

C. BALAKRISHNAN
Secy.

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1972

सं० 48 सी ए/(1)72—चार्टर्ड एकाउन्टेंडस एक्ट 1949 के भाग 18 के उपभाग (5) के अनुसरण में, 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कौसिल की रिपोर्ट एवं आडिट किये हुए लेखे की प्रतिलिपि सामान्य सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है।

सी० बालकृष्णन्, सचिव।

31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कौसिल की तेइसवी वार्षिक रिपोर्ट

कौसिल को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट 1949 की धारा 18 (5) की व्यवस्थाओ के अनुरुप 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अपनी 23 वी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1 कौसिल

1. कौसिल के सदस्य और इसकी विभिन्न समितिया

जैसा कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट की धारा 9 मे व्यवस्था है, आठवा कौसिल 17 सितम्बर, 1970 को आंशिक रूप से चुनाव द्वारा और आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामाकन से गठित की गई, कौसिल तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत गठित उसकी विभिन्न स्थाई और अन्य समितियों के सदस्यों के नाम क्रमशः परिशिष्ट 1 और 2 में दिये गये है।

2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

श्री ए० बी० टंडन (कानपुर) जो कि पिछले वर्ष उपाध्यक्ष थे, कौसिल द्वारा 11, 12 और 13 अक्तूबर, 1971 को हुई अपनी बैठक में अध्यक्ष चुने गये उसी बैठक में श्री आर० के० खन्ना (नई दिल्ली) उपाध्यक्ष चुने गये।

3. कौसिल और समिति की बठके

वर्ष के दौरान, कौसिल की तीन बैठकें हुई पहली 19 जुलाई, 1971 को, दूसरी 11,12 और 13 अक्तूबर, 1971 को और तीसरी 16, 17 और 18 मार्च 1972 को विभिन्न समितियों द्वारा हुई बैठको के विवरण परिशिष्ट 3 में दिये गये है।

2 वित्त

1 एकाउन्टस – 31 मार्च, 1972 तक की बैलैन्स शीट और उस दिन समाप्त हुए वर्ष के लिये आडिट किये हुए आय और व्यय लेखे इस रिपोर्ट के अन्त मे दिये गये है वर्ष का आय और व्यय लेखा रु 80 12 / की आय का अधिक व्यय दिखाता है, जबकि पिछले वर्ष मे यह राशि रुपये (–) 14/- था इन एकाउन्टो मे क्षेत्रीय कौंसिलो, स्टडेन्ट एसोसियेशन और उनकी शाखाओं के एकाउन्ट सम्मिलित है।

2 आडीटर सर्वश्री पी० आर० नेहरा और एम० आर० बैक्टारमन, 31 मार्च 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भी इस्टीटयूट के एकाउन्टो के लिये आडीटर रहे।

3 व्यवसायिक मामले

1. व्यवसायिक विकास

(क) सदस्यो की समस्याओं का अध्ययन

पिछले अनेक वर्षों के दौरान, कौंसिल प्रैक्टिस कर रहे और रोजगार प्राप्त सदस्यो से सबधित समस्याओं से निपटने का प्रयत्न कर रही है, ताकि व्यवसायिक कार्य का अनवरत प्रवाह प्राप्त करने, व्यवसायिक कार्य के नये स्त्रोत खोजने, सदस्यो के लिये रोजगार अवसरो मे वृद्धि करने और उनमे सतुष्टि और इस्टीटयुट से लगाव की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया जा सके। कौंसिल व्यवसाय की सार्वजनिक प्रतिष्ठा मे वृद्धि करने, सदस्यो की तकनीकी क्षमता मे वृद्धि करने, व्यवसायिक व्यवहार के कठिनतर स्तर लागू करने के बारे मे निरन्तर कदम उठा रही है, ताकि चार्टर्ड एकाउन्टेट के प्रमाण पत्र को उपादेयता में जन विश्वास मे वृद्धि की जा सके। समय समय पर आडिट कार्य की "एकाग्रता" और व्यवसाय की "स्वतन्त्रता" के बारे मे समाचार पत्रो और साथ ही ससद मे भी प्रश्न उठाये गये है। कौंसिल का यह पक्का विचार है कि व्यवसाय अपनी समस्याओं का समाधान करने मे पूर्ण सक्षम है और व्यवसाय के मामलो में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है। कौंसिल यह चाहे कि सदस्यों द्वारा आपस में और उनकी प्रतिनिधि संस्था – कौंसिल के बीच विचार विमर्श में वृद्धि की जाए ताकि व्यवसाय के समाने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिये तरीके और साधनों को खोंज की जा सके।

कौंसिल, समस्याओं के प्रति सब तरह से जागरूक और चेतन है जिनका कि सदस्य सामना करते रहे है या कर रहे है अपनी श्रेष्ठतम योग्यता द्वारा, यह न केवल विद्यमान व्यवसाय का कार्य का साम्यिक वितरण करने के ताजा साधनों और साथ ही रोजगार की प्राप्ति के प्रयास भी कर रही है, समय समय पर कौंसिल द्वारा सरकार को व्यवसायिक काय के क्षेत्र विस्तार, जैसे कि सहकारी समितियों का आडिट, सस्थाओं का आडिट, एक निश्चित आकार से ऊपर की साझेदारो का आडिट, शाखा आडिट आदि के लिये विभिन्न सुझाव दिये गये हैं।

सदस्यों को याद होगा कि कौंसिल द्वारा दिसम्बर 70 में हुई उसकी बैठक में कुछ स्वयं चालित उपा ो की सिफारिश की गई थी, जिनका अनुसरण व्यवसाय के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा के आधार पर करना था।

स्थिति की तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हुए और युवा सदस्यों की समस्याओं को हलका करने के लिए कौंसिल ने अब यह निश्चय किया है कि स्वयं चालित उपायों को अनिवार्य कर दिया जाए और सरकार से निवेदन किया जाए कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट और/अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस रेगुलेशनों में इस प्रकार संसोधन किया जाए, जैसा कि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो "व्यवसाय के सामने आने वाली समस्याओं का आंकना एक निरन्तर प्रक्रिया है और कौंसिल समय समय पर उस पर पुन विचार करती रही है। हाल ही में कौंसिल ने इंस्टीट्यूट के समस्त सदस्यों को एक प्रश्नावली जारी की थी ताकि व्यवसाय के सदस्यों विशेषकर कनिष्ठ सदस्यों को विभिन्न समस्यायों पर उनके विचारों पर विचार किया जा सके क्षेत्रीय कौंसिलों से निवेदन किया गया है कि वे अपने क्षत्रों में शीघ्रतानुसार सदस्यों की बैठकों में समस्या पर विचार विमर्श करें और निम्नलिखित के बारे में और किसी अन्य बात पर, जोकि आवश्यक समझी जाए अपने विचार और सुझाव भेंजे :

1. आडिट में तथा कथित एकाधिकार और तथा कथित एकाग्रस्त को हटाना ।
2. आडिटों की संख्या पर सीलिंग
3. निश्चित अतंरालों पर आडिटरों का रोटेशन ।
4. आडिट का राष्ट्रीयकरण जिसका तात्पर्य है कि आडिटरों की नियुक्ति करने की शक्ति एक केन्द्रित एजेन्सी में निहित होनी चाहिए ।
5. व्यवसायिक कार्य के नए साधनों और सदस्यों के लिए रोजगार की खोज ।

कौंसिल ने स्टाक एक्सचेंज जिससे सूचना प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है ताकि आडिट कार्य का कुछ फर्मों के हाथों में 'एकाग्रता' की सीमा और प्रकृति का निश्चय किया जा सके । इन जांचों के परिणाम स्वरूप कौंसिल के खोज कार्यों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायगा ।"

(ख) इंटर्नल आडिटिंग की उपयोगिता

कौंसिल ने, व्यवसायिक अवसरो को और अधिक बढ़ाने के प्रयासो में तथा सदस्यों के लिए रोजगार के नए साधन खोलने के लिए "व्हाई डोंट यू कास हिम" नामक बुकलेट जारी की है ताकि इंटर्नल आडिट का प्रचार हो और औद्योगिक कार्यालयों पर इस बात का प्रभाव पड़े कि वे चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की विशेष सेवाओं का इंटर्नल आडीटरों के रूप में उपभोग करें ।

अब सदस्यो को इंटर्नल आडिटिंग की विभिन्न तकनीकी में इंटर्नल आडिटरो के ग्रुप की सहायता से, उच्च प्रशिक्षण देने के लिए सेमिनार/परिसंवाद आयोजित करने के प्रयास किए जायेंगे :

(ग) सीजेंदारी फर्मों के आडिट को अनिवार्य करने के लिए प्रतिवेदन

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, कौंसिल ने कम्पनी कार्य विभाग और विधि मंत्रालय को प्रतिवेदन करते हुए सुझाव दिया है कि एक निश्चित आकार से ऊपर की सीजेदारी फर्मों के आडिट को अनिवार्य बनाने के बारे में सीजेदारी एक्ट में संशोधन किया जाए इस मामले पर संघ सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ।

(घ) आडिट को उद्योग-अनुसार तकनीकी गाइडें

जैसाकि पहले रिपोर्ट दी गयी है, आडिटिंग के क्षेत्र में सदस्यों का ज्ञान मजबूत करने के लिए और आडिट तकनीकों में नवीनतम विकास पर उनका ज्ञान अद्यतन रखने के लिए, कौंसिल ने कुछ मुख्य उद्योगों के लिए आडिट को उद्योग-अनुसार गाइडों के तैयार करने के कार्य का सूत्रपात कर दिया है सीमेन्ट उद्योग के आडिट के लिए तकनीकि गाइड बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है, अन्य उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार की गाइडें तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(च) चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों के कार्यालयों का संगठन

चार्टर्ड एकाउन्टेंटों के कार्यालयों के संगठन का अध्ययन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य आफिस का बनाए रखना, आफिस मैनुअलों का पालन संयत्र आदि के संबंध में सिफारिस करना है, इस प्रोजैक्ट पर वर्ष के दौरान विभिन कारणों से, कोई उल्लेनीय प्रगति नहीं है लेकिन यह आशा की जाती है कि कार्य बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

(छ) आडिट रिपोर्ट के फार्म

जैसा कि पहले बताया गया है, आडिट रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों के विभिन्न फार्मों जिन्हें कि चार्टर्ड एकाउन्टेंटो की अपने व्यावसायिक कार्य के दौरान हस्ताक्षरित और प्रमाणित करना पड़ता है, की जाच की जा रही है और, यथा समय सम्बन्धित अधिकारियों से सपर्क किया जाएगा जिससे कि आवश्कतानुसार रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों के फार्मों का रूपान्तरण या पुनरीक्षण किया जाए ताकि उपस्थित कठिनाइयों को दूर किया जा सके यहां फिर विभिन्न कारणों से बहुत संतोष-जनक प्रगति नहीं हुई है, लेकिन अब प्रोजेक्ट को शीघ्र पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ज) प्रबन्ध सलाहकार सेवाएं

कौंसिल उन तरीकों और साधनो पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है ताकि सदस्यो का मार्ग दर्शन किया जा सके और प्रबंध सलाहकार सेवाओं को पूण श्रृखंला प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक स्थिति प्रस्तुत की जा सके। हमारे जो सदस्य दूसरे अनुशासनों के सदस्यों के साथ सहयोग द्वारा प्रबंध सलाहकार सेवाएं देने और साथ ही सगठन को बनाने जिसके माध्यम से इस प्रकार के प्रबंध को आशा दी जा सकती है, उस बारे में कानूनी, नैतिक तथा अन्य संबंधित बातों की जाँच की जा रही है। इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली प्रबंध सलाहकार सेवाओं के संबंध में प्रस्तावित छूटों और शर्तों का एक विवरणात्मक मसौदा इन्स्टीट्यूट के जनरल मेंप्रकाशित किया गया है। कौंसिल शीघ्र ही इस विषय में अपने विचारों के अन्तिम रूप देगी।

(झ) आडीटरों को 'अन्य सेवाओं' के लिए भुगतान

हाल ही में, आडीटरों को 'अन्य सेवाओं' के लिए भुगतान के संबंध में कुछ मिथ्या धारणाएं, कम्पनी बैठकों में शेयरहोल्डरों द्वारा और वित्तीय समाचार पत्रों में भी कुछ लेखों और पत्रों द्वारा अभि-व्यक्त की गई हैं, संसद में भी प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे भुगतानों की वास्तविक प्रकृति के बारे में भय व्यर्थ किया गया है कि क्या उनमें प्रबंधकों द्वारा आडीटरों को गूढ़ कारणों के लिए कुछ अवैध परितुष्टि भी आती है।

मामले में सार्वजनिक रूप मे मिथ्या धारणाओं और गलतफहमियों के विचार से कौसिल ने यह आवश्यक समझा कि इसको स्पष्ट किया जाए और इस संबंध में अधिकारिक स्थिति बताई जाए। इसलिए कौंसिल ने वित्तीय समाचार पत्रों और दूसरे स्थानों पर उचित टिप्पणी प्रकाशित करने का निश्चय किया ताकि आडीटरों के विरुद्ध गैर जानकार आलोचना का खंडन किया जा सके।

इंस्टीट्यूट के जनरल के नवम्बर 1971 के अंक में प्रकाशित एक टिप्पणी में कौसिल ने वर्गीकरण करते हुए बताया है कि आडीटरों को कोई अवैध परितुष्टि के भुगतान का कोई भी प्रश्न नहीं है। एकाउन्टैंसी व्यवसाय के सदस्य जो कि आडीटरों के रूप में कोई कार्य करते हे वे लोग जिनमें व्यवसायिक व्यवहार का उच्च स्तर बनाए रखने की आशा की जाती है और जो रखते भी हैं। अन्य सेवाओं के लिए भुगतान, जिनका सांविधिक रूप से कम्पनी के प्रकाशित खातों में बताया जाना वांछित है, यह बताते हैं कि भुगतान कम्पनी को आडीटरों द्वारा दी गई उन सेवाओं के लिए एकदम वैध भुगतान है जिनकी कम्पनी को आवश्यकता थी और जिनमें कम्पनी ने लाभ उठाया है और शेयर होल्डरो को लागत के अनुपात में बहुत अधिक लाभ पहुंचा है।

कौंसिल ने सदस्यों को इस बात की भी सिफारिश की है कि उनको दिया जाने वाला शुल्क उनके द्वारा आडिट की गई कम्पनियों के लाभ हानि खातों में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत बताया जाना चाहिए, ताकि शेयर होल्डरों और खातो का अध्ययन करने वाले दूसरे व्यक्तियों को परिशुद्ध और सही जानकारी दी जा सके।

(1) आडिट शुल्क
(2) कर का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुल्क
(3) कम्पनी कानून मामलों के लिए शुल्क
(4) प्रबंध सेवाओं के लिए शुल्क
(5) इंटर्नल आडिटिंग के लिए शुल्क
(6) आडीटरों को खर्चों की प्रतिपूर्ति
(7) अन्य सेवाएं

(त) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के आडिट का विस्तृत फैलाव

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, यह समझा जाता है कि रिजर्व बैंक चाहता है कि शाखा आडिटरों के बीच शाखा आडिट का वितरण, जहां तक व्यवहारिक रूप से हो सके, क्षेत्रीय, विस्तृत और स्थानीय हो।

इस संबंध में अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष और सचिव के साथ रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गर्वनर डा० आर० के० हजारी के साथ 4 दिसम्बर, 1971 को एक बैठक हुई और उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों और उनकी शाखाओं में आडीटरों की नियुक्ति से सम्बन्धित नीति पर विचार विमर्श किया।

डा० हजारी से यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आने वाले वर्ष में इस कार्य के लिए रखे गए आडीटरों की संख्या पिछले वर्ष में विद्यमान संख्या के दुगने से भी अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सामान्य नीति यह होगी कि सर्वाधिक आडीटरों की नियुक्ति चार से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी और सर्वाधिक आडीटरों से इस बात की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वे शाखाओं के 1/3 भाग से अधिक का आडिट करें। उन्होंने यह भी बताया कि यह देखने के प्रयत्न किए जा रहे है कि

बैंकों की शाखाएं स्थानीय आडीटरों द्वारा आडिट की जाएं और हालांकि, वितरण को जहां तक सभव है, विस्तृत बनाए जाने के सभी प्रयत्न किए जाएंगे, फिर भी गुण को बनाए रखने के महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि सावधानीपूर्वक कार्रवाई की जाए। डा० हजारी ने स्पष्ट किया कि साझेदार फर्मों के साथ-साथ प्राप्राइटरी फर्मों को भी बैंको की शाखाओं का आडिट कार्य सौंपा जा रहा है।

रिजर्व बैंक अधिकारियों द्वारा बनाया गया रास्ता एक प्रकार से एकदम वास्तविक है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

(थ) भारत में एकाउन्टैन्सी व्यवसाय का भविष्य

सदस्य जानते हैं कि कौंसिल ने भारत में एकाउन्टैन्सी व्यवसाय के भविष्य पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया था। यह समिति इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष श्री जी० पी० कपाडिया की अध्यक्षता में बनी थी। रिपोर्ट 26 अगस्त, 1967 को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया और इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की कौंसिल को प्रस्तुत की गई थी और यह तथ्य कि भारत सरकार से इसकी सिफारिशों को अमल में लाने का निवेदन किया गया था, जिसमें दोनो इंस्टीट्यूटो को संयुक्त करने की सिफारिश भी सम्मिलित है।

हाल ही में, भारत सरकार से एक संदर्भ प्राप्त होने पर कौंसिल ने प्रतिवाद किया है कि वह इस संयुक्त समिति की रिपोर्ट को मानती है, जिनकी पहले ही, भारत सरकार को, मान लेने और समता में लाने के लिए सिफारिश की जा चुकी है।

2. अनुसंधान

वर्ष के दौरान, अनुसंधान समिति इंस्टीट्यूट के निम्नलिखित अनुसंधान कार्यकलापों में सक्रियता-पूर्वक लगी रही।

(क) निम्नलिखित प्रकाशनों का प्रकाशन हुआ

कम्पनीज एक्ट–1956 के अन्तर्गत कास्ट एकाउंटिंग रिकार्डस रूल्स और इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग की कम्पनिया।

(ख) नीचे दिए गए प्रोजेक्टों को पूरा किया

(1) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट––एक एकाउन्टैंट का अध्ययन।

(2) निवेश निर्णय––कटौती प्राप्त नकदी प्रवाह तकनीक की सहायता से पूंजी बजट बनाना।

(3) एकाउन्टो में ट्रीटमेंट आफ रिटायरमैंट ग्रेच्युटी के विवरण का पुनरीक्षण।

(4) आंतरिक नियन्त्रण पर आडीटरों के विश्वास पर टिप्पणी की प्रथम किश्त।

(5) लागत और वित्तीय एकाउन्टों की समन्वित पद्धति।

(6) इंस्टीट्यूट की कौंसिल के सुझावो और विचारों को दृढ़ किया जो कि नीचे दिए गए विषयों पर सरकार को दिए गए थे।

(1) ड्राफ्ट कास्ट एकाउन्टिंग रिकार्डस (अल्युमिनियम) रुल्स, १९७१।

(2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अबैंकिंग वित्तीय कम्पनियो के निर्देश।

(घ) नीचे दिए गए विवरणों और अध्ययनों का पुनरीक्षण

(1) कम्पनी आडिट को गाइड

(2) अवमूल्यन पर अध्ययन

(3) आडिटिंग प्रैक्टिस पर विवरण

(4) बैंकिंग कम्पनियों का आडिट।

(च) वर्तमान प्रोजैक्ट

(1) इंस्टीट्यूट द्वारा समय-समय पर सदस्यों को निर्देशन के लिए जारी की गई टिप्पणियों का हैंडबुक सीरिज में प्रकाशन

(2) एकाउन्टिंग की हाईब्रिड पद्धति

(3) दूसरे आडीटर के कार्य रिपोर्टों को प्रयोग करने में व्यवसायिक जिम्मेदारी और संयुक्त आडिट से उत्पन्न होने वाले नैतिक प्रश्न।

(4) कास्ट एकाउन्टिंग रिकार्डस (वनस्पति) रूल्स, 1972

(5) वार्षिक जनरल मीटिंग की तिथि के बाद भी आडीटर की नियुक्ति रहने के बारे ; अनुसंधान समिति के विचारों का प्रकाशन।

(6) वित्तीय विवरणों के उद्देश्य।

(7) समामेलन के मामले में फ्री रिजर्व के प्रयोग पर टिप्पणी।

(छ) अनुसंधान अनुदान

कौंसिल ने इंस्टीट्यूट के अनुसंधान और दूसरे शैक्षिक क्रियाकलापों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार से समुचित अनुदान के लिए सम्पर्क करने का निश्चय किया है। इसने क्षेत्रीय कौंसिलों से भी कहा है कि वे अपने क्षेत्रों में शैक्षिक क्रियाकलापों, पुस्तकालय आदि के लिए अपनी आवश्यकताएं पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क करें। इसी प्रकार कौंसिल विशिष्ट अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए अनुदानहेतु उद्योग से सम्पर्क करने की दिशा में भी विचार कर रही है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय मंडल से सम्पर्क किया गया ताकि इंस्टीट्यूट को उद्योग द्वारा दिए गए दान के लिए छूट प्राप्त करने के लिए, इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 35(1)(iii) के अन्तर्गत, इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त हो सके। यद्यपि नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है, फिर भी छूट प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं।

3. कम्पनी कानून समिति

वर्ष के दौरान कम्पनी कानून समिति ने निम्नलिखित सुझावों/प्रतिवेदनों/विचारों का निरूपण किया और उन्हें सरकार/कौंसिल को प्रस्तुत किया।

[illegible] (शाखा आडिट में छूट) रूल्स, 1961 के संशोधन के लिए प्रतिवेदन जो कि विद्यमान छटों को समाप्त करने के लिए और केवल एक छूट ऐसी शाखाओं के मामलों में देने के लिए है जिनका आवर्त दो लाख रुपये अथवा कुल आवर्त के 5 प्रतिशत में से जो भी कम हो।

2. कम्पनी एक्ट की अनुसूची (6) के भाग (II) में संशोधन के लिए सुझाव जिसमें आडीटर को अन्य सेवा भुगतानों की प्रकृति के बारे में प्रकटीकरण आवश्यक है ।

3. अधिसूचना सं० जी० एस०आर० 28–1–71 सी०एल०वी (5) दिनाक 9 अक्टूबर, 1971 पर विचार—कम्पनी एक्ट को अनुसूची (6) के भाग (II) के बदलने के लिए ।

4. सरकार द्वारा सन्दर्भ पर विचार कम्पनी को निर्माण की अवधि के दौरान मूल्यह्रास के उपचार के लिए ।

कम्पनी (संशोधन) बिल 1972

कम्पनी (संशोधन) बिल, 1972 संसद में 11 अगस्त, 1972 को पेश किया गया था । बिल कम्पनी एक्ट, 1956 को विभिन्न व्यवस्थाओं में परिवर्तन करता है और उनमें से कुछ का व्यवसाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । व्यवसाय को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से निम्नलिखित है:—

(क) धारा 224 का संशोधन जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की बिना पूर्व अनुमति के रिटायर होने वाले आडीटर को पुनः नियुक्त नही किया जाएगा, यदि वह या वह फर्म जिसमें वह साझेदार है, कम्पनी का आडीटर निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के लिए—उस वर्ष से पूर्व तक जिसमें कि वार्षिक जनरल मीटिंग हुई हो या हुई समझी गई हो । इस संशोधन का उद्देश्य और कारण यह है कि विद्यमान प्रैक्टिस ने "आडिटरों को कुछ स्थापित फर्मों में आडिट को एकाग्र कर दिया है और इसमे आडीटरों और कम्पनियों के समूह के बीच गहरे संबंध उत्पन्न कर दिये हैं ।"

(ख) नई धारा 224 ए को इसलिए जोड़ा गया है ताकि उस कम्पनी के मामले में जिसमें सब्सक्राइब्ड शेयर पूजी के अकेले या किसी के साथ मिलकर, कम से कम 25 प्रतिशत तक लिया हो, द्वारा.—

(1) एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था या सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, अथवा

(2) किसी प्रान्तीय या राज्य एक्ट द्वारा स्थापित कोई वित्तीय या अन्य संस्था, जिसमे कि राज्य सरकार के पास सब्सक्राईब्डशेयर पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो, अथवा

(3) एक राष्ट्रीयकृत बैंक या बीमा कम्पनी जो कि सामान्य बीमा व्यापार करते हों,

आडीटर की नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न हुई हो ।

(ग) धारा 233 बी के संशोधन में व्यवस्था है कि यदि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि समुचित संख्या में कास्ट एकाउन्टेन्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी कम्पनी के कास्ट एकाउन्टों का आडिट करने के लिए उपलब्ध हैं, तो सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस और इस तारीख से जो अधिसूचना में दे गई हो, कोई भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट किसी भी कम्पनी के कास्ट एकाउन्टों का आडिट नहीं करेगा ।

(घ) धारा 2 (45) के संशोधन में व्यवथा है कि केवल व्यक्ति ही किसी कम्पनी के 'सेक्रेटरी' के रूप में कार्य कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार ऐसे सेक्रेटरी को योग्यताओं का निर्धारण करेंगे । नई धारा 383 ए के प्रस्ततीकरण द्वारा, यह व्यवस्था[illegible] प्रस्ताव है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी जिसकी पेड-अप पूंजी रु० 25 लाख से कम न हो, पूर्ण कालिक सेक्रेटरी रखेगी ।

(च) धारा 619 बी को इसलिए जोड़ा गया है कि धारा 619 की व्यवस्थाओं को कुछ और कम्पनियों तक बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी सरकारी कम्पनियों के रूप में लिया जा सके।

बिल संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है और संयुक्त समिति के पास उसके विचार करने के लिए एक मेमोरेण्डम भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इंस्टीटयूट का एक प्रतिनिधिमंडल भी संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक सप्रेषण के लिए प्रस्तुत होगा।

4. पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम

(क) सेमिनार आदि

पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम समिति ने मैनेजमैंट एकाउन्टिंग को सदस्यों व सरकार, व्यापार व उद्योग दोनों में प्रचलित करने के लिए बहुत से क्रियाकलापों को प्रस्तुत किया। वर्ष के दौरान, सदस्यों को इस क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए अनेक कार्यक्रम लक्षित किये गए।

अगस्त 1971 तक हुए पांच सेमीनारों के बारे में विवरण पहले ही पिछली रिपोर्ट में सम्मिलित किए जा चुके हैं। तुरन्त संदर्भ के लिए सेमीनारों के शीर्षक और तिथियां नीचे दी गई है।

'रैगुलेटरी एकाउन्टिंग' में 'प्रवृत्तियां' पर सेमिनार जयपुर में 8, 9, और 10 अप्रैल 1971 को हुई।

'कास्ट आडिट' पर सेमिनार कलकत्ता में 6, 7, और 8 मई 1971 को हुई।

'वित्तीय स्टेटमैन्टों का विश्लेषण' पर सेमिनार श्रीनगर में 19, 20, 21 और 22 मई 1971, को हुई।

'पूंजी निवश आकलन' पर सेमिनार पूना में 29 और 30 मई 1971 को हुई।

'आडीटिंग में आधुनिक प्रवृत्तिया' पर सेमिनार पणजीगोवा में 19, 20 और 21 अगस्त 1971 को हुई।

इनके साथ साथ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों के लिए जनरल मैनेजमैंट में एक मूल्य वृद्धि कार्यक्रम 16 से 20 अप्रैल, 1972 तक होटल ब्ल्यू डायमन्ड, पूना में हुआ। कार्यक्रम के उद्देश्य थे—

मैनेजमेंट के कार्यात्मक क्षेत्रों, अर्थात वित्त, विपणन, उत्पादन व कार्मिक और उनके अन्तर्सम्बन्धों में आने वाली समस्याओं के साथ भाग लेने वालों को परिचित कराना।

भाग लेने वालों को, मैनेजमेंट की उपलब्ध आधुनिक संकल्पनाओं और तकनीकों से ऐसी समस्याओं को सुझाने के लिए परिचित कराना।

केस अध्ययन विचारविमर्शों द्वारा संगठन की संपूर्ण संकल्पना के विकास, जिसमें व्यापारिक नीति और नियमित दाव पेच आते हैं।

पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 600/ निश्चित किया गया ताकि ट्यूशन, कमरे, आहार और शिक्षण समाग्री की लागत पूरी हो सके। पाठ्यक्रम के लिए 39 भाग लेने वाले पंजीकृत किए गए। पाठ्यक्रम के लिए फैकेल्टी में प्राफेसर बी०के० हेगड़े, ए० ए० करीम, एस० सी० कुच्छल और जी० आर० कुलकर्णी थे जो कि सभी इंडियन इस्टीटयूट आफ० मैनेजमेंट, अहमदाबाद के हैं।

(ख) अविछिन्न शिक्षा कार्यक्रम

अविछिन्न शिक्षा के विस्तृत कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सदस्यों को अद्वितीय अवसर प्रदान किया गया है ताकि उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बराबर रखा जा सके। पोस्ट ग्रेजुयेट कोर्स कमेटी ने अगस्त, 1972 तक निम्नलिखित तीन सेमिनारें आयोजित कीं:

(1) बंगलौर में जून, 1972 में आयोजित "निर्णय करने के लिए लागत" पर सेमिनार।

(2) मद्रास में जुलाई 1972 में आयोजित "प्रभावी नकद प्रबन्ध" पर सेमिनार।

(3) बम्बई में अगस्त 1972 में आयोजित "बुनियादी आकड़े तैयार करने की संकल्पनाएं एवं तकनीक" पर सेमिनार।

(ग) छात्रवृत्तिया

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, रुपये 500 प्रत्येक को छात्रवृत्ति पुस्तकें खरीदने के लिए 9 सदस्यों को प्रदान की गई। इनका भुगतान योगदान द्वारा एकत्रित कोषों और साथ ही कौसिल के कोषों से किया गया।

(घ) परीक्षा और प्रशिक्षण

जो सदस्य मई और नवम्बर 1971 को मैनेजमेंट एकाउन्टैन्सी परीक्षा (पाठ्यक्रम के भाग 1) में बैठे और उत्तीर्ण हुए, उनके विवरण परिशिष्ट (4) में दिए गए हैं।

वर्ष के अन्त मे, 30 सदस्य पाठ्यक्रम के भाग 2 के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण में जुटे थे। अपनी थीसिस की तैयारी में उनका मार्गदर्शन उद्योग में वरिष्ठ अधिकारियों और एकाउन्टैन्टों द्वारा किया जाता है।

(5) विशेषज्ञ सलाहकार समिति

1-4-1971 से 31-3-1972 तक तीन प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें से एक का उत्तर वर्ष में ही दे दिया गया। शेष दोनों प्रश्नों पर समिति सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है इसके साथ साथ, वर्ष के दौरान दो और पिछले प्रश्नों पर परामर्श दिया गया, जो कि 1-4-1971 से पहले प्राप्त हुए थे।

(6) रोजगार समिति

31 मार्च 1972 को रोजगार रजिस्टर में सदस्यों की संख्या 108 थी, जबकि 31 मार्च 1971 को 152 थी। रोजगार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने वाले आवेदनो की सख्या में कमी आना इस बात का संकेत है कि रोजगार स्थिति मे सुधार हुआ है।

इंस्टीट्यूट के दिसम्बर 1971 के जनरल में स्टेट बैंक द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की नियुक्ति के लिए अच्छे अवसरों के सबंध मे एक घोषणा प्रकाशित हुई थी। कहने की आवश्यकता नही है कि जब कभी रिक्त स्थानों की सूचना दी जाएगी तो सदस्य उपलब्ध अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगें।

एक दूसरी घोषणा इंस्टीट्यूट के जनवरी 1972 के जनरल में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि सदस्यों से वैयक्तिक आंकड़े मांगे गए थे, ताकि उन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को अग्रेसित किया जाए, जो कि विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करने में लगा हुआ है और जो उनको सहायता से औद्योगिक सस्थानों के अधिकारियों के रूप में कार्य करेगे। सदस्यों में से 200 से अधिक आवेदनपत्र प्राप्त हुए और ये आगे की कारवाई के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को भेज दिए गए।

7. टैक्सेशन

जुलाई 1971 में वित्त मत्री को वित्त (सं० 2) बिल, 1971 पर एक ज्ञापन दिया गया।

मार्च 1972 में वित्त मंत्री को एक बजट पूर्व ज्ञापन दिया गया।

नवम्बर 1971 में भारत सरकार को और टैक्सेशन कानून (संशोधन) 1971 पर बनी प्रवर समिति को एक ज्ञापन दिया गया। दिसम्बर 1971 में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया।

नवम्बर 1971 में सेन्ट्रल सेल्सटैक्स (संशोधन) बिल 1971 पर प्रवर-समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। जनवरी 1972 मे इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियो द्वारा मौखिक प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया।

टैक्सेशन पर चतुर्थ अखिल भारतीय सेमिनार नई दिल्ली मे 7 और 8 अप्रैल 1972 को हुआ। सेमिनार का उद्घाटन भारत सरकार के वित्त मत्री माननीय श्री वाई० बी० चव्हाण ने किया और इसमें 250 से अधिक डैलीगेटों ने भाग लिया।

सेमिनार ने, तीन तकनीकी सत्रों में, 16 निबन्ध लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए निबंधों पर विचार विमर्श किया है तीनों तकनीकी सत्रो की अध्यक्षता प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य श्री के० ई० जानसन और एच० ए० शाह तथा प्रत्यक्ष करो के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर० डी० शाह द्वारा की गई।

श्री मुकुमार भट्टाचार्य और श्री पी० एम० नारियलवाला दूसरे और तीसरे तकनीकी सत्र मे उद्घोषक थे। पहले तकनीकी सत्र के उद्घोषक श्री के० पी० भागुव अपरिहार्य कारणो से उपस्थित नहीं हो सके।

वित्त मंत्रालय मे भारत सरकार के सयुक्त सचिव श्री आई० पी० गुप्ता प्रथम तकनीकी सत्र के एक अतिथि वक्ता थे।

अध्यक्ष (श्री ए० बी० टंडन) को सरकार (प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड) द्वारा उसके द्वारा बनाए गए एक अध्ययन ग्रुप में नामजद किया गया जो कि आय और शुद्ध सम्पत्ति की पूर्तियों के वर्तमान फार्मों की परीक्षा करेगा और उन फार्मों में आवश्यक परिवर्तन से सबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

कौंसिल ने सरकार को प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) में दी गई विभिन्न सिफारिशों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

8. आडिटरों को अनौचित्य पूर्ण हटाना

कौंसिल को आडीटरों के कथित अनौचित्यपूर्ण हटाए जाने के एक मामले की रिपोर्ट की गई थी जहां कि स्थगित वार्षिक जनरल मीटिंग में पारित प्रस्ताव के अनुसार विद्यमान आडीटरों को हटाया

गया और नए आडीटरों की नियुक्ति की गई थी। चूंकि बैठकों के जनरल कानून के अन्तर्गत कोई भी नया कार्य स्थगित वार्षिक जनरल मीटिंग में नहीं उठाया जा सकता और इससे भी अधिक चूंकि कम्पनी के आर्टिकल्स में विशिष्ट रूप से यह बताया गया है कि ऐसा कार्य स्थगित वार्षिक जनरल मीटिंग में लाया नहीं जा सकता, इसलिए यह निणय लिया गया कि नए आडीटरों की नियुक्ति अनियमित और अवैध है। पक्षों को इसके अनुसार सूचित कर दिया गया।

एक दूसरे मामले की रिपोर्ट मिली जहां कि कम्पनी द्वारा कम्पनीज एक्ट की धारा 225(1) के अन्तर्गत विशेष नोटिस दिए बिना विद्यमान आडीटरों के साथ-साथ संयुक्त आडीटरों के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की एक फर्म की नियुक्ति की गई थी। यह निणय लिया गया कि नियुक्ति वैध थी और पक्षों को इसके अनुसार सूचित कर दिया गया।

9. विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति विचार कर रही है कि यह सदस्यों की अच्छी तरह से किस प्रकार सहायता कर सकती है जो कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रोफेसरों और लेक्चररों के रूप में सम्बद्ध हैं।

अध्यापन कार्यों में लगे चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की संख्या का पता लगाने के लिए समिति द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप यह सामने आया कि केवल कुछ विश्वविद्यालय ही चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। समिति को यह जान कर गहरी चिन्ता हुई कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट की सदस्यता को, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तरों पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, सही योग्यता नहीं मानते। समिति ने इस मामले को विश्वविद्यालयों के साथ उठाया और लगातार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कुछ विश्वविद्यालयों जैसे गुजरात विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट की सदस्यता को, विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कालेजों में ग्रजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तरों पर छात्रों को पढ़ाने के उद्देश्य के लिए, सही योग्यता के रूप में मान्यता देने के लिए राजी हो गए। समिति ने इंस्टीट्यूट की सदस्यता को मान्यता के लिए उन विश्वविद्यालयों में अपने प्रत्यन जारी रखे हुए हैं जिन्होंने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया।

पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए सदस्यता की मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट की सदस्यता को मान्यता के अतिरिक्त, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने इंस्टीट्यूट की सदस्यता को पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से एम० काम डिग्री के बराबर की योग्यता के रूप में विचार करने के लिए राजी हो गए है।

विश्वविद्यालय	शर्तें
1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट उस विश्वविद्यालय में वाणिज्य में पी० एच० डी० अनुसन्धान स्कालरों के रूप में उस विश्वविद्यालय के एम० काम० डिग्री के बराबर माने जाते हैं।

विश्वविद्यालय	शर्तें
2. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	ग्रेजुएट जिसने इस्टीट्यूट की इन्टरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, उन्हें उदयपुर विश्वविद्यालय के एकाउन्टैन्सी और स्टैटिस्टिकस क्रम मे मास्टर आफ कामर्स के समक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा और कामर्स फैकल्टी मे एकाउन्टैन्सी और स्टेटिस्टिकस पी० एच० डी० रिसर्च स्कालरो के रूप मे नाम दज करान के लिए योग्य समझा जाता है।
3. पजाब विश्वविद्यालय, चडीगढ़	इस्टीट्यूट के वे सदस्य जो कि ग्रेजुएट है और उस विश्वविद्यालय से संबधित कालेज या विश्वविद्यालय के अध्यापम विभाग मे अध्यापन के लिए पूर्ण या अशकालिक रूप से नियुक्त है, वे विश्वविद्यालय के अनुसधान स्कालरो के रूप में नाम दर्ज कराने के योग्य है।
4. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	इस विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष के दूसरे विश्वविद्यालय की बी० काम डिग्री रखने वाला सदस्य एक छात्र के रूप मे विश्वविद्यालय की कामर्स में पी० एच० डी० डिग्री के लिए नाम दर्ज कराने के योग्य है।
5. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्जम	चार्टर्ड एकाउन्टेट विश्वविद्यालय की कामर्स फैकल्टी के अन्तर्गत मैनेजमेंट स्टडीज में पी० एच० डी० के लिए रजिस्ट्रेशन योग्य है।
6. पजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	चार्टर्ड एकाउन्टैन्टो को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एव कामर्स फैकल्टी में एम० लिट/पी० एच० डी० तक अनुसधान करने की अनुमति दी जाती है, साथ ही दूसरी फैकल्टी मे उनसे संबधित विषयों में भी, बशर्ते कि वे विश्वविद्यालय की एम० लिट/पी०एच०डी० डिग्री से सबधित अध्यादेशो की दूसरी आवश्यकताओ की पूर्ति करते हो।
7. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर (गुजरात)	चार्टर्ड एकाउन्टेट विश्वविद्यालय की कामर्स फैकल्टी में पी० एच० डी० डिग्री पाठ्यक्रम मे प्रवेश के योग्य है, बशर्ते कि ऐसे आवेदनकर्ताओ के पास कामर्स में आधारभूत डिग्री हो।
8. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।	ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले चार्टर्ड एकाउटेन्ट विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० में रजिस्ट्रेलन के लिए विश्वविद्यालय की एम० काम डिग्री के समकक्ष समझी जाती हैं।

विश्वविद्यालय	शर्तें
9. अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के फेलो (एफ० सी० ए०) जिनके पास साधारणतया प्रथम या द्वितीय श्रेणी में बी० काम० डिग्री हो, वे कामर्स मे डाक्टर आफ फिलासफी की डिग्री में प्रवेश के योग्य है, बशर्ते कि उन्होंने विभाग द्वारा आवेदनकर्ताओं के चयन के लिए किये गये आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

10. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही और श्री एस० सी० सामान्त द्वारा कम्पनी संशोधन बिल—सरकार को ज्ञापन

जहा तक कि चिन्तामणि पाणिग्रही के बिल का सबध है, यह पिछली ससद् मे पेश किया गया था और सरकार को उस पर एक ज्ञापन भी दिया गया था, जैसा कि पिछली रिपोर्ट मे बताया गया है। यह बिल रद्द (लैप्स) हो गया था तथा वर्तमान संसद् के सामने इसे दोबारा पेश किया गया और बिल पर एक पूरक ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

यह ज्ञातव्य है कि 'अन्य बातों के साथ-साथ' यह बिल इस की व्यवस्था करता है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में आडीटर के रूप मे पाच से अधिक कम्पनिया में नही रह सकता, जिसमें से दो से अधिक, यदि कोई हैं, पब्लिक कम्पनियों नही हो सकती।

प्रस्तुत किये गये पूरक ज्ञापन मे व्याख्या की गई है कि हालांकि कौंसिल यह मानती है कि व्यवसाय का समान विकास हासिल करने के लिए समस्त प्रयत्न किये जाने चाहिएं, लेखक द्वारा इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सुझाए गये साधन कारण युक्त नहहै। सरकार का ध्यान कौंसिल द्वारा पारित स्वयं नियमित तरीकों पर दिलाया गया और यह कहा गया कि ये स्वयं संपूर्ति और व्यवसायिक विकास के लिए सदस्यों की इच्छा की आधिकारिक अभिव्यक्ति होने के कारण यह कारण युक्त नही होगा कि इतना शीघ्र कोई कानून बनाया जाये, जब कि कौंसिल ने स्वयं ही उपरोक्त प्रस्ताव पारित कर लिया है।

श्री एस० सी० सामन्त के दूसरे बिल में 'अन्य बातों के साथ-साथ' इस की व्यवस्था है कि कम्पनियों द्वारा आडिटरों का केवल 'चयन' किया जाए और यह कि चयन को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराना होगा।

इस बिल पर प्रस्तुत ज्ञापन में, सरकार का इसकी ओर ध्यान दिलाया गया कि किसी स्टेटिस्टिकल या अन्य प्रमाणों का इस तर्क के समर्थन में, कि कम्पनियों के ऐकाउन्टों का ठीक तरह से आडिट नही होता है, के अभाव मे यह उचित नही होगा कि एक बुद्धिमान और स्वतत्र व्यवसाय के सदस्यों की व्यवसायिक सक्षमता पर सन्देह या आरोप लगाए जाएं। सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि यदि इस बारे में उसके पास कोई सूचना है तो उसे कौंसिल को भेज दिया जाए ताकि वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उचित कार्रवाई कर सके। यह भी बताया गया कि यह प्रस्ताव आडिटरों की स्वतंत्रता का हनन करेगा और सरकारी नियुक्ति अधिकरण का अनुसेवी बना देगा, और एक सुझाव भी दिया गया कि यदि आडिटरों की स्वतंत्रता की पुष्टि का ही उद्देश्य है तो यह कम्पनी एक्ट में इस बात की व्यवस्था कर के प्राप्त किया जा सकता है कि आडिटरों की नियुक्ति

पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाए । इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि फ़ांस में आडीटरों की स्वतंत्रता की पुष्टि के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है । प्रस्ताव में निहित दूसरी कमियों और कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया और यह कहा गया कि आडिटरों को अपनी इच्छानुसार नियुक्त करने का, शेयर होल्डरों का अधिकार, जो कि कम्पनियों के वास्तविक मालिक होते है, नहीं छीना जाना चाहिए ।

11. इंस्टीट्यूट का जनरल

"दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट"

रिपोर्ट वर्ष के दौरान जनरल उपयोगिता और गुण में सुधार के लिए बहुत से कदम उठाये गये । जून 1971 में जनरल का एक विशेषांक "न्यू स्टेटेजी फॉर इकोनोमिक डवलपमेंट" की विषय वस्तु पर प्रकाशित किया गया जनरल में बहुत से नये सामिक फीचर जोड़े गये । स्वयं जनरल को भी एक नया रूप दिया गया । विज्ञापनों में वृद्धि के लिए प्रबल प्रयत्न किये गये । औसत शुद्ध खपत संख्या प्रतिमाह 12,218 प्रतियों से बढ़कर 15,201 प्रतियां हो गई है ।

12 प्रकाशन

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किये गये :—

1. आचार संहिता (कोड आफ कन्डक्ट) (परिवर्धित संस्करण)
2. अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सम्मेलन—1969 की कार्रवाई ।
3. कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत कास्ट एकाउन्टिंग रिकार्डस रूल्स, और इलैक्ट्रिकल मोटर उद्योग की कम्पनियां ।

4. अन्य विषय

1. रिव्यू कमेटी

मार्च, 1972 में हुई अपनी बैठक में, कौंसिल ने इंस्टीट्यूट की कार्य प्रणाली और व्यवसायिक समस्याओं की विस्तार पूर्वक परीक्षा करने के लिए एक रिव्यू कमेटी नियुक्त की । कमेटी मे निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री ए० बी० टंडन	चेयरमैन
2. श्री आर० के० खन्ना	वाइस चेयरमैन
3. श्री एस० के० गुप्ता	सदस्य
4. श्री एन० सी० कृष्णन्	सदस्य
5. श्री बी० एस० मेहता	सदस्य

कमेटी के संदर्भ सिद्धान्त निम्न प्रकार से हैं '—

"1. (क) सचिवालय—उसकी आन्तरिक पद्धति, बजट, आकलन, संचार निरन्तर जानकारी देना और कौंसिल और उसकी समितियों और इंस्टीट्यूट के छात्रों और सदस्य के कार्य के सामान्य गुणों में सुधार ।

(ख) कौंसिल के संचालन—उसकी आन्तरिक विचारक और निर्णय करने की प्रक्रियाओं मे, व्यवसाय में गतिशीलता और वृद्धि के विचार से सुधार ।

2. विद्यमान असंतोष, विशेषकर युवा सदस्यों में, के कारण दूर करने के लिए साधन और तरीकों को सुझाना ।

3. एक तरफ कौंसिल और दूसरी ओर इंस्टीट्यूट के सदस्यों और छात्रों के बीच अभिव्यक्ति के साधनों को सुधारना, ताकि व्यवसाय के समक्ष समस्याओं को भली प्रकार समझा जा सके ।

4. जानकारी-स्तर और शैक्षिक निवेशों में सुधार और उनकी उन्नति, ताकि कल का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थानों और साथ ही राज्य और सरकार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः तैयार रहे।"

जैसा कि इस रिपोर्ट में अन्यत्र बताया गया है, कमेटी ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और इंस्टीट्यूट के सभी सदस्यों को, जहां तक सन्दर्भ सिद्धान्तों की मद संख्या 2 का सबंध है, जनरल के माध्यम से एक प्रश्नावली भेज दी गई है । कमेटी अन्य मामलों पर भी विचार कर रही है ।

2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट और रैगुलेशन्स

(क) कौंसिल ने श्री ए० बी० टंडन की अध्यक्षता में एक संहिताकारण समिति नियुक्त की है—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट, 1949 और चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रैगुलेशन्स, 1964 की व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार के लिए—जिसका उद्देश्य सामने आने वाली कठिनाइयों और अनुभव को दृष्टि में रखकर संशोधनों का सुझाव देना है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव भी दिया गया है कि चार्टर्ड एकाउन्टेंटस एक्ट की धारा 5(3) में संशोधन किया जाए, ताकि उस सदस्य को फैलोशिप प्रदान की जा सके जिसने इंस्टीटयूट द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट पाठयक्रम पूर्ण कर लिया है ।

(ग) कौंसिल ने चुनाव नियमों में अनेक परिवर्तन अनुमोदित कर दिये हैं जो कि लागू किये जाने की प्रक्रिया में है । उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण , जिनमें कि सदस्य रुचि ले सकते हैं, ये हैं :—

(1) मतदाताओं की सूची निर्वाचन वर्ष की पहली अप्रैल तक की तैयार की जाएगी । (इस समय ऐसी सूची निर्वाचन वर्ष से पिछले वर्ष में अक्टूबर या नवम्बर के महीने में एक निश्चित तारीख को तैयार की जाती है)

(2) चुनाव में खड़े होने या मत देने की ग्राह्यता को फीस के भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा और मतदाताओं की सूची में जिसका भी नाम होगा, वह इसके योग्य होगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचन तिथि से पहले रजिस्टर में से हटा न दिया गया हो ।

(3) नगर के विभिन्न भागों में स्थित एक से अधिक बूथ वाले नगर के मामले में मतदान बूथों के पते इंस्टीट्यूट के जनरल में, मतदाता सूची के प्रकाशित होने से, दो या तीन महीने पहले प्रकाशित किये जाएंगे, और साथ में एक छिद्रित कार्ड होगा जिस पर सदस्य समय से पहले ही मतदाता बूथ के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकेंगे । इसके साथ ही, सदस्यों को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 15 दिनों का समय भी दिया जाएगा ताकि वे शहर के अन्दर मतदाता बूथ में परिवर्तन के लिए कह सकें ।

(घ) रैगुलेशनों में किये जाने वाले दूसरे परिवर्तनों में, वे संशोधन हैं, जोकि शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष समिति की सिफारिशों को कार्य रूप दे सकें, जिसकी नियुक्ति कौंसिल द्वारा सितम्बर, 1968 में की गई थी और जिसकी रिपोर्ट कौंसिल द्वारा कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली गई थी। इन सिफारिशों के मुख्य तत्व पिछली रिपोर्ट मे बताए गये थे।

(च) क्षेत्रीय कौंसिल की शाखा का अधिकार क्षेत्र 10 मील की परिधि से 50 मील की परिधि तक बढ़ा देने के लिए रैगुलेशन 136 का संशोधन किया गया।

(छ) रैगुलेशन 29 मे संशोधन किया जा रहा है ताकि आर्टिकल्ड क्लर्क/कलर्कों को प्रशिक्षित करने की इच्छा रखने वाले सदस्य का मुख्य व्यवसाय, न केवल एप्रैन्टिस रखने समय ही, प्रैक्टिस होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक क्वालीफाईंग वर्षों में भी।

3 भारत मे एकाउन्टेंसी व्यवसाय का इतिहास

जितना शीघ्र हो सके भारत में अकाउन्टेंसी व्यवसाय का इतिहास निकालने के प्रबल प्रयत्न जारी हैं। इतिहास के 1972 के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है।

4. सदस्यता की पारस्परिक मान्यता

जैसा कि, पिछली रिपोर्ट में बताया गया है, इन्स्टीट्यूट की सदस्यता की, पारस्परिक आधार पर मान्यता का प्रश्न अनेक विदेशी एकाउन्टेन्सी संस्थाओं के साथ उठाया गया था। इस विषय को प्रबल रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और जैसे ही किसी एक संस्था के साथ किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचा जाता है, हमारे जरनल मे घोषणा कर दी जाएगी।

अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ सर्टीफाईड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स के पास एप्रोच करने के साथ-साथ अमेरिका के कुछ राज्य मंडलों को भी सदस्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एप्रोच किया गया है।

5. बंगला देश की सहायता का प्रस्ताव

मार्च 1972 मे हुई अपनी बैठक में कौंसिल ने नवोदित राष्ट्र बंगला देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना योगदान करने का निश्चय किया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में लगे किसी भी प्रजातंत्र मे पब्लिक एकाउन्टेबिलिटि की सबद्धता से आशवस्त होने के कारण कौंसिल ने महसूस किया कि बंगला देश में एक संगठित रूप मे एकाउन्टेन्सी व्यवसाय की स्थापना और विकास वह क्षेत्र है जहां कि कौंसिल एक मूल्य योगदान कर सकती है। इसलिए कौंसिल ने बंगला देश को सभी संभव सहायता देने का प्रस्ताव किया है यदि उसकी सरकार चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की एक स्वायत्त इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का निश्चय करती है और हमारी सरकार के पास इस प्रकार की सहायता के एप्रोच करती है।

6. बंगला देश सहायता कोष और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान के लिए अपील

अध्यक्ष की अपील के उत्तर मे हमे बंगला देश सहायता कोष के लिए रू० 571/– की कुल राशि और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए रू० 13,742/– की राशि प्राप्त हुई।

7 पुस्तकालय

वर्ष के दौरान नई दिल्ली में सेन्ट्रल कौंसिल पुस्तकालय में 645 पुस्तकों की वृद्धि हुई। सदस्यों और छात्रों द्वारा पुस्तकालय के प्रयोग में वृद्धि हुई जो कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है।

वर्ष	उपस्थिति	परामर्श की गई पुस्तकों की संख्या
1967–68	4810	7800
1968–69	4990	8300
1969–70	5200	9000
1970–71	5500	9500
1971–72	5900	10200

इसके साथ-साथ नई दिल्ली के सेन्ट्रल कौंसिल पुस्तकालय से सदस्यों को डाक द्वारा भी पुस्तकें भेजी जाती रही है जोकि पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे है और दिल्ली से बाहर रहते है।

कौंसिल ने क्षेत्रीय कौंसिल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद के लिए 42,000/- रु० कुल राशी मंजूर की। सेन्ट्रल पुस्तकालय और क्षेत्रीय केन्द्रों में पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है :—

केन्द्रीय पुस्तकालय, नई दिल्ली	9727
पश्चिम भारत क्षेत्रीय कौंसिल	4008
दक्षिण भारत क्षेत्रीय कौंसिल	4428
पूर्व भारत क्षेत्रीय कौंसिल	3876

8 अन्य संस्थायों में इन्स्टीट्यूट के नामजद व्यक्ति

इन्स्टीट्यूट का निम्नलिखित बाह्य संस्थाओं में उनके सदस्यों द्वारा जिनके नाम संस्था के नाम के सामने दिये गये है प्रतिनिधित्व किया जाता है,

संस्था का नाम	प्रतिनिधि का नाम
(1)	(2)
1 दि जनरल कौंसिल आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च	श्री ए० बी० टंडन
2 दि नेशनल प्रोडक्टीविटी कौंसिल	श्री बंसी एस० मेहता
3 दि आल इण्डिया बोर्ड आफ टेक्नीकल स्टडीज इन कामर्स	श्री पी० बी० विजयराघवन

4. दि आल इण्डिया बोर्ड आफ टेक्नीकल स्टडीज इन मैनेजमेंट	श्री पी० के० मल्लिक
5. केन्द्र व राज्य सरकारों को तकनीकी और व्यवसायिक योग्यताओं की मान्यता पर सलाह देने के लिए आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्नीकल एजूकेशन का बोर्ड आफ असेसमेंट	श्री जी० साहा
6. वाणिज्यक विषयों के लिए स्टडी ग्रुप—डायरेक्टोरेट जनरल आफ एम्पलाएमेंट एण्ड ट्रेनिंग ।	श्री एस० जी० आरगाडे
7. आय और शुद्ध सम्पत्ति की रिटर्नों के विद्यमान फार्मों की जांच के लिए स्टडी ग्रुप	श्री ए० बी० टंडन
8. इण्डियन कौंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च की वाणिज्य पर स्थाई समिति	श्री एच० एम० दमानिया
9. पंच वर्षीय योजना बनाने के लिए प्रबंधकीय कार्मिकों पर वर्किंगग्रुप	श्री एच० बी० ढींडी
10. इंटर यूनीवर्सिटी बोर्ड आफ इण्डिया एण्ड लंका—विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षण प्रविधि की सहिनी तैयार करने में सहायता देने के लिए समिति	श्री बी० आर० सल्होत्रा और श्री महेश दत्ता

9. इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इण्डिया;—

(1) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इण्डिया के पास कुछ छूटों को वापस लेने के विरुद्ध एक प्रतिवेदन दिया गया, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के सदस्यों या जिन्होंने हमारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, उन्हें पहले उपलब्ध थी, यह कहा गया कि :—

(क) जिन छात्रों ने हमारी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उनकी प्राथमिक परीक्षा से छूट प्रदान की जाए ।

(ख) हमारी इंस्टीट्यूट के सदस्यों/हमारी अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं से पूर्णतः छूट दी जानी चाहिए ।

(ग) इंस्टीट्यूट के सदस्यों/हमारी अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को भी अन्तिम परीक्षा के एडवान्स्ड एकाउन्टेन्सी मर्केन्टाईल लां, इकोनोमिक्स और कम्पनी लां एंड एम० आर० टी० पी एक्ट के पर्चों से छूट मिलनी चाहिए ।

(घ) कुछ निर्धारित कसौटियों को पूरा कर लेने पर कम्पनी सैक्रेटरीज इंस्टीट्यूट की सदस्यता के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंटों/व्यक्तियों जिन्होंने हमारी अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की है के नाम दर्ज कराने के संबंध में, नियम 6 में दी गई पहले की व्यवस्थाओं को फिर से चालू किया जाना चाहिए ।

इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज से सदस्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए अथवा उसके विकल्प में दोनों इंस्टीट्यूटों की परीक्षाओं के कुछ पर्चों में पारस्परिक छूट प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यद्यपि कौंसिल सदस्यता की पारस्परिक मान्यता के पक्ष में नहीं है, इस प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है कि क्या कुछ परीक्षा प्रश्न पर्चों में कोई छूट दी जा सकती है ।

(2) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इंडिया ने अगस्त, 1971 में एक सूचना जारी की जिस में 31 दिसम्बर, 1971 तक 'अन्य बातों के साथ साथ' चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से आवेदन पत्र मांगे गए जो कि 'आवेदन की तारीख' को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/अधिनियमित निगम के सैक्रेटेरियल विभाग में जिम्मेदार पद पर लगातार पांच वर्ष तक या कम्पनी सैक्रेटरी के रूप में तीन वर्ष तक कार्य करते रहे हों और उसमे उस इस्टीट्यूट को कौंसिल संतुष्ट हो उनको एक प्रतिवेदन किया गया कि उन चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों का अनुभव जिन्होंने भूतकाल मे निर्धारित अवधि के लिए वांछित पदों पर कार्य किया हो, केवल इस बात पर उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि आवेदन की तारिख को, वे ऐसे पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज से प्राप्त उत्तर बहुत सहायक न होने के कारण इस विषय को कम्पनी कार्य विभाग के साथ उठाया गया है ।

(3) कौंसिल को इस्टीट्यूट के सदस्यों से इस तौर तरीके के बारे में विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें इस्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज की सदस्यता के लिए उपरोक्त सूचनाओं के अन्तर्गत भेजे गए आवेदन पत्रों को, उनके अनुभव पर सही ढंग से विचार किए बिना ही अस्वीकार कर दिया गया । इनमें से कुछ मामलों में, प्रभावित सदस्य प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में कार्य कर रहे है और लगता है कि उनके आवेदन पत्र इस तकनीकी बात पर अस्वीकृत कर दिए गए है कि सूचना में 'पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों' के अनुभव का हवाला है । कुछ दूसरे मामले भी है, जहां कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में कार्य कर रहे और वांछित स्तर के पद रखने वाले सदस्यों का अनुभव भी बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया ।

इन सभी मामलों के संबंध में कम्पनी कार्य विभाग के साथ मामला उठाया गया है ।

10. चार्टर्ड एकाउन्टेंट निधि कोष :

वर्ष के दौरान सदस्यों की संख्या 169 से बढ़कर 175 हो गई और रु 6,900/– की राशि का वितरण किया गया। वर्ष के अन्त में कोष के क्रेडिट में रु० 66,763/– का बैलेन्स था, जबकि पिछले वर्ष के अन्त में रु० 66,835/– था

चेयरमैन ने विभिन्न संगठनों को, जिनमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों ने 10 या अधिक वर्षों के लिए कार्य किया हो, इनसे निवेदन करते हुए उपयुक्त पत्र लिखे गए है कि वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कर्मचारियों के संबंध मे आजीवन सदस्यता शुल्क अदा करें, जिससे होने वाले लाभों से उन्हें भली प्रकार बताया गया है। आशा की जाती है कि इस अपील के अच्छे परिणाम होंगे ।

11. एस० वैद्यनाथ अय्यर स्मारक कोष :

एक वर्ष के लिए रुपये 50/– प्रत्येक को दो छात्रवृत्तिया केन्द्रीय भारत क्षेत्र मे सेवारत आर्टिकल्ड क्लर्कों को प्रदान की गई। इसके साथ-साथ, रुपये 50/– प्रत्येक की दो छात्रवृत्तिया भी एक वर्ष के लिए उन छात्रों को प्रदान की गईं जिन्होंने मई, 1971 में हुई इंटरमीडिएट परीक्षा में पांच पोजीशनों में एक-एक प्राप्त की थी लेकिन योग्यता व ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के योग्य नहीं थे और अन्य दो छात्रवृत्तियां उनको दी गईं जिन्होंने नवम्बर, 1971 में हुई इंटरमीडिएट परीक्षा में इसी प्रकार की पोजीशनें प्राप्त की थी ।

कोष के सदस्यों की संख्या वर्ष के दौरान 33 से बढ़कर 35 हो गई । वर्ष के अन्त में कोष के क्रेडिट में रु० 23,603/- का बैलेन्स था, जबकि पिछले वर्ष के अन्त में रु० 23,745/- था चेयरमैन ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों को, जहां कि छात्र औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पत्र लिखे हैं, इस निवेदन के साथ कि वे कोष को वित्तीय सहायता प्रदान करें । इसका उद्देश्य उनको उनके प्रशिक्षण की बची हुई अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है । उनके प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए शेष महीनों की संख्या द्वारा गुणा किए गए छात्रों की संख्या द्वारा गुणा किए गए रु० 100/-, के बराबर की राशि कोष में जमा करानी होगी । चेयरमैन ने इन औद्योगिक संगठनों को यह भी सूचित किया है कि यह योजना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों द्वारा दिए गए वचन से संबंद्ध है कि अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कम से कम दो वर्ष के लिए इन संगठनों की सेवा करेंगे जिसके लिए उन्हें उचित वेतनमान मिलेगा जो कि उस श्रेणी में मिलता है, जिसमें वे नियुक्त होंगे । आशा की जाती है कि विभिन्न औद्योगिक संगठन योजना को सफल बनाने में सहयोग देंगे ।

5. सम्मेलन

1 दसवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आफ एकाउन्टैन्ट्स

जैसा कि पिछली रिपोर्टों में उल्लिखित है, कौंसिल सिडनी, आस्ट्रेलिया में 16 मे 20 अक्टूबर, 1972 तक होने वाली दसवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आफ एकाउन्टैन्ट्स में भाग लेने के लिए एक शिष्ट-मण्डल भेज रही है । कौंसिल ने कांग्रेस के शिष्टमण्डल के लिए 76 सदस्यों का चुनाव किया था, परन्तु भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने अथवा आस्ट्रेलिया जाने तथा ठहरने का व्यय वहन करने के लिए चार से अधिक प्रतिनिधियों के लिए विदेशी मुद्रा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं की ।

2. ग्यारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आफ एकाउन्टैन्ट्स :

सन् 1977 में भारत में होने वाली ग्यारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से निमंत्रण दिया गया है । यदि निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया, जिसके कि स्वीकृत कर लिए जाने की पूरी सम्भावना है, तो यह पहला अवसर होगा, जबकि कोई अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस आफ एकाउन्टैन्ट्स हमारे देश में होगी । ऐसी आशा की जाती है कि निमंत्रण की स्वीकृति से एकाउन्टिंग व्यवसाय के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल हमारे देश में होगा, बल्कि एशियाई क्षेत्र में भी और निःसन्देह विश्व के इस भाग में एकाउन्टिंग चिन्तन और सिद्धान्त की प्रगति और विकास में एक कमी की पूर्ती होगी ।

3. एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय एकाउन्टैन्ट्स का सातवां सम्मेलन .

एशियाई और प्रशान्त महासागरीय एकाउन्टैन्ट्स का सातवां सम्मेलन नवम्बर, 1973 में बैंकाक (थाईलैन्ड) में होगा और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड एकाउन्टैन्ट्स एण्ड आडीटर्स आफ थाइलैन्ड द्वारा किया जा रहा है । इस सम्मेलन का उद्देश्य इस क्षेत्र की विभिन्न एकाउंटिंग व्यवसायिक संस्थाओं के अधिकारिक प्रतिनिधियों एवं प्रेक्षकों के साथ मिल कर निम्नलिखित पर विचार करना है :

(क) एकाउन्टैन्सी शिक्षण, जिसमें एकाउन्टैन्सी अनुसंधान नैतिक व्यवसायिक व्यवहार और सम्बन्धित कार्यकलापों में व्यवसायिक व्यक्तियों के लिए अविछिन्न शिक्षण सम्मिलित है, में अपने सम्बन्धित सदस्यों और उनके सम्बन्धित समुदायों को अपनी सेवाओं के विकास का साधन ।

(ख) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यवसायिक मानकों, प्रेक्टिस तथा तकनीकों के विकास के साधन ।

कौंसिल ने शिष्टमण्डल भेजने के लिए आयोजकों के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और इन्स्टीट्यूट के जरनल में अपने व्यय पर सम्मेलन में भाग लेने वाले इच्छुक सदस्यों से आवेदन आमन्त्रित करने की घोषणा की जा चुकी है ।

4. अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स सम्मेलन :—

कौंसिल ने बम्बई में 25 से 28 जनवरी, 1973 तक आगामी अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया है ।

एक सम्मेलन समिति का गठन किया गया है जिसमें की वर्तमान अध्यक्ष चेयरमेन होंगे तथा वर्तमान उपाध्यक्ष वाइस-चेयरमेन होंगे और कौंसिल के पश्चिम भारत क्षेत्र के सदस्य एवं पश्चिम भारत क्षेत्रीय कौंसिल के वर्तमान पदाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे ।

इंस्टीट्यूट के जरनल में सम्मेलन सम्बन्धी घोषणा की जा चुकी है ।

6. क्षेत्रीय कौंसिलें—क्षेत्रीय कौंसिलें और उनकी शाखाएं :—

चुनाव नियमों में परिवर्तन

क्षेत्रीय कौंसिलों की शाखाओं को शासित करने वाले निर्देशों में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव हाथ उठाने के स्थान पर मतपत्र के द्वारा होगा ।

क्षेत्रीय कौंसिलें पांच क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात पश्चिम (बम्बई), दक्षिण (मद्रास) पूर्व (कलकत्ता), मध्य (कानपुर) और उत्तर (दिल्ली) में कार्य करती रही । क्षेत्रीय कौंसिलें सक्रिय रही और उन्होंने अनेक सम्मेलन, सेमिनार, लैक्चर, स्टडी सर्किल मीटिंग आदि आयोजित की ।

क्षेत्रीय कौंसिलों की शाखाएं

दक्षिण भारत क्षेत्रीय कौंसिल की एक नई शाखा त्रिवेन्द्रम में खोली गई है । पश्चिम भारत क्षेत्रीय कौंसिल की 5 शाखाओं अर्थात अहमदाबाद, बड़ौदा, पूना, नागपुर और सूरत के अतिरिक्त दक्षिण भारत क्षेत्रीय कौंसिल की 9 शाखाएं—बंगलौर, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, मदुरै, मंगलौर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, और विजयवाड़ा तथा केन्द्रीय भारत क्षेत्रीय कौंसिल की 3 शाखाएं इन्दौर, जयपुर और जमशेदपुर में लगातार कार्य करती रहीं ।

7. सदस्य

1. सदस्यता परिवर्तन

इन्स्टीट्यूट के सदस्यों की संख्या 31 मार्च, 1972 को 12, 202 थी, जो 31 मार्च, 1971 से 975 अधिक थी । प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 350 एसोसियेटस फैलो के रूप में नामांकित किये गए, जबकि गतवर्ष इनकी संख्या 288 थी । 31 मार्च, 1971 की तुलना में 31 मार्च, 1972 की सदस्यों की जो संख्या थी उसकी सूची परिशिष्ट 5 के रूप में दी गई है ।

2. सदस्यों की सूची

1 अप्रैल, 1972 तक के सदस्यों की एक सूची प्रकाशित की जा चुकी है और जिन सदस्यों ने उसकी मांग की थी, उन्हें उसकी प्रतियां दी जा चुकी है ।

सूची में पतों के बाद, जहां भी सूचना उपलब्ध थी, पोस्टल जोन नम्बर भी प्रकाशित कर दिये गए हैं ।

3. अधिक एसोसियेट्स नामांकित करने के लिए प्रयत्न

अध्यक्ष ने उन सभी लोगों को व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं जिन्होंने सदस्यता की योग्यता प्राप्त कर ली है लेकिन सदस्यों के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है जिससे कि सदस्यों के लाभ के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा किये जा रहे या किये जाने वाले कार्यकलापों का उजागर कर सकें ।

इस पत्र व्यवहार के जवाब में 178 व्यक्तियों ने इंस्टीट्यूट के एसोशिएट सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है ।

फैलो सदस्यों का नामांकन

उद्योगों के सभी सदस्य, जो कि फैलो नहीं बने थे, यद्यपि वे ऐसा करने के लिए प्रार्थी थे, उनसे कौंसिल के सदस्यों और क्षेत्रीय कौंसिलों के अध्यक्षों द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया जिससे कि वे फैलो सदस्यों के रूप में अपना नाम दर्ज करा लें । इसके जवाब में अब तक 16 सदस्यों ने फैलो सदस्य के रूप में अपने नाम दर्ज कराए हैं ।

5. पारिवारिक कारोबार संस्थानों में निष्क्रिय साझेदार के रूप में सदस्यों के नियुक्त होने की अनुमति

इंस्टीट्यूट के 1949 में स्थापित होने के बाद से, कौंसिल इस धारणा पर कार्यवाही कर रही है कि प्रैक्टिस कर रहे सदस्य के द्वारा किसी कारोबार अथवा व्यवसाय में नियुक्ति, जिसमें कारोबार संस्थान में साझेदार के रूप में रखना भी सम्मिलित है, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट 1949 की प्रथम अनुसूची के भाग I की धारा (11) और चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 के रैगुलेशन्स 166 के द्वारा शासित थी । तदनुसार, रेगुलेशन 166 के अधीन कौंसिल द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव के अन्तर्गत कौंसिल प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों को अनुमति दे रही है कि वे निष्क्रिय साझेदार (नीनचार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के साथ) के रूप में ऐसे कारोबार संस्थान में जहां, उत्तराधिकारी होने के कारण अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के कारण उपार्जित रुचि हो, नियुक्त हो सकते है ।

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट की प्रथम अनुसूची भाग I की धारा (4) में यह व्यवस्था है कि प्रैक्टिस कर रहा चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट व्यवसायिक दुराचरण का दोषी माना जायेगा; यदि वह 'प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के अलावा किसी व्यक्ति के साथ, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है और जिसका विदेश में निवास होने के कारण वह सेक्शन 4 के उप भाग (1) की धारा (5) के अधीन सदस्य के पंजीकरण के लिए ग्राह्य है अथवा जिसकी योग्यताएं केन्द्रीय सरकार या ऐसी साझेदारी के लिए अनुमति प्रदान करने वाली कौंसिल द्वारा मान्य की जा चुकी है, साझेदारी करता है, बशर्ते चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट भारत में और भारत के बाहर दोनों में ही साझेदारी कारोबार में शुल्क अर्जित करता है अथवा लाभ लेता है ।

कुछ समय पूर्व एक प्रश्न उठाया गया था कि उपर्युक्त धारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसार क्या प्रैक्टिस कर रहा कोई सदस्य ऐसे कारोबार सस्थान में निष्क्रिय साझेदार हो सकता है जिसमें नाम-चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स भी साझेदार थे। इस प्रश्न पर कानूनी सलाह ली गई और हमें परामर्श दिया गया था कि धारा (4) के अधीन नान-चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के साथ किसी भी प्रकार से साझेदारी करना, चाहे वह व्यवसायिक हो अन्यथा दूसरी प्रकार की, पूर्णतः और असंदिग्ध रूप से निषिद्ध है अतः प्रैक्टिस कर रहा कोई भी चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, व्यवसाय में प्रैक्टिस कर रहे अन्य चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में साझेदारी नहीं कर सकता।

उसके बाद कौंसिल ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि क्या उपर्युक्त व्याख्या ही एक मात्र संभावित व्याख्या हो सकती है और यदि ऐसा है तो धारा (4) को उचित प्रकार से संशोधित कर दिया जाये, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह एकाउन्टैन्टी व्यवसाय की प्रैक्टिस करने पर ही लागू है, ताकि सदस्यों को पारिवारिक कोण कारोबार संस्थान में निष्क्रिय साझेदार बने रहने की अनुमति दीजा सके।

भारत सरकार ने सूचित किया है कि वे हमें दी गई कानूनी सलाह से सहमति प्रकट करते हैं। धारा (4) को उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कराने के लिए सरकार को सहमत कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि ऐसी सभावना है कि भारत सरकार संशोधन करने के अनुरोध को स्वीकार न करे, सभी सदस्यों जिन्हें भूतकाल में कारोबार में निष्क्रिय साझेदार बनने की अनुमति दी जा चुकी है, को सूचित किया जा चुका है कि निकट भविष्य में सरकार द्वारा निवेदित संशोधन के लिए तैयार न होने की अवस्था में वे कारोबार सस्थानों से अधिकतम 30 सितम्बर, 1972 तक अपने आप को अलग कर लेने के लिए तैयार रहे।

6. अनुशासनात्मक कार्यवाही

रैगुलेशन 11(8)(i) के अधीन पिछली रिपोर्ट के बाद अनुशासनात्मक समिति को जांच के लिए भेजे गये मामलों पर कौंसिल के निष्कर्ष का ब्यौरा परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

7. व्यवसायिक पत्र व्यवहार

मई, 1971 के जरनल में उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित नोट प्रकाशित हुआ था :

"कुछ ऐसी मिथ्या धारणा प्रतीत होती है कि पिछले आडीटर के साथ हुआ पत्र व्यवहार इस बात को मालूम करने के लिए किया गया था कि कार्य को स्वीकार करने वाले नये आडीटर की नियुक्ति में उसे कोई आपत्ति है। अधिकतर सदस्यों की सख्या इस बात को नहीं माननी प्रतीत होती कि नये आगन्तुक को भी संरक्षण देने के लिए यह पत्र व्यवहार अपेक्षित था। इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए इस सम्बन्ध में कौंसिल द्वारा "आचार संहिता" में दिए गये मार्ग-दर्शक नियम का यहां पुनः दिया जाता है।

"यह बताना आवश्यक है कि व्यवसायिक शिष्टाचार ही केवल प्रमुख कारण नहीं है जिसमें एक सदस्य का वर्तमान एकाउन्टैन्ट के साथ जो इंस्टीट्यूट का सदस्य अथवा प्रमाणिक आडिटर है, के साथ पत्र व्यवहार करे। इसमें निहित उद्देश्य तो यह है कि सदस्य को उन कारणों को जानने का अवसर मिलना चाहिये जिनकी वजह से वह बदला जा रहा है ताकि वह अपने हित, जनता के तर्कसंगत हित तथा वर्तमान एकाउन्टैन्ट की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस परिवर्तन को रोका जाय अथवा इसमें बाधा उत्पन्न की जाय। जब सेवानिवृत्त आडिटर से जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसकी नियुक्ति की जानी है अथवा जो पहले ही नियुक्त है उसके लिए प्रारंभिक रूप से यह मालूम

करना आवश्यक है कि क्या कोई ऐसा व्यवसायिक कारण है जिसकी वजह से वह इस नियुक्ति को स्वीकार न करे"। "आचार संहिता" में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कौंसिल के विचार में यह एक स्वस्थ परम्परा होगी, यदि उस सदस्य के साथ, जिसने पहले कार्य किया है, पत्र व्यवहार करने की प्रणाली प्रत्येक ऐसे मामले में अपनायी जाए जब कि एक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट को लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद एक प्रमाण पत्र देना होता है, अथवा ऐसे मामलों में भी जब वह परिसमापक, ट्रस्टी अथवा रिसीवर नियुक्त होता है और उसका पूर्वाधिकारी एक चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट था।

8 संयुक्त आडीटरों की नियुक्ति—पत्र व्यवहार की आवश्यकता

फरवरी, 1972 के जरनल में उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित नोट प्रकाशित किया गया था:

"यह प्रश्न उठाया गया है कि संयुक्त आडीटरों की नियुक्ति के मामले में जहां एक नये आडीटर की नियुक्ति के पहले से ही आडीटर का कार्य कर रहे व्यक्ति के साथ-साथ की गई है, क्या नये आडीटर के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पहले आडीटर के साथ लिखित रूप में पत्र व्यवहार करे और इस प्रकार न करना क्या चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 के प्रथम अनुसूची के भाग 1 की धारा (8) की व्यवस्थाओं का उलंघन होगा।

सदस्यों के मार्ग दर्शन के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि व्यवसायिक शिष्टाचार तथा व्यवसायिक दायित्व के नाते प्रथम अनुसूची के भाग 1 की धारा (8) के अधीन नये नियुक्त किये गये आडीटर के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह पहले आडीटर के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करे तथा ऐसे पहले आडीटर के साथ पत्र व्यवहार करे।"

9 सदस्यों के लिए लेपल बटन तथा टाईपिन

कौंसिल ने अपनी मार्च, 1972 को हुई बैठक में इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा लेपल बटन और टाईपिन प्रयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह सदस्यों को भुगतान करने पर दिए जायेंगे।

8. 31 मार्च, 1972 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखा के लिए वार्षिक एवार्ड

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रस्तुतीकरण की प्रतियोगिता के लिए 126 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित एवार्ड दिए गए:—

वर्ष 1969—70 में सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रस्तुत करने के लिए इंस्टीट्यूट की शील्ड।

ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड 30 जून, 1969 को समाप्त वर्ष तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा के लिए।

इंस्टीट्यूट, पदक (प्लाकस) अत्याधिक प्रशंसित एकाउन्टों के लिए।

इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज लि०—31 मार्च, 1970 को समाप्त वर्ष के लिए।

कैसोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०—मार्च, 1970 को समाप्त वर्ष के लिए।

स्टेट बैंक आफ इंडिया—31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त वर्ष के लिए।

9 आर्टिकिल्ड तथा आडिट क्लर्क

1. नये नामांकन

वर्ष के दौरान पंजीकृत आर्टिकिल्ड तथा आडिट क्लर्कों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दी हुई है :—

	1971–72	1970–71	विद्यार्थियों की कुल संख्या
आर्टिकिल्ड क्लर्क	2751	2851	5602
आडिट क्लर्क . . .	1275	1101	2376
	4026	3952	7978

2 शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संशोधन

शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशन में संशोधन 1 जुलाई, 1972 से लागू किए जाने थे। यह तारीख निकल चुकी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" के जून 1972 के अंक में एक घोषणा की गई कि इनको उस तिथि से लागू माना जायेगा। जिस तिथि को सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और वास्तविक रूप से परिवर्तन लागू करने से पूर्व "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट" के माध्यम से सभी सम्बन्धित पक्षों को पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जायेगी।

3. आर्टिकिल्ड क्लर्कों की रिक्तियों की सूची तैयार करना

सारे भारत में इन्स्टीट्यूट के सदस्यों के पास उपलब्ध आर्टिकिल्ड क्लर्कों की एक सूची कौंसिल ने तैयार की है। यह सूची इन्स्टीट्यूट के सदस्यों के नाम तथा उनके नगर और क्षेत्र के अनुसार डाक के पूरे पते सहित होगी। इसके साथ ही वह तिथि भी होगी जब रिक्तियां होंगी। कोर्स में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी इन्स्टीट्यूट के दिल्ली स्थित हेड क्वार्टर तथा क्षेत्रीय कौंसिल के कार्यालय—बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर तथा क्षेत्रीय कौंसिल के शाखा कार्यालयों में प्राप्य सूची को देखें।

सम्पूर्ण विद्यार्थी समुदाय की सहायता के लिए देश के सभी महत्वपूर्ण कामर्स कालेजों को भी सूची भेजी जा चुकी है।

4. आर्टिकल्ड और आडिट क्लर्कों के राजपत्रित अवकाश

आडिट तथा आर्टिकल्ड क्लर्कों की इस बारे में कि क्या वे राजपत्रित अवकाश लेने के अधिकारी हैं, एक निश्चित निर्देश देने की निरन्तर मांग पर, कौंसिल ने निर्णय किया कि आडिट तथा आर्टिकिल्ड क्लर्कों को प्रशिक्षित कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अपने संस्थानों में केन्द्रीय सरकार के समस्त राजपत्रित अवकाश रखेंगे ताकि ये अवकाश आडिट तथा आर्टिकल्ड क्लर्कों को मिल सकें। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अपनी इच्छा से राजपत्रित अवकाश के स्थान पर कोई अन्य अवकाश, अपनी सुविधा को देखते हुए, इस प्रकार कर सकते हैं कि अवकाशों की संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अवकाश के अनुसार ही रहे।

5 परीक्षा के दिनों के दौरान छुट्टी

कौंसिल ने यह भी निर्णय किया है कि इस इन्स्टीट्यूट की परीक्षाओं में बैठने वाले आर्टिकिल्ड और आडिट क्लर्क, परीक्षा के दिनों में छुट्टी पर नहीं माने जायेंगे।

6 आडिट तथा आर्टिकिल्ड क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिए प्रैक्टिस के क्रिब विशेषक वर्षों में सदस्यों का मुख्य व्यवसाय

कौंसिल ने कुछ वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया था कि जो आर्टिकिल्ड क्लर्क को प्रशिक्षण देने की इच्छा रखने वाले सदस्य का मुख्य व्यवसाय प्रैक्टिस न केवल आडिट या आर्टिकिल्ड क्लर्क को रखते समय ही होगा, अपितु अपनी प्रैक्टिस के प्रत्येक विशेषक वर्ष में भी रहेगा। फिर भी, रैगुलेशन 29 में किए गये संशोधन में यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया था। कौंसिल ने इस संदिग्धता को दूर करने के लिए रैगुलेशन में अब उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय किया है।

7. विद्यार्थियों के लिये होस्टल

यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन ने विद्यार्थियों के लिए होस्टल सुविधा प्रदान करने के लिए एक शिक्षण स्थापित किया है।

ट्रस्ट स्टूडेन्ट एसोसिएशनों के उद्देश्यों और कार्य कलापों का विस्तार किया गया है ताकि इसमें छात्रों के लिए हास्टल निर्माण और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों छात्रों और दूसरों से दान द्वारा कोष एकत्रित करने, ऐसे साधनों के जरिये, जिन्हें कौंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया हो का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एसोसिएशन रूल्स में संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जा सके।

इस संशोधन से ऐसी आशा की जाती है कि सभी क्षेत्रों में होस्टल के निर्माण के कार्यों में तीव्र गति आयेगी।

8 कोचिंग बोर्ड

(क) क्षमता रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 3913 विद्यार्थी इण्टरमीडियेट कोर्स में भर्ती हुए, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 3451 थी। फाइनल परीक्षा के लिए पिछले वर्ष 2147 विद्यार्थियों की तुलना में 1230 विद्यार्थियों ने शिक्षण आरम्भ किया। वर्ष के दौरान इंटरमीडियेट कोर्स की शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2710 थी जब कि यह संख्या पिछले वर्ष 2773 थी। फाइनल परीक्षा के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने शिक्षण पूर्ण कर लिया क्रमशः 2168 तथा 2136 थी जब कि फाइनल कोर्स पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की संख्या 1372 और 1356 थी। ब्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

(ख) विद्यार्थियों की सेवा कोचिंग बोर्ड अपने कार्य की 'प्रतिपुष्टि' करने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयत्न में सभी संभावनाएं की जा रही है ताकि विद्यार्थियों और अंशकालिक परीक्षकों के विचार प्राप्त हो सकें। अंशकालिक परीक्षकों का एक दिवसीय सेमिनारें जून और सितम्बर, 1971 के मध्य बम्बई, मद्रास कलकत्ता और दिल्ली में आयोजित की गई। इन सेमिनारों में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, जैसे—शिक्षण ग्रुपों का संगठन करना, एक विषय में किसी विशेष विद्यार्थी को किसी विशेष परीक्षक के साथ सम्बद्ध करना आदि सामने आये तथा जिन पर बोर्ड विचार कर रहा है। टैक्सेशन पर एक स्टडी ग्रुप पहले ही मद्रास में कार्य कर रहा है।

बोर्ड ने मार्च, 1972 में हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि अध्ययन सामग्री और परीक्षा पत्रों के बारे में विद्यार्थियों के विचार जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाये। यह पहले ही किया जा रहा है। बोर्ड ने परीक्षण के तौर पर यह भी निर्णय किया है कि देश में पांच स्थानों पर इन्स्टीट्यूट के किसी सदस्य से अनुरोध किया जाये कि वह एक दिन पूर्वत अपने आप को मुक्त रखे ताकि वह विद्यार्थियों से मिल सके और उनकी शैक्षिक कठिनाइयों को दूर कर सके।

(ग) अध्ययन सामग्री अध्ययन सामग्री में सुधार के लिए बोर्ड सतत प्रयत्नशील है। इसे निरन्तर आधुनिकतम बनाय रखा जा रहा है। अभी हाल ही में किया गया परिवर्तन यह है कि भारी मात्रा में 'वस्तुनिष्ठ' (आब्जैक्टिव) प्रकार के प्रश्नों को अध्ययन पत्रों में दिया है और अन्त में उनके बहुत ही सूक्ष्म में उत्तर दिये गये है। इसका प्रयोजन यह है कि विद्यार्थी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि उसने विषय को भली भान्ति समझ लिया है अथवा नहीं।

इस समय बोर्ड नये पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित (अध्ययन सामग्री के तैयार करने में व्यस्त है) जिसे शीघ्र ही लागू करने की सम्भावना है।

(घ) विद्यार्थी पुस्तकालय वर्ष के दौरान बोर्ड ने त्रिचूर में विद्यार्थी पुस्तकालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार पुस्तकालयों की संख्या 24 हो गई जिसमें क्षेत्रीय हैडक्वाटरों में स्थित पुस्तकालय भी सम्मिलित है। बोर्ड को यह भी ज्ञात है कि विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थी पुस्तकालयों को बढ़ाया जाये ताकि विशेष समिति की सिफारिशों के अनुसार जिसे कौंसिल स्वीकार कर चुकी है, नये पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(च) दुहराने की कक्षाएं. यह लोक प्रिय नहीं और इनका आयोजन तीन क्षेत्रीय मुख्यालयों के साथ-साथ 9 केन्द्रों पर भी किया जाता है। मद्रास में इन्टेसिफाईड पाठ्यक्रम की लोक प्रियता जारी रही।

(छ) छात्रों को दी गयी अन्य सुविधाएं पिछली रिपोर्ट में बताई गई सुविधाएं, 1971–72 में भी जारी रही।

ये है :

(क) अंग्रेजी में एक लघु पाठ्यक्रम

(ख) इन्स्टीट्यूट के जरनल में विद्यार्थी पृष्ठ में योगदान के लिए प्रोत्साहन

(ग) क्षेत्रीय मुख्यालयों और शाखाओं में डिक्लेमेशन प्रतियोगयताएं जिसमें प्रथम पुरस्कार रु० 100/– और द्वितीय पुरस्कार रु० 50–/ का (पुस्तकों के रूप में) है।

(ज) प्रकाशन इन्स्टीट्यूट की परीक्षाओं में रखे गये प्रश्नों के सुझाए गए उत्तरों के वाल्यूमों के संबंध में कोचिंग बोर्ड अन्यधिक है। नवम्बर, 1971 की शिक्षाओं के सुझाये हुये उत्तरों के वाल्यूम पहले ही प्रकाशित हो चुके है और बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(झ) योग्यता व ऋण छात्रवृत्ति आलोच्य वर्ष के दौरान, 10 योग्यता और 19 ऋण छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी।

31 मार्च, 1972 तक प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की कुल सख्या निम्न अनुसार है

योग्यता छात्रवृत्ति	60
ऋण छात्रवृत्ति	97

ऋण छात्रवृत्तिया प्राप्त करने वालो ने निर्धारित किस्तो मे ऋण की राशि लौटाना आरम्भ कर दी है। अब तक 10 छात्रो ने ऋण पूर्णतया चुका दिया है। जबकि दूसरे 12 छात्रों ने आवश्यक किश्तों का पुन. भुगतान आरम्भ कर दिया है।

(1) तकनीकी स्टाफ इस समय बोर्ड के पास अध्ययन निदेशक के अलावा तीन सहायक अध्ययन निदेशक और चार उप–अध्ययन निदेशक है। वर्ष के दौरान श्री कमल गुप्ता ने उप–अध्ययन निदेशक के रूप मे सेवा आरम्भ की।

विद्यार्थी एसोसियेशन और उनकी शाखाए

(क) विद्यार्थी एसोसियेशन और उनकी शाखाए वर्ष के दौरान बहुत ही सक्रिया रही और कई प्रभावशाली कार्यक्रम किए। इसी वर्ष में दक्षिण भारत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्टूडेंस एसोसिएशन की मेहमाननिवाजी, मे मद्रास मे तृतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन हुआ।

(ख) केन्द्रीय कौसिल के निदेश :

कौसिल ने सभी विद्यार्थी एसोसियेशनो एव उनकी शाखाओं को एक निदेश जारी किया है कि भविष्य मे प्रबन्ध समिति की प्रत्येक बैठक जो सूचना उसके सदस्यों को भेजी जाती है उसमे बैठक का एजेण्डा बैठक की कार्यवाही तथा साथ ही उनके जनरल बाडी की बैठक की सूचना, ऐजेण्डा और कार्यवाही की सूचना उसके जारी होने के एक साथ ही केन्द्रीय कौसिल और सम्बन्धित क्षेत्रीय कौसिल को भेजी जाये।

(ग) केन्द्रीय भारत चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन की इन्दौर शाखा

कौसिल ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय भारत चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्टूडैन्ट्स एसोसिएशन की एक शाखा इन्दौर मे स्थापित की जाये।

(घ) स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन की सदस्यता के लिये चन्दा :

स्टूडैन्ट्स एसोसिएशन और उनकी शाखाओं के कोष मे अधिक राशि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, ताकि उनके क्रिया कलाप मे वृद्धि हो सके, दिनाक 1 अप्रैल, 1971 से चन्दे की दर रु० 5/– से बढ़ा कर रु० 10/– कर दी गई है।

(च) चुनाव नियमो में परिवर्तन .

स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन की शाखाओं को शासित करने वाले निदेशो मे सशोधन करके यह व्यवस्था की गयी है कि प्रबन्ध समिति के चुनाव हाथ उठाने के स्थान पर मतपत्र डाल कर हो।

परीक्षाएं

1. परीक्षाएं 1971 :

सम्पूर्ण भारत में विभिन्न केन्द्रों पर मई और नवम्बर, 1971 में परीक्षाएं यथावत हुईं। जोधपुर और राजकोट में नये परीक्षा केन्द्र खोले गये। परीक्षार्थियो की संख्या एवं जिन्होने परीक्षा में भाग लिया और जो उत्तीर्ण हुए, उनका ब्यौरा परिशिष्ट 8 में दिया गया है।

2. पुरस्कार और योग्यता प्रमाण-पत्र :

इन परीक्षाओं में जिन परीक्षार्थियों को पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये उनके नाम परिशिष्ट 9 में सम्मिलित किये गये हैं।

11. श्रद्धांजलि

1. कौंसिल के सदस्यो का निधन :

कौंसिल को अपने पिछले तीन सदस्यों के दुःखद निधन की सूचना देते हुए दुःख है, इनके नाम है :

1. श्री एफ० ए० कौल—27 दिसम्बर, 1971 को
2. श्री आर० एम० राजम अय्यर—21 फरवरी, 1972 को
3. श्री एफ० एच० वलीभाई—2 मार्च, 1972 को

कौंसिल द्वारा शोक प्रस्ताव पास किये गये और उन्हें दिवंगत के परिवारों को भेज दिया गया।

2. सदस्यों का निधन :

कौंसिल खेद के साथ वर्ष के दौरान सदस्यों की हुई दुःखद मृत्यु की सूचना देती है, जिनके नाम परिशिष्ट 10 में दिए गये हैं।

12. आभार

सरकार द्वारा निरन्तर दिये गये सहयोग और सहायता के लिये कौंसिल धन्यवाद देती है।

कौंसिल अधिकारियों और कर्मचारियो द्वारा रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान किए गए कार्य के लिए भी आभार प्रदर्शित करती है।

सी० बालकृष्णन,
सचिव

आर० के० खन्ना
उपाध्यक्ष

ए० बी० टंडन,
अध्यक्ष

नई दिल्ली,
दिनांक, 29 सितम्बर, 1972।

परिशिष्ट 1

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 1—1)

कौंसिल के सदस्य

टंडन, ए० बी० अध्यक्ष

खन्ना आर० के० उपाध्यक्ष

बारगाड़े, एम० जी०	बम्बई
भंडारी, एम० सी०	कलकत्ता
ब्रह्मय्या, पी०	मद्रास
दमानिया, एच० एम०	बम्बई
गणपति, सी० सी०	नई दिल्ली
गणेशन, के०	कलकत्ता
गुप्ता, एम० के०	कलकत्ता
हरिभक्ति, वी० वी०	बम्बई
काबरा, बी० एल०	बम्बई
कृष्णन, एन० सी०	मद्रास
महेश्वरी, बी० आर०	दिल्ली
मलिक, पी० के०	कलकत्ता
मेहता, बी० एम०	बम्बई
मेहता, एम० सी०	इन्दौर
*मोटा, एच० एन०	नई दिल्ली
पारिख, अनिल एम०	बम्बई
**रंगा, आर० पी०	नई दिल्ली
राव, एच० ए० के०	बंगलोर
साहा, जी०	कलकत्ता
सैन, आर० एन०	कलकत्ता
शाह, आर० डी०	नई दिल्ली
शिवराम कृष्णन्, ए० के०	मद्रास
तलाटी, एच० एम०	अहमदाबाद
टंडन, पी० एल०	नई दिल्ली
विजय राघवन, पी० बी०	मद्रास

* श्री प्रवीणचन्द्र बी० गांधी (बम्बई) को इन्होंने दिनांक 17 सितम्बर, 1971 से बदल दिया जो श्री बी० एम० कोठारी (कलकत्ता) के स्थान पर दिनांक 11 जून, 1971 से नियुक्त हुए थे ।

* श्री एच० के० मैत्रा (नई दिल्ली) को इन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 1972 से बदल दिया ।

परिशिष्ट–2

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग I–I)

विभिन्न समितियों के सदस्य

(क) स्टैंडिंग कमेटियां

(1) एक्जीक्यूटिव कमेटी :

श्री ए० वी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एस० के० गुप्ता
श्री ए० के० विश्वरामकृष्णन्
श्री एच० एस० नन्दाडी

(2) परीक्षा कमेटी

श्री ए० वी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री के० गणेशन
श्री बी० आर० महेश्वरी
श्री वी० एम० मेहता

(3) अनुशासनात्मक कमेटी

श्री ए० वी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री सी० सी० गणपति
श्री अनिल एम० पारिख
श्री जी० सहा

(ख) नान–स्टैंडिंग कमेटियां

अनुसंधान कमेटी

श्री आर० एन० सैन, चेयरमैन
श्री पी० एल० टंडन, वाइस चेयरमैन
श्री ए० वी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री बी० बी० हरिभक्ति
श्री वी० एम० मेहता
श्री ए० के० विश्वरामकृष्णन्
श्री पी० बी० विजयराघवन
श्री वाई० एन० मंगम } सहयोजित सदस्य
श्री पी० के० नंदा

(2) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कमेटी

श्री एच० एम० दमानिया, चेयरमैन
श्री पी० बी० विजयराघवन, वाइस चेयरमेन
श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री पी० के० मल्लिक
श्री एच० एम० टलाटी
श्री पी० एल० टंडन
श्री ए० बी० रवादी } सहयोजित सदस्य
श्री एम० पी० बधावन }

(3) व्यवसाय विकास कमेटी

श्री बी० बी० हरिभक्ति, चेयरमैन
श्री एच० एन० मोटा, वाइस चेयरमैन
श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एन० सी० कृष्णन्
श्री पी० के० मल्लिक
श्री आर० डी० शाह
श्री आर० आर० खुल्लर } सहयोजित सदस्य
श्री रामेश्वर ठाकुर }

(4) हिन्दी कमेटी

श्री बी० एल० कावरा, चेयरमैन
श्री बी० आर० महेश्वरी, वाइस चेयरमैन
श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री एम० सी० मेहता
श्री पी० बी० विजयराघवन

(5) टैक्सेशन कमेटी

श्री एन० सी० कृष्णन्, चेयरमैन
श्री आर० डी० शाह, वाइस चेयरमैन
श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री बी० एल० कावरा
श्री बी० एम० मेहता
श्री जी० साहा
श्री एम० बी० घटालिया } सहयोजित सदस्य
श्री जी० नारायणस्वामी }

(6) कोचिंग बोर्ड

श्री पी० बी० विजयराघवन, चेयरमेन

श्री पी० के० मलिक, वाइस चेयरमेन

श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)

श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)

श्री एस० के० गुप्ता

श्री अनिल एम० पारिख

श्री एच० ए० के० राव

श्री बी० आर० मल्होत्रा — सहयोजित सदस्य

(7) रोजगार कमेटी

श्री एम० सी० भंडारी, चेयरमेन

श्री एम० जी० अरगाडे, वाइस चेयरमेन

श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)

श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)

श्री एम० सी० मेहता

श्री एच० एन० मोटा

श्री ए० के० शिवरामकृष्णन्

(8) विशेषज्ञ सलाहकार कमेटी

श्री पी० एल० टंडन, चेयरमेन

श्री बी० बी० हरिभक्ति, वाइस चेयरमेन

श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)

श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)

श्री एन० सी० कृष्णन्

(9) कम्पनी कानून कमेटी

श्री पी० अय्यर, चेयरमेन

श्री सी० सी० गणपति, वाइस चेयरमेन

श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)

श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)

श्री एम० जी० अरगाडे

श्री एम० सी० भंडारी

श्री के० गणेशन

श्री एम० सी० भंडारी, श्री पी० एम० नारियलवाला — सहयोजित सदस्य

(10) विश्वविद्यालय सम्पर्क कमेटी

श्री एम० सी० मेहता, चेयरमेन
श्री एच० एम० दमानिया, वाइस चेयरमेन
श्री ए० बी० टंडन, अध्यक्ष (पदेन)
श्री आर० के० खन्ना, उपाध्यक्ष (पदेन)
श्री अनिल एम० पारिख
श्री एच० ए० के० राव
श्री जी० साहा
श्री एच० एम० मजूमदार } सहयोजित सदस्य
श्री एस० टी० शाह }

(11) सम्पादकीय बोर्ड

श्री ए० बी० टंडन, प्रधान सम्पादक
श्री एस० जी० अरगाडे
श्री एम० सी० भंडारी
श्री आर० के० खन्ना
श्री ए० के० शिवरामकृष्णन्

(12) तदर्थ कमेटी

श्री ए० बी० टंडन, चेयरमेन
श्री आर० के० खन्ना, वाइस चेयरमेन
श्री एस० के० गुप्ता
श्री ए० के० शिवरामकृष्णन्
श्री एच० एम० तलाटी

(13) संहिता (कोडिफिकेशन) कमेटी

श्री ए० बी० टंडन, चेयरमेन
श्री आर० के० खन्ना, वाइस चेयरमेन
श्री बी० एल० कावरा
श्री बी० एस० मेहता
श्री एच० ए० के० राव

(15) पुनर्विलोकन (रिव्यू) कमेटी

श्री ए० बी० टंडन, चेयरमेन
श्री आर० के० खन्ना, वाइस चेयरमेन
श्री एन० सी० कृष्णन्
श्री बी० एस० मेहता
श्री एस० के० गुप्त

परिशिष्ट 3

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 1–3)

कौंसिल तथा कमेटी बैठकें

	आयोजित बैठकों की संख्या	
	1971–72	1970–71
1. कौंसिल	3	4
2. स्टैंडिंग कमेटी		
(1) एक्जीक्यूटिव	7	5
(2) परीक्षा	6	4
(3) अनुशासनात्मक	6	4
3. नान, स्टैंडिंग कमेटी		
(1) तदर्थ	5	—
(2) अनुसंधान	3	3
(3) कम्पनी कानून	2	2
(4) पोस्ट-ग्रेजुएट कार्य	5	5
(5) व्यवसायिक विकास	3	3
(6) टैक्सेशन	2	2
(7) कोचिंग बोर्ड	3	3
(8) विशेषज्ञ सलाहकार	—	1
(9) रोजगार	2	2
(10) सम्पादकीय बोर्ड	4	10
(11) हिन्दी	1	1
(12) विश्वविद्यालय सम्पर्क	2	1
विशेष कमेटी		
(1) धारा 4 (1) (iii) के आधीन	2	2
(2) धारा 4 (1) (iv) के आधीन	1	1

परिशिष्ट 4

[संदर्भ : रिपोर्ट की भाग 3— 4 (ग)]

मैनेजमैन्ट एकाउन्टैंसी परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए सदस्यों की संख्या

	मई—1971	नवम्बर 1971
दोनों ग्रुपों में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या . .	9	10
दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण	कोई नहीं	कोई नहीं
ग्रुप 1 में उत्तीर्ण	2	1
ग्रुप 2 में उत्तीर्ण	कोई नहीं	4
निम्न ग्रुपों में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या . . .		
केवल ग्रुप 1 में	13	10
उत्तीर्ण संख्या	2	कोई नहीं
केवल ग्रुप 2 में	4	7
उत्तीर्ण संख्या	कोई नहीं	कोई नहीं

परिशिष्ट 5

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 7–1)

31 मार्च. 1971 और 31 मार्च 1972 को सदस्यों की संख्या

	एसोसियेट्स		फैलो		कुल	
	31,3,1971	31,3,1972	31,3,1971	31,3,1972	31,3,1971	31,3.1972
प्रैक्टिस का प्रनाण पत्र धारक सदस्य	4356	4731	3062	3340	7418	8071
प्रैक्टिस का प्रनाण पत्र धारक सदस्य	4356	4731	3062	3340	7418	8071
अन्य	3545	3825	264	306	3809	4131
योग	7901	8556	3326	3646	11227	12202

परिशिष्ट 6

(संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 7–C)

सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

व्यवसायिक जिम्मेदारियों को निबाहने में समुचित सावधानी और सचेतना का प्रयोग करने में असफल होने के परिणामस्वरूप घोर उपेक्षा

एक सदस्य को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट की द्वितीय अनुसूची के भाग 1 की धारा 7 के अन्तर्गत व्यवसायिक दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया। अपनी व्यवसायिक जिम्मेदारियों को निबाहने में समुचित सावधानी और सचेतना का प्रयोग करने में असफल होने अर्थात् कैश मेमो की जांच न करने और ट्रायल बैलेन्स में परिवर्तनों को मूल खातों के साथ पुष्टि न करना एक कम्पनी के संबंध में और एक दूसरी कम्पनी के संबंध में जरनल प्रविष्टियों और बैलेन्स शीट के अन्तिम आकड़ों की जनरल लैजर के साथ जांच न करने का दोषी पाया। कौंसिल ने उच्च न्यायालय को सिफारिश की थी कि प्रत्यर्थी को पटकारना (रिप्रिमाण्डेड) जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कौंसिल के निष्कर्ष और सिफारिश दोनों को स्वीकार कर लिया।

एक दैनिक की खपत संख्या के दो असंगत प्रमाण-पत्र जारी करना

एक सदस्य का चार्टर्ड एकाउंटेन्ट एक्ट की द्वितीय अनुसूची के भाग 1 की धाराओं 7 एवं 8 के अन्तर्गत व्यवसायिक दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया। जिसमें एक दैनिक की खपत संख्या के दो विभिन्न प्रमाण पत्र एक ही अवधि के लिए जारी किए गए जिनमें छापी गई और खपत की गद प्रतियों की संख्या के संबंध में अलग अलग आंकड़े दिए गए थे। कौंसिल ने उच्च न्यायालय से सिफारिश की कि उसका नाम तीन वर्ष की अवधि के लिए हटा दिया जाय। उच्च न्यायालय ने कौंसिल के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए निष्कासन की अवधि घटा कर तीन माह कर दी।

परिशिष्ट 7

[संदर्भ : रिपोर्ट का भाग 9–8 (क)]

वर्ष 1971–72 के दौरान नाम दर्ज किए गए छात्रों की संख्या

	इंटरमीजिएट		फाइनल अनिवार्य					
	अनिवार्य	विकल्प	ग्रुप 1		ग्रुप 2		विकल्प	
छात्रों की संख्या जो कि 1 अप्रैल 1971 को रोल पर थे	(6434) 7112	(कोई नहीं कोई नहीं	(2527)	3295	(2356)	3140	(12)	7
1971–72 के दौरान नाम दर्ज हुए	(3451) 3993	(कोई नहीं —	(2140)	1223	(2140)	1223	(7)	7
	11105	कोई नहीं		4518		4363		14
छात्रों की संख्या जिन्होंने ट्यूशन पूर्ण की जिसमें इंटरमीजिएट और फाइनल पाठ्यक्रम के क्रमशः 20 और 8 छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान ट्यूशन छोड़ दी ।	(2773) 2710		(1372)	2168	(1356)	2136	(12)	7
	8395			2350		2227		7

कोष्ठकों में दिए गए आकड़े पिछले वर्ष के लिए हैं ।

परिशिष्ट 8

(सदर्भ : रिपोर्ट का भाग 10–1)

परीक्षाओं के विवरण

	बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
प्राथमिक परीक्षा		
मई 1970	241	50
नवम्बर 1970	421	81
मई 1971	396	77
नवम्बर 1971	664	72
इन्टरमीजिएट परीक्षा		
मई 1970	3299	1494
नवम्बर 1970	3084	652
मई 1971	3549	596
नवम्बर 1971	3775	622

फाइनल परीक्षा

	दोनों ग्रुप में बठने वाले परीक्षार्थियों की सख्या	दोनों ग्रुपों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	केवल ग्रुप 1 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	केवल ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	केवल ग्रुप 1 में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	केवल ग्रुप 2 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
मई 1970	834	157	141	135	1361	444	882	255
नवम्बर 1970	788	185	124	184	1994	382	1010	432
मई 1971	977	133	105	174	1322	384	1166	577
नवम्बर 1971	1005	110	63	272	1321	199	950	451

परिशिष्ट 9

(सन्दर्भ : रिपोर्ट का भाग 10-2)

फाइनल परीक्षा

	मई 1971	नम्बर 1971
1. जी० पी० कपाडिया (प्रथम अध्यक्ष) स्वर्ण पदक	डी० पुरकायस्थ	डी०बी० चावडा
2. एकाउन्टैन्सी में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए सरशापुर जो बिल्लिमेरिया पुरस्कार (मूल्य रुपये 200/-)	डी० पुरकायस्थ	कु० सुमन टंडन
3. कास्ट एकाउन्टिंग में सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए आर० वी० के० उमर जी पुरस्कार	—	एम० वेंकटरमन
4 आडिटिंग मे सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए रु० 200/- का ए० एफ० फर्गसन नकद पुरस्कार	सत्य नारायन सेठी एस० श्यामसुन्दरन के साथ मिल कर	एन०सी० कोठारी
5. टैक्सेशन मे सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए एन० एम० शाह पुरस्कार (मूल्य रुपये 200/-)	एच०के०पी० जैन	एम०के० अग्रवाल
6. कार्मशियल लाज़ और अन्य डायरेक्ट टैक्सेज एक्ट्स पर सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए सूरी स्मारक कोष एवार्ड	—	पी० के० शाह
7. कम्पनी कानून पर सर्वश्रेष्ठ पर्चे के लिए यू० सी० मजूमदार पुरस्कार	एस० के० चड्ढा	पी० जी० थालो
8. सर्वश्रेष्ठ महिला परीक्षार्थी को आर० शिवाभोगम पुरस्कार	सुश्री एम०बी० सूरी	कु० सुमन टंडन
9. 1971 के सर्वश्रेष्ठ परीक्षार्थी के लिए जी० बसु फाउन्डेशन एवार्ड	—	डी०बी० चावडा
10. वर्ष 1971 के एकाउन्टैन्सी ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ परीक्षार्थी के लिए एन०एन० दास पुरस्कार	—	एम०एम० शाह

	मई 1971	नवम्बर 1971
11. योग्यता प्रमाण पत्र		
प्रथम श्रेणी	डी पुरकायस्थ	डी०बी० चावडा
द्वितीय श्रेणी	अनिरूद्ध मल्लिक	ए० दिनकर
तृतीय श्रेणी	ए० एम० धालावी	पी० के० शाह

इंटरमीडिएट परीक्षा

		मई 1971	नवम्बर 1971
1	जी०पी० कांडिया (पथम अध्यक्ष) रजत पदक	एन० जे० यशस्वी	डी० आर० सिदाना
2	वर्ष 1971 के सर्वश्रेष्ठ परीक्षार्थी के लिए सूरी स्मारक कोष एवार्ड	एन० जे० यशस्वी	—
3	योग्यता प्रमाण पत्र		
	प्रथम श्रेणी	एन०जे० यशस्वी	डी०आर० सिदाना
	द्वितीय श्रेणी	ए ०आर० कुमार	आर० वेंकटेश्वर अय्यर
	तृतीय श्रेणी	शिव कुमार त्रागडी	आर० डी० मेहता
		एन वी० गोविन्दराजन	

परिशिष्ट 10

(संदर्भ रिपोर्ट का भाग 11–2)

सदस्यों के नाम, जिनका वर्ष 1971–72 में निधन हुआ

क्रम संख्या	नाम	सदस्यता संख्या
1	श्री आर०एम० राजम अय्यर	10
2	श्री फैडरिक आर्थर कोल	28
3	श्री एन०एफ० मास्टर	72
4	श्री रमणीक लाल करामनदास दलाल	111
5	श्री जे०वी० अमीन	222
6	श्री दीनशा रुस्तम जी डाबर	232
7	श्री सी० प्रसाद राव	243
8	श्री धीरेन्द्र नाथ गुहा राय	269
9	श्री कालीप्रसन्न बंधोपाध्याय	293
10	श्री आर०एम० मणि	294
11	श्री के० कल्याणसुन्दरम	468
12	श्री आर०एच० तुटानी	539
13	श्री एन० वी० सुब्रह्मण्यम	623
14	श्री सुबोध चन्द्र रे	884
15	श्री आशुतोष डे	912
16	श्री अहिन्द्र नाथ सेन	952
17	श्री एफ० के० घेयारा	976
18	श्री एम० रेंगन	1065
19	श्री वासुदेव छाछिया	1050
20	श्री व्योम केश मल्लिक	1059
21	श्री वेंकटशबरलू चमरती	1148
22	श्री सीता राम बगई	1198
23	श्री के० कृष्ण मूर्ति	1493
24	श्री एफ० एच० वल्लीभाई	1727
25	श्री एम० टी० पेंदसे	1922

क्रम संख्या	नाम	सदस्यता संख्या
26	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	2087
27	श्री सुमन्त मनी लाल	2267
28	श्री डी० आर० पेमास्टर	2341
29	श्री मनिक लाल सेन	2626
30	श्री डी० बी० रामचन्द राव	2735
31	श्री पी०डी० जोशी	3234
32	श्री राधाकृष्ण सुब्रमण्यम	3412
33	श्री सी० परमेश्वर राव	3434
34	श्री अजयनंद ड	3511
35	श्री निरंजन स्वरूप सिंघल	3691
36	श्री लक्ष्मीकांत मुकुन्दराव कालगुटकर	3867
37	श्री प्रभात कुमार मल्लिक	4 9 4
38	श्री चिन्तामणि चिमनराव मोहिले	5212
39	श्री पी० कृष्णन नायर	5836
40	श्री एस० स्वामीनाथन	5970
41	श्री आर०टी० ठकार	5994
42	श्री बी० मोहन	6775
43	श्री सी०बी० विनालेश्वर राव	7065
44	श्री शिरोश हरगोविन्ददास पटेल	7491
45	श्री पूर्णेन्दु कुमार जैन	10027
46	श्री जगदीश कुमार मोदी	11355
47	श्री ए० के० गांधी	11464
48	श्री सी० मोहन राव	11586

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स आफ इंडिया नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 तक के लिए बैलेन्स शीट

निधि और देयताएं	31-3-1972		31-3-1971	
	रु०	रु०	रु०	रु०
1. आरक्षित पूंजी				
शेष : 31-3-1971	36,25,215		32,73,504	
जोड़ें : प्रवेश शुल्क (परिशिष्ट 'क')	3,81,992	40,07,207	3,51,711	36,25,215
2. सामान्य आरक्षित				
शेष : 31-3-1971	6,53,483		7,15,587	
घटाएं : अनुसंधान कोष को हस्तांतरण	10,094			
	6,43,389			
घटाएं : आय और व्यय लेखे में घाटा	80,129	5,63,260	62,104	6,53,483
3. कोष :				
(क) अनुसंधान कोष				
शेष : 31-3-1971	5,71,512		5,71,512	
जोड़ें : सामान्य आरक्षित से हस्तांतरण	10,094			
	5,81,606			
(ख) पदक और पुरस्कार कोष (परिशिष्ट 'ख')	82,623	6,64,229	64,232	6,35,744

निधि और देयताएं–जारी	31–3–1972		31–3–1971	
	रु०	रु०	रु०	रु०
4. ग्रैच्युटी के लिए व्यवस्था				
शेष : 31–3–1971	2,77,581		2,64,407	
जोड़ें : वर्ष के लिए व्यवस्था	36,348		34,174	
	3,13,929		2,98,581	
घटाएं : वर्ष के दौरान भुगतान	1,200	3,12,729	21,000	2,77,581
5. देयताएं :				
(क) अग्रिम प्राप्त शुल्क	14,98,533		16,37,876	
(ख) लेनदार	3,24,329		3,71,296	
(ग) अन्य देयताएं	4,54,389	22,77,251	3,27,619	23,36,791
योग		78,24,676		75,28,814

नोट : विवरणी में क्षेत्रीय कौंसिल की बंगलौर शाखा के लेखे, दक्षिण पूर्व, केन्द्रीय और उत्तर भारत स्टूडैन्ट्स एसोसिएशनों तथा स्टुडैन्ट्स एसोसिएशनों की बंगलौर, हैदराबाद एर्नाकुलम, अहमदाबाद और जयपुर शाखाओं के लेखे सम्मिलित नहीं है । चूंकि उन के लेख प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए तुलना करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों में उपयुक्त रुप से परिवर्तन कर लिया गया है ।

एस० आर० सरकार,
सहायक सचिव

सी० बालकृष्णनन्,
सचिव

आर० के० खन्ना,
उपाध्यक्ष

ए० बी० टंडन,
अध्यक्ष

नई दिल्ली सितम्बर 16, 1972

सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां	रु०	31-3-1972 रु०	31-3-1972 रु०	31-3-1971 रु०	31-3-1971 रु०
1. अचल सम्पत्ति परिसम्पत्ति (परिशिष्ट 'ग')			42,63,241		41,73,045
2. निवेश (लागत पर) (परिशिष्ट 'घ')			12,49,110		12,05,919
उद्धृत		1,52,176			
(बाजार मूल्य रु० 1,50,748)					
अउद्धृत		10,96,934			
3. उद्दीष्ट विवेश					
(क) अनुसंधान कोष (परिशिष्ट 'च')		5,81,606		5,71,512	
उद्धृत	701				
(बाजार मूल्य रु० 698/-)					
अउद्धृत	5,80,905				

सम्पत्ति और परिसम्पत्ति—जारी		रु०	31-3-1972 रु०	रु०	31-3-1971 रु०	रु०
(ख) (i) पदक और पुरस्कार कोष (परिशिष्ट 'छ')		78,024			60,024	
उद्धृत : (बाजार मूल्य (रु० 36,220)	44,024					
अउद्धृत :	34,000					
(ii) बैंक में नकद		4,599	82,623		4,208	
				6,64,229	64,232	6,35,744
4. चालू परिसम्पत्ति :						
(क) प्रकाशन अध्ययन सामग्री और स्टैशनरी (लागत मूल्य)			2,12,924		2,62,090	
(ख) प्राप्त्य राशि			2,86,651		4,12,606	
(ग) अग्रिम और पूर्वभुगतान			2,90,154		64,554	
(घ) नकद और बैंक शेष			8,58,367	16,48,096	7,74,856	15,14,106
		योग :		78,24,676		75,28,814

हमने उपर्यूक्त बैलेन्स शीट और संलग्न आय एंव व्यय खाते की परीक्षा की है जो हमारी राय में, क्रमशः 31 मार्च, 1972 तक के इंस्टीट्यूट के कार्य और उस तिथि के समाप्त वर्ष के उसकी आय तथा व्यय की सत्य और सही स्थिति बताती है ।

पी० आर० मेहरा,
एम० आर० वेंकटरमन,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

नई दिल्ली ;
सितम्बर, 19, 1972

बैलेन्स शीट का अनुलग्नक

परिशिष्ट "क"

दि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 तक के लिए प्रवेश शुल्क का परिशिष्ट

	रु०	रु०
(क) फैलो :		
1971–72 के दौरान प्राप्त . . .		70,000
(ख) एसोसियेट्स . . .		
(1) 31 मार्च, 1971 तक के लिए देय किश्त .	2,68,449	
(2) 1971–72 के दौरान वसूली योग्य .	3,28,500	
	5,96,949	
(3) घटाए : 31 मार्च, 1972 तक के लिए देय किश्तें	2,84,957	3,11,992
योग :		3,81,992

(एस०आर०सरकार) सहायक सचिव

(सी०बालकृष्णन) सचिव

(आर०के०खन्ना) उपाध्यक्ष

(ए०वी० टंडन) अध्यक्ष

(पी० आर० मेहरा एम० आर० वेंकटरमन)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

बैलन्स शीट का अनुलग्नक

परिशिष्ट "ख" दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली पृष्ठ 5

31 मार्च, 1972 तक के लिए पदक और पुरस्कार कोष का परिशिष्ठ

क्रमांक	कोष का नाम	धार्मस्व (एनडाउमेंट) रु०	अर्जित आय	योग कालम (3 और 4) रु	रु०	दिये गये पदकों और पुरस्कारों की लागत रु०	रु०	शेष रु०
1	2	3	4	5		6		7
1.	जी ०पी० कापदिया (प्रथम अध्यक्ष) पदक कोष	20,000	पिछला जोड़	(−) 17				
			वर्ष के लिए	550	20,533	957		20,000
	घटाएं :—आय एवं व्यय लेखे में बट्टे खाते में डाली गई राशि				533	(−) 424	533	
2.	कुमारी आर० शिव भागम लाकिट कोष	5,000	पिछला जोड़	1,365	1,690	6,690	525	6,165
			वर्ष के लिए	325				
3.	सर पूरजी विलिमोरिया पुरस्कार कोष	10,024	पिछला जोड़	254				
			वर्ष के लिए	471	725	10,749	560	10,189
4.	श्री आर राजगोपालन पुरस्कार कोष	6,000	पिछला जोड़	1,635	2,055	8,055	—	8,035
			वर्ष के लिए	420				
5.	श्री एस० कृष्णस्वामी पुरस्कार कोष	5,000	पिछला जोड़	759	1,084	6,084	—	6,084
			वर्ष के लिए	325				

6. एकाउन्टिंग अनसांघ कोष में जी० बसु एण्ड० कं०, फाउन्डेशन	14,000	पिछला जोड़ वर्ष के लिए	211 420	631	14,631	501	14,130
7. आर० के० जी० उमरजी पुरस्कार कोष	8,000	वर्ष के लिए	25	8,025	280 (–)255	25	8,000
घटाएं :—आय एवं व्यय लेखे में वहे खाते डाली गई राशि							
8. सूरी स्मारक कोष	10,000	वर्ष के लिए	176	10,176	350 (–)174	176	10,000
घटाएं :—आय एवं व्यय लेखे में वहे खाते डाली गई राशि							
योग :	78,024		6,919	84,943		2,320	82,623

(एस० आर० सरकार) सहायक सचिव
(सी० बालकृष्णन्) सचिव
(आर० के० खन्ना) उपाध्यक्ष
(ए०बी० टंडन) अध्यक्ष
(पी० आर० मेहरा एम० आर० वेंकटरमन) चार्टर्ड एकाउटैन्ट्स

बैलैन्स शीट का अनुलग्नक
परिशिष्ट 'ग'

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली
31 मार्च, 1972 के लिए अचल परिसम्पत्ति का परिशिष्ठ

क्रमांक	परिसम्पत्ति की प्रकृति	लागत		मूल्य ह्रास				31-3-72 को किताबी मूल्य रु०
		31-3-71 तक रु०	जोडना रु०	31-3-72 तक का योग रु०	31-3-71 तक का योग रु०	वर्ष के लिए रु०	31-3-72 तक का योग रु०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	(क) पट्टे पर भूमि (नई दिल्ली) .	2,159	—	2,159	—	—	—	2,159
	(ख) पट्टे पर भूमि (कानपुर) .	2,910	—	2,910	—	2,910	2,910	—
2.	भूमि और भवन							
	(क) नई दिल्ली (केन्द्रीय कौंसिल) .	4,56,495	14,04,844	18,61,339	1,74,757	41,076	2,15,833	16,45,506
	(ख) बम्बई (पश्चिम भारत क्षेत्रीय भवन)	4,51,178	—	4,51,178	87,012	9,104	96,116	3,55,062
	(ग) कलकत्ता (पूर्व भारत क्षेत्रीय भवन) .	3,88,840	—	3,88,840	93,018	7,396	1,00,414	2,88,426
	(घ) मद्रास (दक्षिण भारत क्षेत्रीय भवन) .	4,97,369	—	4,97,369	89,950	10,185	1,00,135	3,97,234
3.	कानपुर में भवन निर्माणाधीन (मध्य भारत क्षेत्रीय भवन) . . .	—	1,778	1,778	—	—	—	1,778
4.	बिजली उत्पादन और फिटिंग							
	(क) नई दिल्ली (केन्द्रीय कौंसिल)	69,316	4,78,082	5,47,398	48,224	46,626	94,850	4,52,548
	(ख) क्षेत्रीय कौंसिल स्टूडैन्टस एसोसियेशनें और उनकी शाखाएं . .	32,702	2,160	34,862	12,387	2,605	14,992	19,870

5. वातानुकूलन उत्पादन . . .	1,41,064	3,63,605	5,04,669	1,10,803	55,372	1,66,175	3,38,494
6. लिफ्ट	—	1,57,883	1,57,883	—	15,654	15,654	1,42,229
7. फर्निचर फिक्सचर और सेफ :							
(क) नई दिल्ली (केन्द्रीय कौंसिल) .	2,12,291	1,27,452	3,39,743	1,01,467	18,858	1,20,325	2,19,418
(ख) क्षेत्रीय कौंसिलें स्टूडैन्ट्स एसोसियेशनें और उनकी शाखाएं . .	2,15,895	24,837	2,40,732	73,968	12,211	86,179	1,54,553
8. कार्यालय उपकरण :							
(क) नई दिल्ली (केन्द्रीय कौंसिल) .	1,22,379	21,804	1,44,183	87,997	6,793	94,790	49,393
(ख) क्षेत्रीय कौंसिल स्टूडैन्ट्स एसोसिएशनें और उनकी शाखाएं . .	76,734	9,143	85,877	32,017	8,571	40,586	45,289
9. पुस्तकातम पुस्तकें :							
(क) नई दिल्ली (केन्द्रीय कौंसिल) .	2,04,676	17,355	2,22,031	1,43,401	23,783	1,67,184	54,847
(ख) क्षेत्रीय कौंसिलें स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन और उनकी शाखाएं . .	2,31,634	38,590	2,70,224	1 47,223	29,606	1,76,829	93,395
10. मोटर कार . . .	16,721	--	16,721	12,921	760	13,681	3,040
योग . .	31,22,363	26,47,533	57,69,896	12,15,145	2,91,510	15,06,655	42,63,241

(एस० आर० सरकार)
सहायक सचिव

(सी० बालकृष्णन्)
सचिव

(आर० के० खन्ना)
उपाध्यक्ष

(ए० बी० टंडन)
अध्यक्ष

(पी० आर० मेहरा एम० आर० वेंकटरमन)
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

बैलैन्स शीट का अनुलग्नक

परिशिष्ट "घ"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 तक के लिए निवेश का परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	प्रत्यक्ष मूल्य रु०	लागत रु०
	1. सामान्य कोष :		
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास सावधिक जमा .	3,70,656	3,70,656
2.	बैंक आफ इंडिया के पास सावधिक जमा .	2,000	2,000
3.	डाकघर 12 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र .	1,00,000	1,00,000
4.	3 प्रतिशत संपरिवर्तन ऋण 1946—86 .	3,100	2,506
	योग .	4,75,756	4,75,162
	2. कोचिंग बोर्ड		
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास सावधिक जमा रसीद	5,24,278	5,24,278
2.	4 ½ प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 1972	50,000	50,000
3.	4 प्रतिशत ऋण, 1973 . . .	50,000	50,207
4.	4 ½ प्रतिशत दस वर्षीय सुरक्षा जमा प्रमाण पत्र	40,000	40,000

5.	4-1/2 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 1974	25,000	25,000
6.	4-1/2 प्रतिशत उ० प्र० विकास ऋण, 1974 .	25,000	24,463
7.	डाकघर 12 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र .	60,000	60,000
	योग :	7,74,278	7,73,948
	1 और 2 का योग . .	12,50,034	12,49,110

(एस० आर० सरकार) सहायक सचिव

(सी०बालकृष्णन) सचिव

(आर०के० खन्ना) उपाध्यक्ष

(ए०वी० टंडन) अध्यक्ष

(पी०आर०मेहरा एम०आर० वेंकटरमन)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

बैलेन्स शीट का अनुलग्नक पृष्ठ 8

परिशिष्ट "च"

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 तक के लिए अनुसंधान कोष निवेश का परिशिष्ठ

क्रमांक	विवरण	प्रत्यक्ष मूल्य रु०	लागत रु०
1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास सावधि जमा .	5,80,905	5,80,905
2.	4 प्रतिशत ऋण, 1972 . . .	701	701
	योग : .	5,81,606	5,81,606

बैलेन्स शीट का अनुलग्नक

परिशिष्ट "छ"

31 मार्च, 1972 तक के लिए पदक और पुरस्कार कोष निवेश का परिशिष्ठ

क्रमांक	कोष का नाम	विवरण	प्रत्यक्ष मूल्य रु०	लागत रु०
1	2	3	4	5
1.	जी०पी०कापदिया (प्रथम अध्यक्ष) पदक कोष . .	2.3/4 प्रतिशत ऋण, 1976	20,000	20,000
2.	कुमारी आर० शिवभोगम लोकिट कोष .	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास सावधि जमा .	5,000	5,000
3.	सर शापूरजी बिलिमोरिया पुरस्कार कोष	3 प्रतिशत संपरिवर्तन ऋण, 1946–86 . .	15,700	10,024
4.	श्री आर० राजगोपालन पुरस्कार कोष	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास सावधि जमा .	6,000	6,000
5.	श्री एस० कृष्णस्वामी पुरस्कार कोष .	,, "	5,000	5,000

1	2	3	4	5
6.	एकाउंटिंग अनुसंधान कोष में जी० बसु एण्ड क० फाउन्डेशन	3 प्रतिशत संपरिवर्तन ऋण, 1946–86 .	14,000	14,000
7.	आ०के०बी० उमरजी पुरस्कार कोष	बैंक आफ इंडिया के पास सावधि जमा .	8,000	8,000
8.	सूरी स्मारक कोष निवेश	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास सावधि जमा	10,000	10,000
योग			83,700	78,024

(एस० आर० सरकार) सहायक सचिव

(सी० बालकृष्णन्) सचिव

(आर० के० खन्ना) उपाध्यक्ष

(ए० बी० दण्डेकर) अध्यक्ष

(पी० आर० मेहरा एम० आर० वेंकटरमन)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

पृष्ठ 9

		1971–72			1970–71
		आय	व्यय	अधिशेष/घाटा	अधिशेष/घाटा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
क. **सदस्य**					
1. सदस्य और सामान्य प्रशासन					
(क) सदस्यों से आय	8,23,548				
(ख) प्रार्थना पत्र और रिकार्ड	—		46,770		
(ग) अनुशासन .	—		1,13,234		
(घ) शुल्क की वसूली .	—		46,075		
(च) सदस्यों की सूची .	—		72,127		
(छ) वार्षिक रिपोर्ट कौंसिल कमेटी की बैठकें .	—		35,519		
(ज) रोजगार सेवा .	—		25,787		
(झ) विविध . .	96,879		78,638		
		9,20,427	4,18,150	5,02,277	5,24,994
2. क्षेत्रीय कौंसिल . .		1,32,617	4,30,784	(–) 2,98,167	(–) 2,73,756

3. व्यावसायिक विकास एवं अनुसंधान						
(क) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और व्यवहारिक प्रशिक्षण .	8,550		52,556			
(ख) सम्मेलन और सेमिनार			10,656			
(ग) तकनीकी क्रिया कलाप			88,303			
(घ) पुस्तकालय . .			18,403			
(च) सदस्यों के लिए दस्ती पुस्तक और अन्य प्रकाशन			31,421			
(छ) विविध . .	41.047		30,991			
		49,597		2,32,330	(−) 1,82,733	(−) 2,03,246
4. श्रम जरनल . .		1,63,915		3,63,413	(−) 1,99,498	(−) 1,04.905
योग . .		12,66,556		14,44,677	(−) 1,78,121	(−) 56.913
ख. विद्यार्थी						
5. विद्यार्थी क्रिया कलाप और परीक्षाएं						
(क) विद्यार्थी क्रिया कलाप	1,98,271		2,84,032			
(ख) परीक्षाएं . .	9,60,050		7,68,402			
(ग) विविध . .	34,298		65,899			
		11,92,619		11,18,333	74,286	95,662

	1971–72				1970–71
				अधिशेष/घाटा	अधिशेष/घाटा
	आय		व्यय		
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
6. कोचिंग बोर्ड . .	13,17,714		12,94,008	23,706	(–) 1,00,853
योग . .	25,10,333		24,12,341	97,992	(–) 5,191
घाटा . .	37,76,889		38,57,018	(–) 80,129	(–) 62,104

नोट : विवरण के लिए "संलग्न परिशिष्ठ" देखें

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(एस० आर० सरकार) सहायक सचिव
(सी० बालकृष्णन्) सचिव
(आर० के० खन्ना) उपाध्यक्ष
(ए० बी० टंडन) अध्यक्ष
(पी० आर० मेहता एम० आर० वेंकटरमन) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

नई दिल्ली,
दिनांक 16 सितम्बर, 1972

नई दिल्ली,
19 सितम्बर, 1972

आय और व्यय लेखे का परिशिष्ट

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1972 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

क्रमांक लेखे के शीर्षक	सदस्य					विद्यार्थी	
	योग 1971–72 रु०	सदस्यता और सामान्य प्रशासन रु०	क्षेत्रीय कौंसिल रु०	व्यवसायिक विकास और अनुसन्धान रु०	जनरल रु०	विद्यार्थी क्रिया कलाप और परीक्षाएं रु०	कोचिंग बोर्ड रु०
आय							
1. शुल्क (टिप्पणी सं० 1 देखें)	33,58,200	8,23,548	1,19,443	8,550	1,20,340	11,58,321	11,27,998
	(29,17,453)	(7,53,198)	(1,10,463)	(10,300)	(1,09,510)	(9,79,565)	(9,54,417)
2 सम्पत्तियों से आय	38,710	38,710	—	5 026	43,575	28,509	1,11,294
	(38,710)	(38,710)	—	(7 332)	(41,765)	(26,792)	(65,501)
3 जनरल और अन्य प्रकाशनों से राजस्व	1,92,392	3,988	—	34,307	—	—	49,193
	(1,47,070)	(5,680)	—	(32,015)	—	—	(44,242)
4. निवेशों पर ब्याज	1,24,659	41,159					
	(1,21,509)	(45,252)					

क्रमांक	लेखे के शीर्षक	सदस्य					विद्यार्थी	
		योग 1971–72 रु०	सदस्यता और सामान्य प्रशासन रु०	क्षेत्रीय कौंसिल रु०	व्यवसायिक विकास और अनुसन्धान रु०	जनरल रु०	विद्यार्थी क्रिया कलाप और परीक्षाएं रु०	कोचिंग बोर्ड
5.	अन्य आय	62,928	13,022	13,174	1,714	—	5,789	29,229
		(90,556)	(36,502)	(5.718)	(150)	—	(14,513)	(33,643)
6.	योग	37,76,889	9,20,427	1.32,617	49,597	1,63,915	11,92,619	13.17,714
		(33,15,298)	(8,79,342)	(1,16.181)	(49,797)	(1,51,275)	(10,20,900)	(10,97,803)
2.	व्यय							
7.	नियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य खर्चे	11,70,812	1,70,032	1,87,341	80,294	52,797	2,50,525	4,29,823
		(10,82,486)	(1,51,372)	(1,66,145)	(76,729)	(31,557)	(2,05.695)	(4,50,988)
8.	ग्रेच्युटी की व्यवस्था	35,285	5,458	2,247	3,023	1,121	9,595	13,841
		(34,175)	(5.319)	(3,637)	(2,252)	(768)	(7,255)	(14,944)
9.	प्रकाशन, मुद्रण और लेखन सामग्री एवं अध्ययन सामग्री	8,53,655	58.633	29,794	33,934	2,43,777	1,31,490	3,56,227
		(7,42,735)	(57.652)	(24.300)	(45,762)	(1,66.166)	(1,54,583)	(2,94,272)

10. परीक्षकों, शिक्षकों और निरीक्षकों के शुल्क	4,86,179	—	—	1,381	—	2,69,395	2,15,403
	(4,53,948)	—	—	1,412	—	(2,25,138)	(2,27,398)
11. हाल का किराया, भाड़ा और परीक्षा के अन्य व्यय	2,22,392	—	—	—	—	2,22,392	—
	(1,62,606)	—	—	—	—	(1,62,606)	—
12. दर और कर	1,20,466	13,685	44,545	6,158	2,053	13,686	40,339
	(91,547)	(5,895)	(41,770)	(2,653)	(884)	(6,295)	(34,050)
13. मरम्मत और रखरखाव	52,707	8,034	10,882	3,615	1,205	8,034	20,937
	(31,777)	(3,195)	(13,249)	((1,437)	(479)	(3,194)	(10,223)
14. मूल्य ह्रास	2,91,510	54,418	67,375	21,218	4,671	44,422	96,406
	(1,34,618)	(22,000)	(64,465)	(8,556)	(386)	(13,523)	(5,688)
15. पोस्टेज, तार और टेलीफोन	1,87,145	32,667	27,055	14,779	32,954	63,355	16,295
	(1,67,065)	(25,229)	(22,886)	(11,188)	(25,433)	(51,984)	30,345)
16. कौंसिल और कमेटी सदस्यों के यात्रा व्यय	1,47,737	25,748	8,403	44,209	5,139	35,951	28,287
	(1,38,984)	(17,365)	(9,577)	(44,819)	(2,405)	(40,436)	(24,382)

क्रमांक	लेखे के शीर्षक	सदस्य					विद्यार्थी	
		योग 1971–72 रु०	सदस्यता और सामान्य प्रशासन रु०	क्षेत्रीय कौंसिल रु०	व्यवसायिक विकास और अनुसन्धान रु०	जरनल रु०	विद्यार्थी क्रिया कलाप और परीक्षाएं रु०	कोचिंग बोर्ड
17.	अन्य यात्रा व्यय	55,422 (40,995)	5,878 (3,022)	— —	9,825 (4,921)	3,215 (550)	31 763 (26,273)	4,741 (6.229)
18.	व्यवसायिक शुल्क	59,070 (19,942)	31,892 (3,144)	1,950 (1,900)	1,397 (1,314)	1 218 (857)	14,754 (4,536)	7,859 8,191)
19.	सम्मेलन सेमिनार आदि	— (21,248)	— —	— —	— (21,248)	— —	— —	— —
20.	चुनाव	— (46,880)	— (46,880)	— —	— —	— —	— —	— —
21.	फुटकर	1,74,638 (2,08,396)	11,705 (13,275)	48,152 (42,008)	12,497 (30,752)	15,263 (26,695)	22,971 (23,720)	64,050 (71,946)
22	योग	38,57,018 (33,77,402)	4,18,150 (3,54,348)	4,30,784 (3,89,937)	2,32,330 (2,53,043)	3,63,413 (2,56,180)	11,18,333 (9,25,238)	12,94,008 (11,98,656)

पृष्ठ 11

टिप्पणी संख्या 1

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली

शुल्क का परिशिष्ट : 1971–72

	1971–72		1970–71	
	रु०	रु०	रु०	रु०
1. सदस्यता प्रशासन :				
(क) एसोसियेट सदस्यता .	1,50,606		1,36,530	
(ख) फैलो सदस्यता . .	2,67,691		2,45,718	
(ग) प्रैक्टिस के एसोसियेट प्रमाणपत्र	2,36,500		2,16,950	
(घ) प्रैक्टिस के फैलो प्रमाणपत्र .	1,68,750	8,23,547	1,54,000	7,53,198
2. क्षेत्रीय कौंसिल . .		1,19,443		1,10,463
3. पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा . .		8,550		10,300
4. जरनल :				
जरनल के चन्दे के लिए रखा गया सदस्यता-शुल्क .		1,20,340		1,09,510
5. विद्यार्थी और परीक्षा				
(क) परीक्षा शुल्क . .	9,60,050		8,05,195	
(ख) विद्यार्थी				
(1) आर्टिकिल क्लर्क पंजीकरण	1,43,450		1,26,880	
(2) आडिट क्लर्क पंजीकरण .	43,440		35,610	
(3) स्टूडेण्ट्स एसोसिएशन शुल्क	11,381	11,58,321	11,880	9,79,565
6. कोचिंग बोर्ड . .		11,27,999		9,54,417
योग . . .		33,58,200		29,17,453

(एस० आर० सरकार) सहायक सचिव

(सी० बालकृष्णन्) सचिव

(आर० के० खन्ना) उपाध्यक्ष

(ए० बी० टण्डन) अध्यक्ष

(पी० आर० मेहरा एम० आर० वैंकटरमन चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972